[2020] 10 एस. सी. आर 497

दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य

वी.

राजस्थान के अन्य न्यायाधीशों का उच्च न्यायालय

(2018 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 936)

29 अप्रैल, 2020

[उदय उमेश ललित और वाइन सरन, जे. जे.]

राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010-rr. 3 , 5-8 , 15-32 ,

का संवर्ग

42 , 47 , 57 ; अनुसूची I, II, VII-2010 के नियमों का प्रभाव-राजस्थान राज्य में जिला न्यायाधीश-पदोन्नत, सीधी भर्ती और सीमित प्रतिस्पर्धी परीक्षा (एल. सी. ई.) के माध्यम से चुने गए उम्मीदवार-नियुक्तियां और वरिष्ठता-आपत्ति-रिपोर्ट

dtd.15.03। 19 उच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की समिति द्वारा-आयोजितः न्यायिक अधिकारियों को राज्य में त्वरित अदालतों के संचालन के लिए अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया और

जिला न्यायाधीश के संवर्ग में मूल रूप से नियुक्त व्यक्ति उस तारीख से वरिष्ठता के हकदार हैं जब मूल नियुक्ति की जाती है न कि प्रारंभिक तदर्थ नियुक्ति या पदोन्नति की तारीख से-इसके अलावा, दिनांकित अधिसूचना के तहत शुरू की गई चयन प्रक्रिया

31.03.2011 2010 के पहले के चयन की निरंतरता में नहीं है-रिपोर्ट दिनांक 15.03.2019 ने सही ढंग से निष्कर्ष निकाला-एल. सी. ई. और प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों को दिनांक 15.07.2013 के आदेश के माध्यम से फास्ट ट्रैक अदालतों का संचालन करने वाले 47 न्यायिक अधिकारियों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, जिन्हें 21.04.2010 पर ठोस क्षमता में जिला न्यायाधीश के संवर्ग में पदोन्नत किया गया था और जिन्हें अनुसूची VII में प्रदान किए गए चक्रीय आदेश के अनुसार नहीं रखा जा सकता है-47 न्यायिक अधिकारियों को अधिसूचना के अनुसार चुने गए सभी उम्मीदवारों से सही तरीके से वरिष्ठ रखा गया था। 31.03.2011 - एल. सी. ई. के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति योग्यता पर आधारित होगी न कि पूर्ववर्ती संवर्ग में वरिष्ठता पर-रिपोर्ट डी. टी. डी. के संदर्भ में जारी वरिष्ठता सूची। 15.03.2019 केवल उक्त सीमा तक संशोधित किया गया है-राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1969-rr। 3 , 6-9 , 22-24 ; अनुसूची I-राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950-भारत का संविधान-कला। 233 , 234 , 309 - सेवा कानून।

सेवा कानून-राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा-न्यायिक

अधिकारियों को फास्ट ट्रैक के कर्मचारियों को 1969 के नियमों के तहत तदर्थ पदोन्नति दी गई

न्यायालय की सेवा प्रदान की जाती है यदि वरिष्ठता के लिए विचार किया जाता है-आयोजितः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1969 के आधार पर पदोन्नति दिए जाने के बाद वरिष्ठता की गणना करते समय फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों के रूप में ऐसे न्यायिक अधिकारियों द्वारा तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठते हैंः

(क) क्या न्यायिक अधिकारियों को फास्ट ट्रैक का संचालन करने के लिए अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया था। राज्य में न्यायालय और जिन्हें मूल रूप से नियुक्त किया गया था

अधिसूचना दिनांक 31.03.2011 के अनुसार प्रक्रिया और क्या 47 न्यायिक अधिकारियों को दिनांकित अधिसूचना 31.03.2011 के अनुसार शुरू की गई उक्त चयन प्रक्रिया में चयनित उम्मीदवारों से वरिष्ठ के रूप में रखा जा सकता है, बिना चक्रीय आवेदन के।

राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के संदर्भ में आदेश?

((घ) क्या राज्य में जिला न्यायाधीश के संवर्ग में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति सीमित के माध्यम से की जाती है। प्रतियोगी परीक्षा, वरिष्ठता सूची में उक्त परीक्षा में उनकी योग्यता के आधार पर होनी चाहिए या यह पूर्ववर्ती संवर्ग में उनकी प्रारंभिक वरिष्ठता के आधार पर होनी चाहिए?

संशोधन या सुधार? [पैरा 38] [554-ई-एच; 555-ए-बी] 1.2 देबब्रत दास और वी. वेंकट प्रसाद में निर्णय उस संदर्भ में थे जब सेवारत न्यायिक अधिकारियों को मंजूरी दी गई थी।

फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में तदर्थ पदोन्नति, जबकि सी. यामिन में बार के सदस्यों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में नियुक्त किया गया था न्यायाधीश और ये निर्णय इस प्रकार मुद्दे को पूरी तरह से समाप्त करते हैं। जैसा कि उक्त निर्णयों में कहा गया है, गणना योग्य तिथि दीनेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम होनी चाहिए।

वह तिथि जब मूल नियुक्ति की जाती है न कि प्रारंभिक तदर्थ नियुक्ति या पदोन्नति की तारीख से। सवाल

(ए), इसलिए, नकारात्मक में उत्तर दिया जाता है। [पैरा 39]

देबब्रत दास और एक अन्य वी। जतिंद्र प्रसाद दास और अन्य (2013) 3 एस. सी. सी. 658: [2013] 2 एस. सी. आर. 331; वी. वेंकट प्रसाद और अन्य बनाम। ए. पी. और अन्य का उच्च न्यायालय (2016) 11 एस. सी. सी. 656: [2016] 3 एस. सी. आर. 834; कुम सी. यामिनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2019) 10

स्केल 834: [2019] 10 एस. सी. आर. 595-निर्भर। 1.3 जहाँ तक प्रश्न सं। (बी), यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि

यहाँ तक कि 2010 की पिछली प्रक्रिया में भी भाग लिया। परिसर में, यदि यह निवेदन स्वीकार किया जाता है कि अधिसूचना दिनांक 1 के तहत शुरू की गई प्रक्रिया को 2010 के पहले के चयन की निरंतरता में माना जाना चाहिए, तो यह उन व्यक्तियों को अनुचित लाभ प्रदान करने के बराबर होगा जिन्होंने या तो इसमें भाग नहीं लिया था। 2010 की प्रक्रिया या जो 2010 में पात्र भी नहीं थे। इसलिए, 15.03.2019 की रिपोर्ट ने इस तथ्य की सही सराहना की

1.4 जहाँ तक प्रश्न सं। (ग), यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उस तारीख को जब 2010 के नियम (उसके नियम 57 को 1969 में निरस्त कर दिया गया था) नियम और कुछ कार्यों को बचाने के लिए बनाए गए प्रावधान) लागू हुए, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों ने [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

फास्ट ट्रैक अदालतों ने लगभग 07 वर्षों तक तदर्थ क्षमता में सेवा प्रदान की थी। यह सवाल कि क्या उन्हें नियमित आधार पर पदोन्नति दी जाए, उच्च न्यायालय के विचार का विषय था। 2008 में दी गई न्यायाधीशों की समिति की रिपोर्ट में सलाह दी गई थी कि उन्हें नियमित पदोन्नति दी जाए और

पूर्ण न्यायालय के स्तर पर मामला स्थगित किया जा रहा था। यह इस स्तर पर था कि 2010 के नियम 18.01.2010 से प्रभावी हुए। इसके बाद भी, अधिसूचना दिनांक 31.03.2010 ने केवल प्रत्यक्ष भर्ती के संबंध में रिक्ति की स्थिति को प्रकाशित किया था और

एल. सी. ई. के माध्यम से पदोन्नति। यह स्पष्ट रूप से ऐसा था, क्योंकि उन फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों को मूल आधार पर नियमित पदोन्नति देने का मुद्दा एक साथ विचाराधीन था और एक औपचारिक आदेश पारित किया गया था जिसमें 47 न्यायिक अधिकारियों को मूल आधार पर पदोन्नत किया गया था।

जिला न्यायाधीश का संवर्ग। 47 न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नति का अनुदान और दिनांक 1 की अधिसूचना के अनुसार चयन प्रक्रिया उसी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं थी और पूरी तरह से स्वतंत्र थी। 47 न्यायिक अधिकारियों में से किसी को भी एल. सी. ई. में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर नहीं मिला था जो कि के संदर्भ में किया गया था

अधिसूचना दिनांक 15.04.2010। यह कहना संभव है कि 47 न्यायिक अधिकारियों में से अंतिम एल. सी. ई. के माध्यम से सफल उम्मीदवारों की सूची में पहले स्थान पर हो सकते थे और इस प्रकार संभवतः बेहतर नियुक्ति के हकदार हो सकते थे। किसी भी मामले में, प्रक्रिया दिनांक 2 की अधिसूचना के अनुसार शुरू की गई नियुक्तियों को प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दिया गया था और दिनांक 1 की अधिसूचना के अनुसार प्रक्रिया के संबंध में नियुक्तियां केवल वर्ष 2013 में प्रभावी हो सकती थीं, अर्थात 3 वर्ष से अधिक।

इसके बाद 47 न्यायिक अधिकारियों को जिला न्यायाधीश के संवर्ग में महत्वपूर्ण नियुक्ति दी गई। इसके अलावा, यदि 47 न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नति का अनुदान इसी प्रक्रिया का हिस्सा माना जाता है, तो हो सकता है कि कुछ प्रत्यक्ष भर्तियों के पास वर्ष 2010 में पात्रता भी न हो और फिर भी उन्हें 47 न्यायिक अधिकारियों में से कुछ से ऊपर रखा जा सकता है। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 15.03.2019 की अपनी रिपोर्ट में किया गया आकलन बिना किसी दुर्बलता के है। 47 न्यायिक अधिकारियों को दी गई महत्वपूर्ण पदोन्नति को उसी चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माना जा सकता है जहां प्रत्यक्ष भर्ती और एल. सी. ई. के माध्यम से उम्मीदवारों को 15.07.2013 पर जिला न्यायाधीश के संवर्ग में नियुक्त किया गया था। यदि 47 न्यायिक दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य की मूल नियुक्ति v.

तथ्य स्थितियाँ। ठीक इसी कारण से नियम में "जहाँ तक संभव हो" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। अन्य चीजें समान होने के कारण, निश्चित रूप से विभिन्न धाराओं के लिए कोटा और चक्रीय क्रम का पालन किया जाना चाहिए। हालांकि, अगर इस तरह का पालन अपने आप में असंगत स्थिति पैदा करने वाला है और अतुलनीय प्रभाव डालने वाला है

हानि पहुँचाना, ऐसे मामलों में चक्रीय आदेश की प्रयोज्यता पर जोर देना उचित नहीं हो सकता है। इसके माध्यम से चुने गए उम्मीदवार एल. सी. ई. और प्रत्यक्ष भर्ती दिनांक 15.07.2013 के आदेश के अनुसार 47 न्यायिक अधिकारियों के साथ जुड़ने का दावा नहीं कर सकते हैं जिन्हें पदोन्नत किया गया है।

अधिसूचना दिनांक 31.03.2011। लेखन याचिका (सिविल) Nos.936 2018 और इसलिए 967 को खारिज कर दिया जाता है। [अनुच्छेद 1,41,41.4] [562 एच; 563-ए-एच; 564-ए-डी; 574-एफ-जी]

एम. पी. बनाम राज्य नर्मदा बचाओ आंदोलन और एक और (2011) 7 एस. सी. सी. 239: [2011] 6 एस. सी. आर. 443-पर निर्भर।

1.5 प्रश्न (डी) पर विचार करते समय, इस न्यायालय द्वारा अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ में दिए गए जोर पर ध्यान देना प्रासंगिक है।

निर्देश देते हुए कि जिला न्यायाधीश के कैडर में 25 प्रतिशत पदों को एल. सी. ई. के माध्यम से भरा जाए। पैराग्राफ 27 में कहा गया था कि अपेक्षाकृत कम उम्र के लोगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। और अन्य अधिकारियों को सुधार करने और एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए [2020] 10 एस. सी. आर.

उत्कृष्टता प्राप्त करने और त्वरित पदोन्नति प्राप्त करने के लिए। पैराग्राफ 28 में प्रासंगिक निर्देश में फिर से जोर दिया गया कि एल. सी. ई. के माध्यम से पदोन्नति के लिए 25 प्रतिशत कोटा "सख्ती से योग्यता के आधार पर" होना चाहिए। नियम

31 (2) 2010 के नियमों (नियम 31 भर्ती के स्रोत से संबंधित है) में भी "योग्यता के आधार पर सख्ती से" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। एल. सी. ई. के माध्यम से भरे जाने वाले पदों से निपटना। योग्यता का मूल्यांकन संबंधित में निर्धारित योजना के संदर्भ में किया जाना है

अनुसूची. उक्त अनुसूची में बताए गए विभिन्न मापदंडों पर विचार करने के बाद, सफल उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है। सफल उम्मीदवारों की सूची योग्यता मानदंडों जैसे उपयुक्तता, चिकित्सा योग्यता आदि के अधीन अंतिम चयन के लिए आधार बन जाती है। हालांकि, नियम 47 (4) (वरिष्ठता के मुद्दे को नियम 47 द्वारा निपटाया जाता है) पर निर्भरता रखते हुए, समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 15.03.2019 में कहा कि व्यक्तियों की अंतर वरिष्ठता उसी वर्ष जिला न्यायाधीश संवर्ग में पदोन्नत किया जाना चाहिए जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा धारण किए गए पदों पर था। यदि सूची योग्यता के अनुसार तैयार की जानी है, तो यह संभव है कि चयनकर्ताओं की सूची में अंतिम व्यक्ति सबसे वरिष्ठ हो सकता है और समिति की रिपोर्ट के अनुसार, यदि सभी चयनकर्ताओं को एक ही वर्ष में पदोन्नत किया जाता है, तो ऐसा अंतिम व्यक्ति

एल. सी. ई. के माध्यम से पदोन्नति की सूची में शीर्ष पर रहें। उस स्थिति में, वरिष्ठता शासी मानदंड बन जाएगी और तुलनात्मक रूप से कनिष्ठ उम्मीदवार की ओर से उत्कृष्टता पृष्ठभूमि में कम हो सकती है। तुलनात्मक रूप से कनिष्ठ और अन्य अधिकारियों को प्रोत्साहन देने के बजाय, पूरी परीक्षा प्रक्रिया केवल एक योग्यता परीक्षा तक सीमित हो जाएगी। मेधावी उम्मीदवारों को अवसर प्रदान करने वाली प्रतियोगी परीक्षा। मानदंड तब एल. सी. ई. उत्तीर्ण करने के अधीन वरिष्ठता बन जाएंगे। अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ में जारी किए गए निर्देश को उनकी वरिष्ठता की परवाह किए बिना मेधावी उम्मीदवारों को प्रोत्साहन देने के लिए लागू नहीं किया जाएगा। नियम 47 (4) में दिखाई देने वाले सामान्य सिद्धांत को, इसलिए, 2010 के नियमों के नियम 31 (2) में विशेष व्यवस्था को रास्ता देना चाहिए। द.

उच्च न्यायालय ने अपनी दिनांकित आई. डी. 1 की रिपोर्ट में एल. सी. ई. के वास्तविक स्वरूप और उस श्रेणी के लिए कुछ कोटा के आरक्षण की सराहना करने में पूरी तरह से विफल रहा। इसलिए, न्यायालय 2018 की रिट याचिका (सिविल) No.498 और 2019 की डायरी No.13252 में याचिकाकर्ताओं के लिए की गई दलीलों को स्वीकार करता है और प्रश्न (डी) का उत्तर देते समय यह घोषित किया जाता है कि दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम।

एल. सी. ई. के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को योग्यता और योग्यता के आधार पर होना चाहिए।

पूर्ववर्ती संवर्ग में वरिष्ठता के आधार पर नहीं। उक्त रिट याचिकाओं को उस हद तक अनुमति दी जाती है। [पारस 42] [574-एच; 575-ए-एच; 576-ए]

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम। भारत संघ और

अन्य (2002) 4 एस. सी. सी. 247: [2002] 2 एससीआर 712-निर्भर

पर।

1.6 यह सच है कि 2010 के नियम लागू होने की तारीख तक 83 फास्ट ट्रैक अदालतें काम कर रही थीं।

2010 के नियमों की अनुसूची II के भाग ए में इस आशय का उचित उल्लेख किया गया था। यह कहना भी सही है कि संबंधित न्यायिक अधिकारियों को दी गई तदर्थ पदोन्नति 1969 के नियमों के तहत थी। लेकिन इस तरह की पदोन्नति फास्ट ट्रैक अदालतों को चलाने के लिए तदर्थ आधार पर थी और इस मुद्दे पर कानून अब अच्छी तरह से तय हो गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में ऐसे न्यायिक अधिकारियों द्वारा तदर्थ आधार पर दी गई सेवा को ऐसे न्यायिक अधिकारियों को मूल आधार पर पदोन्नति दिए जाने के बाद वरिष्ठता की गणना करते समय ध्यान में नहीं रखा जा सकता है और उनकी वरिष्ठता की गणना केवल उनकी मूल तिथि से की जानी चाहिए। जिला न्यायाधीश के संवर्ग में नियुक्ति। उक्त 1969 नियम किसी भी तरह से ऐसा कोई अधिकार प्रदान नहीं करते हैं जो इस न्यायालय द्वारा इस प्रकार निर्धारित कानून के साथ असंगत हो। 47 न्यायिक अधिकारियों में से चार न्यायिक अधिकारियों को भी उसी दिन 2019 की रिट याचिका (सिविल) No.464 में याचिकाकर्ताओं के साथ नियुक्त किया गया था। उक्त चार न्यायिक अधिकारियों को मूल आधार पर पदोन्नति का अनुदान अपने आप में याचिकाकर्ताओं को किसी भी समान व्यवहार का हकदार नहीं बनाता है। मूल आधार पर पदोन्नति का मुद्दा इस पर निर्भर हो सकता है -

संबंधित उम्मीदवार की उपयुक्तता और पदों की उपलब्धता सहित विभिन्न मुद्दे। अभिलेख से यह भी पता चलता है कि 47 न्यायिक अधिकारियों को पर्याप्त आधार पर पदोन्नति देने के बाद, नियमित पदोन्नति के लिए कोई रिक्तियां नहीं थीं, यही कारण है कि

वर्ष 2010 में शुरू की गई चयन प्रक्रिया ने नियमित पदोन्नति के लिए कोई रिक्तियां निर्धारित नहीं की थीं और यह केवल वर्ष 2011 में था, जब उक्त श्रेणी के लिए पर्याप्त रिक्तियां उपलब्ध हुईं, तो अधिसूचना दिनांक 31.03.2011 में इन रिक्तियों को भरने पर विचार किया गया थाः विनियमन पदोन्नति द्वारा कुछ रिक्तियां। 2019 की रिट याचिका (सिविल) No.464 में याचिकाकर्ताओं ने प्रक्रिया [2020] 10 एस. सी. आर. में भाग लिया।

जो 15.07.2013 दिनांकित आदेश में समाप्त हुआ। में परिस्थितियों में, उक्त संवर्ग में उनकी मूल नियुक्ति की गणना 15.07.2013 से की जानी चाहिए न कि किसी पूर्व प्रभाव के साथ। एक बार नियमित पदोन्नति उसी प्रक्रिया का हिस्सा थी

अन्य धाराओं के साथ, अर्थात्, प्रत्यक्ष भर्ती और एल. सी. ई. के माध्यम से, चक्रीय आदेश लागू किया जाना था और कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं को चयन की उसी प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भर्ती और एल. सी. ई. के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों के ऊपर एन-ब्लॉक प्लेसमेंट नहीं दिया जा सकता है। इसलिए, 2019 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 464 में कोई योग्यता नहीं है और कहा गया है कि रिट याचिका खारिज कर दी गई है। 2019 की रिट याचिका (सिविल) No.899 और अन्य संबंधित मामलों में याचिकाकर्ताओं को 2010 के नियम लागू होने के बाद फास्ट ट्रैक अदालतों में काम करने के लिए तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया। भले ही फास्ट ट्रैक अदालतों के उन्मूलन के बाद उनकी सेवाओं को जारी रखा गया हो, लेकिन यह अपने आप में उन्हें कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा। उन्हें केवल 05.02.2016 दिनांकित आदेश के माध्यम से जिला न्यायाधीश के संवर्ग में पर्याप्त रूप से पदोन्नत किया गया। ऊपर बताए गए कारणों के लिए, मूल आधार पर उनकी पात्रता की गणना केवल 05.02.2016 से की जानी चाहिए, न कि किसी पूर्व तिथि से। इसलिए, 2019 की रिट याचिका (सिविल) No.899 और अन्य संबंधित मामलों को खारिज कर दिया जाता है। इस प्रकार, प्रश्न (ई) का उत्तर देते समय, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि 15.03.2019 की रिपोर्ट में प्रश्न (डी) के उत्तर में दी गई सीमा को छोड़कर किसी भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 43] [576

बी-एच; 577-ए-ई]

1.7 दिनांकित 15.03.2019 की रिपोर्ट के संदर्भ में जारी की गई वरिष्ठता सूची केवल उस हद तक संशोधित होगी जब तक उचित हो।

एल. सी. ई. के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाए परीक्षा में उनकी योग्यता के आधार पर और पूर्ववर्ती संवर्ग में उनकी वरिष्ठता के आधार पर नहीं। उक्त सीमा को छोड़कर, 15.03.2019 की रिपोर्ट में किसी भी संशोधन या स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 44] [577-जी-एच; 578-ए]

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम। भारत संघ और अन्य (1992) 1 एस. सी. सी. 119: [1991] 2 पूरक।

एस. सी. आर. 206; दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम। राजस्थान के अन्य न्यायाधीशों का उच्च न्यायालय

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम। संघ का भारत और अन्य (1993) 4 एस. सी. सी. 288 [1993] 1 पूरक।

एस. सी. आर. 749; अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम।

भारत संघ और अन्य (2002) 4 एससीसी 274; बृज

मोहन लाल बनाम। भारत संघ और अन्य (2002) 5 एससीसी

1 [2002] 3 एस. सी. आर. 810; मलिक मजहर सुल्तान और एक अन्य वी। यू. पी. लोक सेवा आयोग और अन्य

सुल्तान और एक अन्य वी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य (2008) 17 एस. सी. सी. 703; अखिल भारतीय न्यायाधीश

एसोसिएशन वी। भारत संघ और अन्य (2010) 15 एससीसी

170 ; राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारी संघ

वी. राजस्थान राज्य और एक अन्य (2009) 14 एस. सी. सी. 656:

[2009] 10 एस. सी. आर. 814; उच्च न्यायालय के लिए राजस्थान बनाम. वीणा वर्मा और एक अन्य (2009) 14 एस. सी. सी.

734 [2009] 10 एससीआर 795; बृज मोहन लाल बनाम। संघ का

भारत और अन्य (2012) 6 एससीसी 502: [2012] 5 एससीआर

अन्य (2012) 13 एस. सी. सी. 340: [2012] 13 एससीआर 555; प्रत्यक्ष भर्ती वर्ग II इंजीनियरिंग। ऑफिसर्स एसोसिएशन। वी. की स्थिति

महाराष्ट्र (1990) 2 एससीसी 715: [1990] 2 एससीआर 900;

रुद्र कुमार सैन और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य।

(2008) 8 एस. सी. सी. 25; माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

न्यायालय बनाम। पंजाब राज्य और अन्य (2019) 12 एससीसी

496 : [2018] 13 एस. सी. आर. 91; के. मेघचंद्र सिंह और

ओआरएस। वी. निंगम सिरो और अन्य (2019) एससीसी ऑनलाइन एससी 1494 : [2019] 16 एस. सी. आर. 651-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2002] 2 एससीआर 712

उस पर भरोसा करें

पैरा 1

[1991] 2 पूरक। एससीआर 206

पैरा 2

संदर्भित किया गया है

[1993] 1 पूरक। एससीआर 749

पैरा 2

संदर्भित किया गया है

(2002) 4 एस. सी. सी. 274

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[2002] 3 एससीआर 810

संदर्भित किया गया है

पैरा 2.3

[2006] 3 एससीआर 689

संदर्भित किया गया है

पैरा 2.4

(2008) 17 एस. सी. सी. 703

पैरा 2.5

[2020

] 10 एस. सी. आर. को संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2010) 5 एससीसी 170

संदर्भित किया गया है

पैरा

2.6

[2009] 10 एससीआर 814

संदर्भित किया गया है

पैरा

10

[2009] 10 एससीआर 795

संदर्भित किया गया है

पैरा

11

[2012] 5 एससीआर 305

संदर्भित किया गया है

पैरा

21

[2013] 2 एससीआर 331

पैरा

31

उस पर भरोसा करें

[2016] 3 एससीआर 834

उस पर भरोसा करें

पैरा

31

[2019] 10 एससीआर 595

उस पर भरोसा करें

पैरा

31

[2012] 13 एससीआर 555

पैरा

31

संदर्भित किया गया है

[1990] 2 एससीआर 900

पैरा

39

संदर्भित किया गया है

(2008) 8 एससीसी 25

पैरा

39

संदर्भित किया गया है

[2011] 6 एससीआर 443

उस पर भरोसा करें

पैरा

41

[2018] 13 एससीआर 91

संदर्भित किया गया है

पैरा

41.1

[2019] 16 एससीआर 651

संदर्भित किया गया है

पैरा

41.2

2018 से।

के साथ डब्ल्यू .
पी. (ग) नहीं. 967/2018,1471/2018,498/2019,464/2019,899/2019,

897/2019 , 895/2019 , 1008/2019 और डायरी सं. 13252/2019।

विजय हंसारिया, संजय आर. हेगड़े, वी. के. शुक्ला, पी. एस. पटवालिया,

निधेश गुप्ता, सुश्री विभा दत्ता मखीजा, डॉ. मनीष सिंघवी, आर. बालासुब्रमण्यम, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अवनीश पांडे, सुश्री स्नेहा कालिता, गोपाल झा, अभिनव मुखर्जी, सिद्धार्थ गर्ग, सुश्री बिहू शर्मा, पूर्णिमा कृष्णा, समर्थ खन्ना, ऋषभ संचेती, सुश्री पद्म प्रिया, अंचित भंडारी, मोहम्मद। शाहरुख अली, श्री के. परी वेंधन, जॉन मैथ्यू, सुश्री वृति गुजराल, Ms.Pallavi सिंह, सुश्री जसनीत कौर, ऋषि मटोलिया, एच. डी. थानवी, प्रवीण गौर, Ms.Priyanshi अग्रवाल, सुश्री आद्या मिश्रा, डी. के. देवेश, सत्येंद्र कुमार, शैलजा नंदा मिश्रा, हर्ष विनॉय, अर्पित प्रकाश, मिलिंद कुमार, अन्नम डी. एन. राव, ए. वेंकटेश, राहुल शर्मा, सुश्री संगीता एम. आर., सुश्री अनन्या खंडेलवाल, सुश्री अवनि शर्मा, सुश्री प्रेरणा सिंह, गुंटूर प्रमोद कुमार, सुश्री सुप्रिया जुनेजा, सुश्री मृदुला रे भारद्वाज

दहिया, आर. सी. कौशिक, सुश्री संगीता गौर, के. परमेश्वर, एम. वी. एंडा, अवध बिहारी कौशिक, देवाशीष महर्षि, आदर्श उपाध्याय,[अर्श वी. सुराना, रोहित के. सिंह, कार्तिक एस. डी., सचिन शर्मा, समदरिया, संचित गर्ग, पी. डी. शर्मा, अधिवक्ता। प्रकट होने के लिए

ईएस।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था उदय उमेश ललित, जे।

1. ये रिट याचिकाएं मोटे तौर पर निम्नलिखित तीन श्रेणियों में आती हैं:

ए] चार याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर 2018 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 936, उचित निर्देशों के लिए प्रार्थना करती है कि

राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 ("2010 नियम", संक्षेप में), सभी नियुक्तियां 2010 के नियमों के अनुरूप होनी चाहिए और

वरिष्ठता का आवंटन 2010 के नियमों की अनुसूची VII में दिए गए चक्रीय आदेश के अनुसार होना चाहिए। 2010 के नियमों के अनुसार, राजस्थान राज्य में उच्च न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में पदों को पदोन्नतियों के लिए 50 प्रतिशत, प्रत्यक्ष भर्ती के लिए 25 प्रतिशत और अन्य के लिए 25 प्रतिशत के कोटा के अनुसार भरा जाना आवश्यक था।

25 % अखिल भारतीय स्तर पर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए सीमित प्रतियोगी परीक्षा (संक्षेप में एल. सी. ई.) के माध्यम से जज एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य 1. यह लेखन

एल. सी. ई. में सफल उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिका में प्रार्थना की गई है कि उन्हें अनुसूची VII में चक्रीय आदेश के संदर्भ में वरिष्ठता आवंटित की जाए। इस समूह में 2019 की लिखित याचिका (सिविल) No.498 और 2019 की लिखित याचिका डायरी No.13252 आती है जो प्रार्थना करती है कि

एल. सी. ई. में सफल उम्मीदवारों के बीच अंतर वरिष्ठता का निर्धारण एल. सी. ई. में उनकी योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए न कि उनकी पूर्व वरिष्ठता के आधार पर।

बी] राज्य में उच्च न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के संवर्ग के संबंध में दिनांकित अनंतिम वरिष्ठता सूची को चुनौती देते हुए 37 प्रत्यक्ष भर्तियों द्वारा 2018 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 967 दायर की गई है, इस आधार पर कि 2010 के नियमों के बाद की गई नियुक्तियां प्रभाव में आई थीं, चक्रीय आदेश के अनुसार होनी चाहिए; और अंतर वरिष्ठता और 2010 के बाद पदोन्नत प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों की नियुक्ति

.)

नियम 2010 के अनुसार लागू होने चाहिए।

नियम।

सी] राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारी संघ ("एसोसिएशन", संक्षेप में) द्वारा 2018 की रिट याचिका (सिविल) No.1471 दायर की गई है, जिसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में तदर्थ आधार पर पदोन्नत किए गए पदोन्नतियों द्वारा दी गई तदर्थ/कार्यवाहक सेवा का लाभ मांगा गया है और यह भी प्रार्थना की गई है कि प्रत्यक्ष भर्तियों के रिक्त पदों का पुनर्निर्धारण यह प्रस्तुत करते हुए किया जाए कि प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए निर्धारित रिक्तियां उनके कोटे से अधिक थीं। न्यायिक अधिकारियों द्वारा 2019 की रिट याचिका (सी) Nos.464,2019 की 895,2019 की 897,2019 की 899 और 2018 की 1008 दायर की गई हैं, जिसमें निम्न के संबंध में समान लाभ की मांग की गई है:

राज्य में फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों के रूप में तदर्थ/कार्यवाहक सेवा और प्रार्थना करें कि ऐसे उम्मीदवारों को प्रत्यक्ष भर्तियों से ऊपर रखा जाए

राज्य में जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में।

2. चूँकि इन सभी मामलों में शामिल मुद्दे निम्नलिखित से संबंधित हैं -

राजस्थान राज्य में जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में नियुक्तियों और वरिष्ठता के आवंटन और 2010 के नियमों के प्रभाव के संबंध में याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की गई। इससे पहले कि हम तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार करें, फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना के साथ-साथ इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर विचार करना आवश्यक होगा।

एल. सी. ई. के माध्यम से पदोन्नति की अवधारणा और संबंधित कोटा विभिन्न राज्यों में उच्च न्यायिक सेवा में तीन अलग-अलग धाराओं से आने वाले उम्मीदवार।

विचार करें। इस न्यायालय द्वारा कई निर्देश जारी किए गए थे। हालाँकि, भारत संघ द्वारा समीक्षा याचिकाएँ दायर की गई थीं जिनमें कुछ निश्चित करने की मांग की गई थी संशोधन/स्पष्टीकरण। इन समीक्षा याचिकाओं का निपटारा किया गया था

यह न्यायालय अखिल भारतीय न्यायाधीशों में आगे के निर्देश जारी करते हुए ' एसोसिएशन और अन्य v. भारत संघ और अन्य 3. उक्त निर्देशों के अनुसरण में, श्री न्यायमूर्ति के. जे. शेट्टी (इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश) की अध्यक्षता में प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद संदर्भ की शर्तों को 16.12.1997 पर संशोधित किया गया और आयोग को यह भी अधिकार दिया गया कि

विचार करें और अंतरिम राहत प्रदान करें। रिपोर्ट दिनांक 31.01.1998 के अनुसार कुछ

2 (1992) 1 एससीसी 119

3 (1993) 4 एस. सी. सी. 288 दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम। राजस्थान के अन्य न्यायाधीशों का उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे।]

न्यायमूर्ति शेट्टी आयोग द्वारा अंतरिम राहत दी गई थी। उचित विचार-विमर्श के बाद न्यायमूर्ति शेट्टी आयोग ने 11.11.1999 पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इस न्यायालय द्वारा भारत संघ को अपनी प्रतिक्रिया भेजने का निर्देश दिया गया ताकि सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा सके और उनसे निपटा जा सके। 4

2.2 सभी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम में अपने निर्णय दिनांक 21.03.2002 में कहा। संघ

भारत और अन्य ने कुछ दिशाएँ पार कीं। हम वर्तमान में पैराग्राफ 24 से 29 में की गई टिप्पणियों से चिंतित हैं जिसमें संसद की स्थायी समिति की 85 वीं रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया था जिसमें सिफारिश की गई थी कि न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। उक्त समिति ने न्यायाधीशों के जनसंख्या अनुपात को नोट किया था और विधि आयोग की 120 वीं रिपोर्ट के अनुरूप, पहली बार में न्यायाधीशों की संख्या को प्रति 10 लाख लोगों पर 50 न्यायाधीशों तक बढ़ाने की सिफारिश की गई थी। न्यायमूर्ति शेट्टी आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर भी विचार किया गया और जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में उच्च न्यायिक सेवा में भर्ती भी निर्देश का विषय था। तैयार संदर्भ के लिए अनुच्छेद 27 से 29 उद्धृत किए गए हैं:

" 27. एक अन्य प्रश्न जो विचार के लिए आता है, वह है उच्च न्यायिक सेवा यानी जिला न्यायाधीशों और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में पदों पर भर्ती की विधि। वर्तमान समय में, उच्च न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए दो स्रोत हैं, अर्थात् अधीनस्थ न्यायिक सेवा के सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा और सीधी भर्ती द्वारा। अधीनस्थ न्यायपालिका न्यायिक प्रणाली की नींव है। इसलिए, किसी भी अन्य नींव की तरह, यह अनिवार्य है कि इसे यथासंभव मजबूत बनाया जाए। न्यायिक प्रणाली पर भार अनिवार्य रूप से अधीनस्थ न्यायपालिका पर निर्भर करता है। जबकि हम

शेट्टी आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है

जिसके परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायपालिका के वेतनमान में वृद्धि होगी, साथ ही यह भी आवश्यक है कि न्यायिक अधिकारी, जो जितना मेहनती हैं, अधिक कुशल बनें। यह आवश्यक है कि वे कानून के ज्ञान और नवीनतम जानकारी से अवगत रहें।

घोषणाएँ, और यही कारण है कि शेट्टी आयोग ने न्यायिक आयोग की स्थापना की सिफारिश की है।

अकादमी, जो बहुत आवश्यक है। साथ ही, हमारी राय है कि एक निश्चित न्यूनतम मानक होना चाहिए,

4 (2002) 4 एससीसी 274 [2020] 10 एस. सी. आर.

अदालतों को उन उम्मीदवारों के कानूनी ज्ञान का पता लगाने और जांच करने और मामले-कानून के पर्याप्त ज्ञान के साथ उनकी निरंतर दक्षता का आकलन करने के लिए एक परीक्षा तैयार करनी चाहिए और विकसित करनी चाहिए। सेवा में शेष 25 प्रतिशत पद होंगे - सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर सख्ती से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है जिसके लिए अर्हता प्राप्त होती है

सिविल जज (वरिष्ठ प्रभाग) के रूप में सेवा पाँच वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उच्च न्यायालयों को इस संबंध में एक नियम बनाना होगा।

(जोर दिया गया)

28. उपरोक्त के परिणामस्वरूप, हम निर्देश देते हैं कि उच्च न्यायिक सेवा यानी जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में भर्ती होगीः

(1) (क) सिविल न्यायाधीशों में से पदोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत

(वरिष्ठ प्रभाग) योग्यता के सिद्धांत के आधार पर-सह वरिष्ठता और एक उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करना;

(ख) योग्यता के आधार पर सख्ती से पदोन्नति द्वारा 25 प्रतिशत

सिविल न्यायाधीशों की सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम।

(वरिष्ठ प्रभाग) कम से कम पाँच वर्ष की योग्यता सेवा रखने वाले; और

(ग) 25 प्रतिशत पदों को संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित लिखित और मौखिक परीक्षा के आधार पर योग्य अधिवक्ताओं से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

अदालतें।

उच्च न्यायिक सेवा में भर्ती। के लिए कोटा पदोन्नति जो हमने निर्धारित की है वह निम्नलिखित द्वारा 50 प्रतिशत है।

"योग्यता-सह-वरिष्ठता" सिद्धांत, सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा योग्यता पर 25 प्रतिशत और प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा 25 प्रतिशत। अनुभव से यह भी पता चला है कि जहां तक वरिष्ठता का संबंध है, देश में सबसे कम मुकदमेबाजी, जहां भर्ती में आरक्षण प्रणाली मौजूद है, वह है जहां एक रोस्टर प्रणाली का पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, एक 40-बिंदु सूची निर्धारित की गई है जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित है। शायद ही कभी, कोटा के अनुसार उनकी भर्ती के बाद सेवा के सदस्यों के बीच कोई मुकदमा हुआ हो, वरिष्ठता रोस्टर अंकों द्वारा तय की जाती है और इस तथ्य की परवाह किए बिना कि किसी व्यक्ति की भर्ती कब की जाती है। कब रोस्टर प्रणाली का पालन किया जाता है, किसी भी विवाद के उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं है। 40 अंकों की सूची पर विचार किया गया है और इसके द्वारा अनुमोदित किया गया है।

आर. के. सभरवाल बनाम में न्यायालय पंजाब राज्य। किसी भी मुकदमेबाजी से बचने और इस संबंध में निश्चितता लाने के तरीकों में से एक पदों के संबंध में कोटा निर्दिष्ट करना है न कि पदों के संबंध में। रिक्तियां। यह मूल सिद्धांत है जिसके आधार पर 40 अंकों का रोस्टर काम करता है। हम उच्च न्यायालयों को उपयुक्त संशोधन करने का निर्देश देते हैं

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर. के. सभरवाल मामले में इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित रोस्टर सिद्धांत के आधार पर वरिष्ठता नियमों को जल्द से जल्द लागू करना। हम आशा करते हैं कि इसके परिणामस्वरूप वरिष्ठता के निर्धारण में आगे कोई विवाद नहीं होगा। यह स्पष्ट है कि यह प्रणाली केवल संभावित रूप से लागू हो सकती है, सिवाय इसके कि प्रासंगिक के तहत नियमों की वरिष्ठता का निर्धारण कोटा और आवर्तन प्रणाली के आधार पर किया जाना है। उच्च न्यायिक सेवा के सदस्यों की मौजूदा सापेक्ष वरिष्ठता की रक्षा की जानी चाहिए लेकिन भविष्य के लिए रोस्टर विकसित किया जाना चाहिए। उपयुक्त नियमों और विधियों को उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाया जाएगा और राज्यों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जहां भी 31-3-2003 द्वारा आवश्यक होगा।

2.3 . इसके तुरंत बाद, बृज मोहन लाल बनाम में 06.05.2002 पर दिए गए अपने निर्णय में। भारत संघ और अन्य इस न्यायालय को त्वरित अदालतों से संबंधित मुद्दे पर विचार करने का अवसर मिला था। 11 वें वित्त आयोग ने वित्त मंत्रालय के लिए एक करोड़ रुपये आवंटित किए थे। स्थापना के उद्देश्य से 502.90 करोड़

लंबे समय से लंबित मामलों, विशेष रूप से सत्र मामलों से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों में 1734 अदालतें। उक्त सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के न्याय विभाग द्वारा एक टिप्पणी तैयार की गई थी फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना करना। कुछ उच्च न्यायालयों में ऐसे त्वरित न्यायालयों के गठन को चुनौती दी गई थी और मामलों को इस न्यायालय द्वारा स्थानांतरण याचिकाओं में निपटाया गया था। प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, पैरा 10 में और वर्तमान उद्देश्यों के लिए निर्देश जारी किए गए थे।

दिशा Nos.1 से 8,14 और 18 प्रासंगिक हैं:

" 10. जिन प्रशंसनीय उद्देश्यों के साथ त्वरित अदालत योजना की परिकल्पना की गई है और शुरू की गई है, उन्हें ध्यान में रखते हुए, हम महसूस करते हैं कि वर्तमान में, निम्नलिखित निर्देश पक्षों द्वारा उजागर की गई प्रारंभिक प्रारंभिक समस्याओं का ध्यान रखने के लिए पर्याप्त होंगे:

अदालत के निर्देश

1. फास्ट ट्रैक न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए पहली प्राथमिकता तदर्थ पदोन्नति द्वारा दी जानी है।

योग्य न्यायिक अधिकारियों के बीच। इस तरह की पदोन्नति देते समय, उच्च न्यायालय उच्च/उच्च न्यायिक सेवाओं में ऐसे पदों पर पदोन्नति के मामले में लागू प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

2. फास्ट ट्रैक अदालतों में नियुक्तियों में दूसरी प्राथमिकता उन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को दी जाएगी जो अच्छी सेवा में हैं।

जहां तक न्यायिक संबंध है, उनके ए. सी. आर. में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है

6 (2002) 5 एस. सी. सी. 1 दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम। राजस्थान आन लोकक उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे.]

ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और चरित्र के बारे में कौशल, प्रतिष्ठा

चिंतित हैं। जिन लोगों को सेवानिवृत्ति की आयु के दो साल के विस्तार का लाभ नहीं दिया गया था, उन्हें नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे संतुष्ट हों संविधान के अनुच्छेद 233 (2) और 309 में निर्धारित शर्तें। संबंधित उच्च न्यायालय इस संबंध में निर्णय लेगा कि -

न्यूनतम-पात्रता की अधिकतम आयु यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे फास्ट ट्रैक न्यायालयों में काम करने के लिए शारीरिक रूप से योग्य हैं।

3. कोई भी न्यायिक अधिकारी जिसे बर्खास्त या हटा दिया गया था या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या सेवानिवृत्ति लेने के लिए मजबूर किया गया था, उस पर योजना के तहत नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा। न्यायिक अधिकारी जिनके पास

विभागीय कार्यवाही/जांच शुरू करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

4. इन न्यायालयों में सीधी नियुक्ति के लिए बार के सदस्यों को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी। उन्हें होना चाहिए।

अधिमानतः 35-45 वर्ष के आयु वर्ग में, ताकि वे नियमित पदों पर बने रहने की आकांक्षा कर सकें यदि फास्ट ट्रैक अदालतें काम करना बंद कर देती हैं। सेवा में उनके बने रहने के सवाल की उच्च न्यायालय द्वारा उनके प्रदर्शन के आधार पर समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। यदि बाद में भर्ती होती है और फास्ट ट्रैक अदालतों में उनका प्रदर्शन संतोषजनक पाया जाता है, तो उन्हें नियमित रिक्तियों में शामिल किया जा सकता है। प्रारंभिक चयन के लिए, उच्च न्यायालय चयन के ऐसे तरीकों को अपनाएगा जो आमतौर पर उच्च/उच्च न्यायिक सेवाओं में सीधी भर्ती के रूप में बार के सदस्यों के चयन के लिए अपनाए जाते हैं।

5. फास्ट ट्रैक अदालतों में नियुक्ति के लिए समग्र प्राथमिकता उन योग्य अधिकारियों को दी जाएगी जो शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के बावजूद सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं।

6. चयन के लिए सिफारिश उच्च न्यायालय के कम से कम तीन न्यायाधीशों की एक समिति द्वारा की जाएगी, जिसका गठन इस संबंध में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। इस मामले में अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय द्वारा लिया जाएगा।

7. फास्ट ट्रैक न्यायालयों में न्यायिक अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति के बाद, परिणामी रिक्तियों को भरा जाएगा।

तुरंत एक विशेष भर्ती अभियान आयोजित करके। इन [2020] 10 एस. सी. आर. को भरने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए पहले से कदम उठाए जाने चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायिक अधिकारियों को त्वरित अदालतों में पदोन्नत किए जाने से बहुत पहले रिक्तियां हो जाती हैं, ताकि अधीनस्थ न्यायपालिका के निचले स्तरों पर रिक्तियां पैदा न हों। उच्च न्यायालय और संबंधित राज्य सरकार अधीनस्थ न्यायालयों में परिणामी और मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए त्वरित कदम उठाएगी।

प्राथमिकता के आधार पर। संबंधित राज्य सरकार आदेश प्राप्त होने के एक महीने के भीतर आवश्यक निर्णय लेगी।

उच्च न्यायालय द्वारा की गई सिफारिशें। 8. फास्ट ट्रैक अदालतों द्वारा उन सत्र मामलों के निपटारे के लिए प्राथमिकता दी जाएगी जो सबसे लंबे समय से लंबित हैं, और/या जो विचाराधीन हैं। ऐसा ही होगा।

दीवानी मामलों यानी पुराने मामलों के लिए दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जाएगी।

9. .....

10 .....

11 .....

12 ... .

13 .....

योजना के तहत तदर्थ आधार पर नियुक्ति। सेवा. फास्ट ट्रैक अदालतों में प्रदान की जाने वाली सेवा को मूल संवर्ग में प्रदान की जाने वाली सेवा माना जाएगा। यदि किसी न्यायिक अधिकारी को फास्ट ट्रैक में उनके कार्यकाल के दौरान मूल संवर्ग में उच्च श्रेणी में पदोन्नत किया जाता है

न्यायालयों, फास्ट ट्रैक न्यायालयों में दी जाने वाली सेवा को ऐसे उच्च श्रेणी में सेवा माना जाएगा।

15 .....

16 .....

17 .....

18. उच्च न्यायालय और राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेंगे कि फास्ट ट्रैक न्यायालयों में कोई रिक्ति न हो। आज से तीन महीने के भीतर संबंधित और उस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। दूसरे शब्दों में, निर्धारित समय के भीतर सभी फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम।

राजस्थान के अन्य न्यायाधीशों का उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे।]

2.4 . इसके बाद मलिक मजहर सुल्तान और एक अन्य वी। यू. पी. लोक सेवा आयोग और अन्य के समय से संबंधित मुद्दे

न्यायिक सेवा में रिक्तियों की घोषणा और समय पर नियुक्तियाँ

इस न्यायालय द्वारा निम्नानुसार विचार किया गयाः

" 23. सभी स्तरों पर न्यायाधीशों की रिक्तियों को तेजी से निर्धारित करने और भरने के लिए एक तंत्र विकसित करना नितांत आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए रिक्तियों के निर्धारण के लिए समय पर कदम उठाने की आवश्यकता है।

विज्ञापन जारी करना, परीक्षाएँ आयोजित करना, साक्षात्कार, अंतिम परिणामों की घोषणा और नियुक्तियों के आदेश जारी करना। इन सभी और अन्य कदमों के लिए, यदि कोई हो, प्रावधान करना आवश्यक है

निश्चित समय अनुसूची ताकि प्रणाली स्वचालित रूप से काम करे और रिक्तियों को भरने में कोई देरी न हो। इन कदमों को उठाने की तारीखें कुछ अन्य सेवाओं में रिक्तियों को भरने या मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए सीटों को भरने के लिए दी जा सकती हैं। चिकित्सा प्रवेश को नियंत्रित करने वाले नियमों से जुड़ी अनुसूची हर साल सख्ती से पालन किए जाने वाले प्रत्येक चरण के लिए एक समय अनुसूची निर्धारित करती है। अपवाद वहाँ प्रदान किया जा सकता है जहाँ किसी दिए गए वर्ष में पर्याप्त संख्या में रिक्तियां नहीं होती हैं। सख्त समय अनुसूची का पालन रिक्तियों को समय पर भरना सुनिश्चित कर सकता है। सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और/या उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त उद्देश्यों के लिए समय सारिणी प्रदान करें ताकि हर साल होने वाली रिक्तियों को समय पर भरा जा सके। सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया जाता है कि वे तीन महीने के भीतर इस तरह से निर्धारित समय-सारणी और तारीख का विवरण दाखिल करें।

जो इस प्रकार निर्धारित समय अनुसूची चालू होगी।

2.5 . मलिक मजहर सुल्तान और अन्य मामले में अपीलों के निपटारे के बाद v. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सुझाव कुछ राज्य सरकारों द्वारा दिए गए थे और विद्वान न्यायमित्र द्वारा भी लिखित निवेदन दायर किए गए थे। अपने दिनांक 04.01.2017% के आदेश में, इस न्यायालय ने आगे के निर्देश और निर्धारित समय सीमा जारी की। पैराग्राफ से

7 इसके बाद जिला न्यायाधीशों के संवर्ग सहित विभिन्न संवर्गों में रिक्तियों को भरने के लिए निर्देश जारी किए गए।

2.6 . अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम में पारित दिनांक 20.04.2010 के आदेश द्वारा। भारत संघ और अन्य के पहले जारी किए गए निर्देश

1 (2006) 9 एस. सी. सी. 507

8 (2008) 17 एससीसी 703। 9 (2010) 15 एससीसी 170 [2020] 10 एस. सी. आर.

सीमित विभागीय प्रतिस्पर्धात्मक के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण

इस न्यायालय द्वारा संशोधन निम्नानुसार किया गया थाः

" 6. उपलब्ध विभिन्न रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के इस 25 प्रतिशत कोटे के लिए उपयुक्त संशोधन किया जाना चाहिए। पिछले अनुभव के साथ हमारा यह भी विचार है कि यह वांछनीय है कि 25 प्रतिशत आरक्षण को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया जाए। हम महसूस करते हैं कि इस प्रक्रिया द्वारा जो अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने की कोशिश की गई थी, वह प्राप्त नहीं हो सका

इसे प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इसमें संशोधन की आवश्यकता है।

7. इस प्रकार, हम निर्देश देते हैं कि अब से जिला न्यायाधीशों की संवर्ग संख्या का केवल 10 प्रतिशत उन उम्मीदवारों के साथ सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरा जाए, जिन्होंने सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) के रूप में पांच साल की योग्य सेवा प्राप्त की है। हर साल रिक्तियों का पता लगाया जाना है और चयन की प्रक्रिया की जानी है।

प्रगति, ऐसी प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है और खाली सीटें, यदि मेधावी उम्मीदवार उपलब्ध हैं, उन्हें भरा जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण से सीटें नहीं भरी जाती हैं, तो उन्हें नियमित पदोन्नति द्वारा भरा जा सकता है और पदोन्नति प्रक्रिया का सामान्य तरीका लागू किया जा सकता है। इस प्रकार हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं।

8. इसके बाद, बार से सीधी भर्ती के लिए 25 प्रतिशत सीटें होंगी, 65 प्रतिशत सीटें नियमित पदोन्नति द्वारा भरी जानी हैं।

सिविल जज (सीनियर डिवीजन) और 10 प्रतिशत सीटों को सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भरा जाना है। यदि उम्मीदवार

10 प्रतिशत सीटों के लिए उपलब्ध नहीं हैं, या परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं तो रिक्त पदों को नियमित रूप से भरा जाना है।

लागू सेवा नियमों के अनुसार पदोन्नति। 9. सभी उच्च न्यायालयों को यह देखने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है कि मौजूदा सेवा नियमों को 1-1-2011 से सकारात्मक रूप से संशोधित किया जाए। यदि नियमों में उपयुक्त रूप से संशोधन नहीं किया जाता है, तो यह आदेश लागू होगा और 1-1-2011 से आगे की भर्ती हमारे निर्देश के अनुसार जारी रखी जाएगी। दिनांकित 4-1-2007 आदेश में निर्धारित समय अनुसूची (मलिक मजहर सुल्तान मामले 8 में)

चयन के उद्देश्य के लिए सख्ती से पालन किया जाए।

सभी रिक्तियां दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य v. राजस्थान के अन्य न्यायाधीशों का उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे।]

उस विशेष वर्ष में भरे जाने हैं और कोई नहीं होगा

अधूरे पदों को आगे बढ़ाएँ।

3. राजस्थान राज्य में, न्यायालयों के गठन और न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से संबंधित मामलों को राजस्थान सिविल कोर्ट द्वारा निपटाया जाता था।

न्यायालय अध्यादेश, 1950, जिसने राज्य में सिविल न्यायालयों से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित किया। उक्त अध्यादेश का खंड 6 न्यायालयों के वर्गों से संबंधित था; खंड 8 जिला न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति से संबंधित था जबकि खंड 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित था। अनुच्छेद 233 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल ने राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के संबंध में उच्च न्यायालय के परामर्श से राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1969 ("1969 नियम", संक्षेप में) बनाए।

जिला न्यायाधीशों का संवर्ग, और अन्य सहायक मामलों के लिए प्रावधान करना।

'प्रत्यक्ष भर्ती', 'जिला न्यायाधीश',

' सेवा के सदस्य 'और' सेवा 'को नियम 3 में निम्नानुसार परिभाषित किया गया थाः

" (ग) "प्रत्यक्ष भर्ती" का अर्थ है मामले में भर्ती।

नियम 8 के खंड (ii) द्वारा विहित;

(घ) "जिला न्यायाधीश" में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सत्र शामिल हैं।

न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश;

(च) "सेवा के सदस्य" का अर्थ है सेवा में किसी पद के लिए पर्याप्त क्षमता में नियुक्त व्यक्ति;

(ज) "सेवा" का अर्थ है राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा "

3.1 . 1969 के नियमों के भाग-II और भाग-III में 'संवर्ग' और भर्ती और पदोन्नति के सिद्धांत और प्रक्रिया 'विषयों पर चर्चा की गई थी। नियम 6 उक्त भाग-II और III के तहत 9 निम्नानुसार थेः

" 6. सेवा की शक्ति।

(1) सेवा की शक्ति, जब तक कि उप-नियम (2) के तहत अलग-अलग आदेश पारित नहीं किए जाते हैं, तब तक अनुसूची I में निर्दिष्ट की जाएगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(2) राज्यपाल द्वारा समय-समय पर न्यायालय के परामर्श से सेवा की शक्ति में बदलाव किया जा सकता है।

(3) उप-नियम (1) और (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, राज्यपाल, न्यायालय के परामर्श से,

ऐसे समय के लिए स्थगन में सेवा में नियुक्ति जो वह

किसी भी व्यक्ति को मुआवजे का हकदार बनाए बिना, उचित समझते हैं।

7. पालन किए जाने वाले सिद्धांत और प्रक्रिया। - इस उद्देश्य के लिए

सेवा में भर्ती के लिए निम्नलिखित सिद्धांत और प्रक्रिया न्यायालय द्वारा निर्धारित भर्ती और पदोन्नति

पीछा किया। 8. भर्ती के स्रोत। - सेवा में भर्ती होगी

बनाया जाए -

(i) राजस्थान के सदस्यों में से पदोन्नति द्वारा

न्यायिक सेवा; या

((ii) अधिवक्ताओं से सीधी भर्ती द्वारा जिनके पास है

न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालयों में एक अवधि के लिए कार्य किया गया

सात वर्ष से कम नहीं।

9. सेवा में नियुक्ति। - (1) प्रावधानों के अधीन इन नियमों के अनुसार, सेवा में व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी।

न्यायालय की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा

समय-समय पर; बशर्ते कि नियुक्त व्यक्तियों की संख्या

प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा सेवा किसी भी समय एक तिहाई से अधिक नहीं होगी।

सेवा की कुल शक्ति।

(2) उप-नियम (1) के प्रावधानों के अधीन, पदोन्नति द्वारा नियुक्त प्रत्येक तीन व्यक्तियों के बाद, चौथा व्यक्ति, जहाँ तक है, संभव है, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया जाए। यदि एक उपयुक्त व्यक्ति

राजस्थान न्यायिक सेवा "। 3.2 . भाग-III में नियम 22 और 23 'अस्थायी या अस्थायी' से संबंधित हैं।

नियुक्ति 'और' चयन ई में पदों पर नियुक्तियाँ 'निम्नानुसार हैं:

" 22. अस्थायी या कार्यवाहक नियुक्ति। - जिस पर

अस्थायी या स्थायी रिक्तियों की घटना न्यायालय

राज्यपाल से दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम के उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करें।

राजस्थान के अन्य न्यायाधीशों का उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे।]

नियम 8 के खंड (i) के तहत पदोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों के बीच, अस्थायी या कार्यवाहक के लिए

नियुक्ति।

23. चयन श्रेणी में पदों पर नियुक्तियाँ।

सेवा के चयन श्रेणी के पदों पर नियुक्ति राज्यपाल द्वारा योग्यता के आधार पर न्यायालय के परामर्श से की जाएगी।

3.3 . 1969 के नियमों का भाग IV 'वरिष्ठता', 'परिवीक्षा' और 'पुष्टि' से संबंधित था। वरिष्ठता के मुद्दे से संबंधित नियम 24 निम्नानुसार थाः

" 24. वरिष्ठता। - इन नियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन, सेवा में वरिष्ठता एक स्थायी रिक्ति में मूल नियुक्ति के आदेश की तारीख से निर्धारित की जाएगी, जिसमें शामिल हैंः नियम 25 के तहत परिवीक्षा पर नियुक्तिः

बशर्ते कि एक पदोन्नत अधिकारी जिसे सीधे भर्ती की नियुक्ति की तारीख से पहले, एक तारीख से संवर्ग में स्थायी रिक्ति के खिलाफ लगातार कार्य करने की अनुमति दी गई हो, यदि वह बाद में चुना जाता है और सेवा में पर्याप्त रूप से नियुक्त किया जाता है, तो ऐसी सीधी भर्ती पर संवर्ग में उसकी वरिष्ठता लेगा।

बशर्ते कि सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों की वरिष्ठता उसी तारीख के आदेश द्वारा सेवा में एक से अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति के मामले में, उस आदेश का पालन करेगी जिसमें न्यायालय द्वारा उनके नामों की सिफारिश की गई है।

अनुसूची-I से 1969 तक के नियम 'सेवा की शक्ति' से संबंधित थे, जिसे जिला और सत्र न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीश के पद पर 89 बताया गया था।

जिला सत्र न्यायाधीश, जो समय के साथ बढ़कर 150 हो गए। 4. हालाँकि, अनुसूची I से 1969 के नियमों में दर्शाई गई संख्या से अधिक नियुक्तियाँ विभिन्न अवसरों पर की गई थीं। अध्यादेश के प्रावधानों के तहत जारी अधिसूचना द्वारा और 1969 के नियमों के नियम 6 (2) के तहत, जिला न्यायाधीशों के समक्ष लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए राज्य में 40 अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालयों की स्थापना की गई थी। दिनांक 1 की अधिसूचना द्वारा, लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए अध्यादेश और 1969 के नियमों के उपरोक्त प्रावधानों के तहत 13 और अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालयों की स्थापना की गई थी

जिला न्यायालयों के समक्ष। इसके अलावा, जिला न्यायाधीशों के समक्ष लंबित मामलों के त्वरित निपटान के लिए उपरोक्त शक्तियों के अनुसरण में 30 अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालयों की फिर से स्थापना की गई।

0] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह उल्लेख किया जा सकता है कि हालांकि बृज मोहन लाल मामले में इस न्यायालय के फैसले ने तीन स्रोतों का संकेत दिया था जिनसे उम्मीदवार फास्ट ट्रैक न्यायालयों के संचालन के लिए नियुक्त किया जा सकता था, राजस्थान राज्य में उम्मीदवारों को केवल एक स्रोत से लिया गया था, अर्थात् फीडर कैडर के व्यक्तियों को तदर्थ/कार्यवाहक पदोन्नति के माध्यम से। सीनियर

सिविल जज कैडर। किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति या बार से भर्ती के माध्यम से नहीं की गई थी।

5. अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम संघ में इस न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जारी आदेश दिनांक 07.05.2003 द्वारा

भारत सरकार और अन्य 1 और प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार, 71 पदों को "चयन पैमाने" में स्वीकार किया गया था, जबकि 29 पदों को वर्ष 2002-2003 के लिए उच्च न्यायिक सेवा में "सुपर टाइम पैमाने" में पाया गया था।

6. 20.10.2003 पर, उच्च न्यायालय द्वारा उच्च न्यायिक में सीधी भर्ती के लिए 19 रिक्तियों को अधिसूचित करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई थी

सेवा करते हैं। इन 19 रिक्तियों में से 11 को वर्तमान रिक्तियों के रूप में दिखाया गया था जबकि 8 को बैकलॉग रिक्तियों के रूप में दिखाया गया था। एसोसिएशन द्वारा 2003 की रिट याचिका (सिविल) No.576 के माध्यम से इस न्यायालय में एक चुनौती दी गई थी जिसमें कहा गया था कि प्रत्यक्ष भर्ती के लिए कोई रिक्तियां नहीं थीं और इस तरह से 20.10.2003 की अधिसूचना अमान्य थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि तारीख तक, 220 अधिकारी जिला न्यायाधीशों और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में काम कर रहे थे।

7. आई. डी. 1 को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कैडर के 22 न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किया गया था। (फास्ट ट्रैक)।

8. जिला न्यायाधीश के स्तर पर नियमित पदोन्नति से संबंधित मामले, जिसमें वे मामले भी शामिल हैं जिन्हें पदोन्नत किया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा 1969 के नियमों के नियम 22 के तहत अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) पर विचार किया जा रहा था। उक्त मुद्दों पर विचार करने के लिए गठित समिति की एक रिपोर्ट 23.08.2008 पर प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद मामले को पूर्ण न्यायालय के समक्ष 29.11.2008 पर रखा गया और उसके बाद मामले को क्रमशः 13.02.2009,31.10.2009 और 20.03.2010 * * पर स्थगित कर दिया गया।

दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम। राजस्थान के अन्य न्यायाधीशों का उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे।]

9. दिनांक 11.01.2008 के आदेश द्वारा, 2019 की रिट याचिका (सिविल) No.464 में याचिकाकर्ताओं सहित कुछ न्यायिक अधिकारियों को फास्ट ट्रैक अदालतों को चलाने के लिए तदर्थ आधार पर अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किया गया था। आदेश में कहा गया है:

" राजस्थान उच्च न्यायालय की सिफारिश पर, राजस्थान राज्य के राज्यपाल ने निम्नलिखित 37 अधिकारियों को अतिरिक्त जिले के रूप में नियुक्त/पदोन्नत किया है और अस्थायी रूप से नियुक्त करने के लिए विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर न्यायाधीश नियुक्त किए हैं।

फास्ट ट्रैक कोर्ट "।

9.1 इसके बाद अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों (फास्ट ट्रैक) के पद पर उक्त न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण/नियुक्ति का निर्देश देते हुए एक परिणामी आदेश पारित किया गया।

9.2 पूर्ण न्यायालय द्वारा दिनांक 2 की अपनी बैठक में लिए गए निर्णय के संदर्भ में, दिनांक 1 के आदेश द्वारा नियुक्त उक्त 37 न्यायिक अधिकारियों में से 34 के परिवीक्षा की अवधि को अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया था।

10. 07.07.2009 पर, 2003 की रिट याचिका (सिविल) No.576 में एसोसिएशन द्वारा उठाई गई चुनौती का फैसला इस अदालत द्वारा राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारी संघ बनाम में अपने फैसले के माध्यम से किया गया था। की स्थिति राजस्थान और दूसरा "। इस न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि 1969 के नियमों के अनुसार स्वीकृत संख्या केवल 150 थी और 25 प्रतिशत पदों को प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा भरा जा सकता था, जबकि 41 प्रत्यक्ष भर्ती पहले से ही उच्च न्यायिक सेवा में काम कर रहे थे। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए कोई महत्वपूर्ण रिक्ति उपलब्ध नहीं थी। याचिका को स्वीकार कर लिया गया और 20.10.2003 की अधिसूचना को दरकिनार कर दिया गया। इस न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार थीं:

" 8. याचिकाकर्ता के अनुसार, आर. एच. जे. एस. की कुल संवर्ग संख्या 150 है और आर. एच. जे. एस. में पहले से ही 41 सीधी भर्तियां हो रही हैं। चूंकि संवर्ग की कुल संख्या 150 है और उच्च न्यायालय द्वारा 25 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने का निर्देश दिया गया था, इसलिए सीधी भर्ती के लिए कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं थे क्योंकि 150 में से 25 प्रतिशत 37 हैं, जबकि 41 सीधी भर्तियां पहले से ही आर. एच. जे. एस. में काम कर रही थीं। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि यदि 19 रिक्तियों को प्रत्यक्ष भर्ती का 25 प्रतिशत माना जाना चाहिए तो पदोन्नति द्वारा आर. एच. जे. एस. में कम से कम 57 नई नियुक्तियां होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।

1 (2009) 14 एस. सी. सी. 656 [2020] 10 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. हमारी राय में, जैसा कि हमने वीणा वर्मा मामले में माना था, कैडर की संख्या 240 नहीं बल्कि केवल 150 है क्योंकि सेवा की संख्या राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा नियमों के नियम 6 (2) के अनुसार है।

सेवा में बदलाव नहीं किया जा सकता है, जैसा कि हमने वीणा वर्मा मामले में कहा था। अभी तक हमें बताया गया है कि नियम 6 (2) के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। 12. हमने राजस्थान राज्य द्वारा दायर जवाबी-हलफनामे और मामले में दायर जवाबी-हलफनामे का भी अध्ययन किया है। यह प्रत्युत्तर-शपथपत्र के पैरा 3 में कहा गया है कि आक्षेपित

अधिसूचना 1999 की विशेष अनुमति याचिका संख्या 9346 में दिनांकित 28-9-2000 के स्थगन आदेश का उल्लंघन है, जिसमें DB (C) Spl में दिनांकित 30-4-1999 के आदेश के संचालन पर रोक लगाई गई है। 1998 का आवेदन सं. 410। प्रत्युत्तर-शपथपत्र के पैरा 6 में कहा गया है कि आज की तारीख में जिला न्यायाधीशों और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में 220 अधिकारी काम कर रहे हैं और इस प्रकार कोई मौजूदा अधिकारी नहीं हैं।

रिक्तियां।

13. हमारी राय में, इस रिट याचिका की अनुमति दी जानी चाहिए। वीणा वर्मा मामला 1 2 में हमारे निर्णय को देखते हुए यह माना जाना चाहिए कि मौजूदा नियम के तहत आर. एच. जे. एस. की सेवा की संख्या 150 है और चूंकि 41 सीधी भर्तियां पहले से ही काम कर रही हैं, इसलिए कोई महत्वपूर्ण रिक्ति नहीं है। इसलिए विवादित अधिसूचना अवैध है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और विवादित अधिसूचना को रद्द कर दिया जाता है। हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से नियम 6 (2) के अनुसार नियमों की अनुसूची I में संशोधन कर सकती है और इस प्रकार सेवा की संख्या में बदलाव हो सकता है। 14. याचिकाकर्ता ने यह रिट याचिका दायर की है जिसमें उत्तरदाताओं को अधिसूचना संख्या के तहत शुरू की गई चयन प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश देने की मांग की गई है। ऐसा है। (आर. जे. एस.)/118/2003 दिनांक 20-10-2003। जैसा कि हमने 2003 की डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 576 में उक्त अधिसूचना को रद्द कर दिया है, इस रिट याचिका [2007 की डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 275] को खारिज कर दिया गया है क्योंकि

निष्फल हो जाते हैं। "

11. उसी दिन, इस न्यायालय द्वारा एक निर्णय दिया गया था

राजस्थान के लिए न्यायिक न्यायालय बनाम। वीणा वर्मा और

उसका 1 2, जो अन्य बातों के साथ-साथ इस बात पर विचार करता है कि क्या अधिसूचना दिनांकित है

9) 14 एस. सी. सी. 734 दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम। राजस्थान आन लोकक उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे.]

. 1996 उच्च न्यायिक सेवा में 11 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं

प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा राजस्थान राज्य वैध था। यह था।

वेद ने कहा कि प्रत्यक्ष भर्ती के लिए 11 पद उपलब्ध नहीं थे। जबकि

चुनौती के साथ, यह देखा गया,

" 33. यह उल्लेख किया जा सकता है कि पद बनाए जा सकते हैं

कैडर पद। इसलिए हमारी राय में अस्थायी या स्थायी अनुसूची में पदों की संख्या से अधिक रिक्तियां या पद बनाए गए हैं

नियम 6 (2) के तहत एक विशिष्ट आदेश के बिना I

नियम केवल पूर्व संवर्ग के पद हैं, और केवल इसके द्वारा भरे जा सकते हैं

34.यह ध्यान दिया जा सकता है कि नियम 9 (2) में "जहाँ तक" शब्दों का उपयोग किया गया है। संभव है "। हमारी राय में, इसका मतलब है कि कोई कठिन-और-तेज़ नहीं है

नियम है कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त प्रत्येक तीन व्यक्तियों के बाद,

चौथे व्यक्ति को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया जाना है। हमारे देश में राय, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने गलत दिया है

नियमों के नियम 9 (2) की व्याख्याः

" यह उत्तरदाताओं को नियुक्त करने से इनकार करने का लाइसेंस नहीं देता है।

प्रत्येक चौथा व्यक्ति इस आधार पर सीधी भर्ती द्वारा कि वह

रखरखाव के अलावा किसी अन्य कारण से संभव नहीं था

उप-नियम द्वारा लगाए गए कुल बल के एक तिहाई की सीमा

(1) प्रत्यक्ष भर्ती पर नियम 9 "।

हमारी राय में यह डिवीजन बेंच द्वारा लिया गया एक गलत दृष्टिकोण है उच्च न्यायालय जैसा कि "जहाँ तक संभव हो" शब्दों से स्पष्ट है

नियम 9 (2) में। ये शब्द अधिकारियों को विवेक प्रदान करते हैं, और

न्यायालय इस विवेकाधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जब तक कि यह स्पष्ट रूप से न हो।

मनमाना।

[जोर दिया गया]

35. हमारी राय में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने गलती की

यह अभिनिर्धारित करने में कि प्रत्यक्ष भर्ती के उद्देश्य से

बिना संवर्ग के बाहर बनाए गए अस्थायी या स्थायी पद

अनुसूची I में संशोधन को भी गणना करते समय शामिल किया जाना था।

सेवा की ताकत। डिवीजन बेंच ने भी गलती की यह मानते हुए कि जब भी पद बनाए जाते हैं, सेवा की ताकत

माना जाता है कि स्वचालित रूप से बढ़ाया गया है, हालांकि वहाँ है

इस संबंध में अनुसूची I में संशोधन करते हुए नियम 6 (2) के तहत कोई आदेश नहीं।

0] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हमारी राय में, अनुसूची I में संशोधन करने वाले नियम 6 (2) के तहत एक विशिष्ट आदेश होना चाहिए अन्यथा यह नहीं कहा जा सकता है कि संवर्ग की संख्या में वृद्धि की गई है। इसलिए, हमारी राय में, संवर्ग के बाहर बनाए गए अस्थायी या स्थायी पदों को संख्या निर्धारित करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

कैडर "।

12. 18.01.2010 पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के साथ पठित अनुच्छेद 233 और 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

राजस्थान के राज्यपाल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श से राजस्थान न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा से संबंधित पदों पर भर्ती और शर्तों और अन्य मामलों को विनियमित करने के लिए नियम बनाए। इन नियमों को राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (संक्षेप में 2010 नियम) कहा जाता है।

12.1 नियम 3 के खंड (बी), (सी), (जी) और (1) में "संवर्ग", "संवर्ग पद", "सेवा सदस्य" और "महत्वपूर्ण नियुक्ति" शब्दों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

(ग) "संवर्ग पद" का अर्थ अनुसूची-I में निर्दिष्ट कोई भी पद है;
(छ) "सेवा के सदस्य" का अर्थ है एक नियुक्त व्यक्ति।

इन प्रावधानों के तहत सेवा में एक पद के लिए पर्याप्त रूप से

नियम; और
(1) " पर्याप्त नियुक्ति का अर्थ है इन नियमों के प्रावधानों के तहत इन नियमों के तहत निर्धारित भर्ती के किसी भी तरीके से उचित चयन के बाद एक महत्वपूर्ण रिक्ति के लिए की गई नियुक्ति और इसमें परिवीक्षा पर नियुक्ति शामिल है जिसका पालन किया जाता है।

परिवीक्षा अवधि के पूरा होने पर पुष्टि द्वारा "।

12.2 2010 के नियमों का भाग-II "संवर्ग" से संबंधित है और नियम 5 निर्धारित करता है

कि नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से राजस्थान न्यायिक सेवा का पुनर्गठन किया जाएगा और निम्नलिखित में पुनर्निर्दिष्ट किया जाएगाः

तीन संवर्गः

(क) जिला न्यायाधीश

(ख) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, और

((ग) सिविल न्यायाधीश।

दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम। राजस्थान आन लोकक उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे.]

नियम 6 "सेवा की शक्ति" से संबंधित है और निम्नलिखित के लिए है।

टी.

" (1) प्रत्येक संवर्ग में सेवा की शक्ति और अन्य पदों की संख्या सरकार द्वारा समय-समय पर न्यायालय के परामर्श से निर्धारित की जाएगी और सेवा में प्रत्येक संवर्ग में मौजूदा पद अनुसूची-I में निर्दिष्ट किए गए होंगे।

(2) सेवा के सदस्यों द्वारा संचालित अन्य पदों की संख्या अनुसूची-II में निर्दिष्ट के अनुसार होगी जब तक कि उसी में परिवर्तन करने वाला कोई आदेश उप-नियम (1) के तहत जारी नहीं किया जाता है:

बशर्ते कि राज्य सरकार, न्यायालय के परामर्श से, किसी भी स्थायी या अस्थायी पद का सृजन कर सकती है।

समय-समय पर जो आवश्यक समझा जाए और इस तरह के किसी भी पद या पद को समान तरीके से समाप्त कर सकता है।

किसी भी प्रकार के दावे के लिए किसी भी व्यक्ति पर कोई अधिकार।

12.3 . 2010 के नियमों का भाग-III "सामान्य" विषय से संबंधित है।

पद और नियम 7,8 और 15 निम्नानुसार हैं:

" 7. रिक्तियों का निर्धारण: (1) के प्रावधानों के अधीन

इन नियमों के अनुसार, न्यायालय अनुसूची-III में निर्दिष्ट समय अनुसूची के अनुसार प्रत्येक संवर्ग में मौजूदा और अपेक्षित रिक्तियों की वास्तविक संख्या निर्धारित और अधिसूचित करेगा।

(3) जहां संवर्ग में रिक्तियों को एक से अधिक तरीकों से भरा जाना है, रिक्तियों का विभाजन निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है - उप-नियम (1), ऐसी प्रत्येक विधि के लिए विशेष विधि के लिए निर्धारित प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

पहले से भरे गए पदों की कुल संख्या पर विचार करें:

बशर्ते कि जिला न्यायाधीश के संवर्ग में रिक्तियों को भरने के लिए विभाजन प्रत्येक श्रेणी के संबंधित कोटे के एक चक्रीय क्रम में किया जाएगा, यानी पदोन्नति योग्यता-सह के आधार पर।

वरिष्ठता, सीमित प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर पदोन्नति

परीक्षा और प्रत्यक्ष भर्तीकर्ता।

8.जाँच: - जिला न्यायाधीश और सिविल न्यायाधीश के संवर्ग में रिक्तियों को भरने के लिए, भर्ती प्राधिकरण द्वारा अनुसूची में निर्दिष्ट समय अनुसूची के अनुसार परीक्षा आयोजित की जाएगी। III.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. अस्थायी या कार्यवाहक नियुक्तियाँः - घटना पर

जिला न्यायाधीश या वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के संवर्ग में, यथास्थिति, अस्थायी या स्थायी रिक्ति की, नियम 7 के तहत रिक्तियों का निर्धारण करते समय विचार में नहीं लिया गया और यदि न्यायालय की राय में ऐसी रिक्ति को तुरंत भरा जाना है, तो न्यायालय नियुक्ति प्राधिकरण को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों के नामों की सिफारिश करेगा और ऐसी नियुक्ति इस तरह से नियुक्त व्यक्ति को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

12.4 . भाग IV "भर्ती के तरीकों" से संबंधित है जिसके तहत सिविल न्यायाधीश के संवर्ग में टूट "और" संवर्ग के वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश में भर्ती "से उप-भाग ए 3 के नियम 16 से 30 में निपटा गया है, जबकि" जिला न्यायाधीश के संवर्ग में भर्ती "से निपटा गया हैः उप-भाग सी. नियम 31 भर्ती के स्रोत से संबंधित है, जो इस प्रकार हैः

" 31. भर्ती का स्रोतः (1) संवर्ग में पचास प्रतिशत पद

जिला न्यायाधीशों को पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा। योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश

अनुसूची-IV के तहत प्रदान की गई उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करना।

(2) जिला न्यायाधीश के संवर्ग में पँचिश प्रतिशत पद आयोजित सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से योग्यता के आधार पर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों से पदोन्नति द्वारा भरा जाए

अदालत द्वारा।

(3) जिला न्यायाधीश के संवर्ग में पँचिश प्रतिशत पदों को पात्रों में से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर अधिवक्ता

न्यायालय द्वारा संचालित।

(4) उचित रखरखाव और निर्धारण के उद्देश्य से

उपरोक्त स्रोतों के माध्यम से नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता, अनुसूची-VII में दिए गए रिक्तियों के कोटा के आधार पर रिक्तियों को भरने के लिए एक रोस्टर बनाए रखा जाएगा। यह सूची संभावित रूप से काम करेगी। "

12.5 . इसके बाद संबंधित विषयों को (I) पदोन्नति, (II) प्रत्यक्ष भर्ती और (III) आशय नामक तीन विषयों के तहत निपटाया जाता है। "पदोन्नति द्वारा भर्ती" से संबंधित नियम 32 इस प्रकार हैः

" 32. पदोन्नति द्वारा भर्तीः - (1) जिला न्यायाधीश संवर्ग में पचास प्रतिशत पदों को दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य में से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा।

योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर न्यायालय द्वारा अनुशंसित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, जैसा कि प्रदान किया गया है, उपयुक्तता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के अधीन अनुसूची-VI में।

व्याख्याः " पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने से प्रभावित नहीं होगा

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के संवर्ग में अधिकारियों की अंतर-वरिष्ठता।

(3) एक वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश जिसने वास्तविक पाँच वर्ष पूरे कर लिए हों। आवेदनों की प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से पहले जनवरी के पहले दिन की सेवा संवर्ग में पदोन्नति के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र होगी।

जिला न्यायाधीश। (4) सीमित प्रतियोगी परीक्षा के उद्देश्य से,

न्यायालय द्वारा सभी पात्र वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों से आवेदन इस तरह से और ऐसे प्रपत्र में आमंत्रित किए जाएंगे जो निर्दिष्ट किए जाएं।

अदालत द्वारा।

(5) सीमित प्रतियोगी परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।

मुख्य न्यायाधीश, प्रशासनिक न्यायाधीश से बनी समिति द्वारा

और मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित दो अन्य न्यायाधीश। द.

निष्पादन को ध्यान में रखते हुए समिति

परीक्षा, सेवा अभिलेख और प्रदर्शन

साक्षात्कार उपयुक्तता का आकलन करेगा और नामों की सिफारिश करेगा।

पदोन्नति के लिए कार्यालयों का "।

12.6 भाग-डी "परिवीक्षा", "पुष्टि" से संबंधित है और

श्रेष्ठता "। "नियुक्ति" से संबंधित उपशीर्षक मुद्दे से संबंधित है

एमबाइन्ड चयन सूची निम्नानुसार हैः

" 42. संयुक्त चयन सूचीः न्यायालय एक संयुक्त चयन सूची तैयार करेगा जिसमें उम्मीदवारों के नाम चक्रीय रूप में दिए गए हैं।

अनुसूची-VII नियम 32 और 41 के उप-नियम (1) और (5) के तहत तैयार किए गए अभिलेख से इसे नियुक्ति प्राधिकरण को भेजें।

12.7 वरिष्ठता के मुद्दे को नियम 47 द्वारा निम्नानुसार निपटाया गया हैः

" 47. वरिष्ठताः इन नियमों के अन्य प्रावधानों के अधीनः

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(1) सिविल न्यायाधीश के संवर्ग में सेवा में वरिष्ठता होगी

मूल के आदेश की तारीख से निर्धारित

सेवा में नियुक्तिः

बशर्ते कि सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों की वरिष्ठता, अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति के मामले में होगी

उस क्रम का पालन करें जिसमें उन्हें नियम 24 के तहत भर्ती प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई सूची में रखा गया है।

इन नियमों में से।

(2) उसी वर्ष वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संवर्ग में पदोन्नत व्यक्तियों की अंतर-वरिष्ठता वही होगी जो पदोन्नति के समय उनके द्वारा धारण किए गए पद पर थी।

(3) जिला न्यायाधीश संवर्ग में सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता किससे निर्धारित की जाएगी

संवर्ग में मूल नियुक्ति के आदेश की तिथि।

बशर्ते कि कैडर में सीधी भर्ती करने वाले की वरिष्ठता, एक ही चयन के आदेश द्वारा एक से अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति के मामले में, उस आदेश का पालन करेगी जिसमें उन्हें न्यायालय द्वारा तैयार की गई सूची में रखा गया है नियम 41.

(4) उसी वर्ष जिला न्यायाधीश संवर्ग में पदोन्नत व्यक्तियों की अंतर-वरिष्ठता वही होगी जो उस पद पर थी।

पदोन्नति के समय उनके द्वारा आयोजित।

(5) जिला न्यायाधीश के संवर्ग में नियुक्त पदोन्नति की तुलना में प्रत्यक्ष भर्ती की वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी।

संयुक्त चयन सूची में रखे गए उनके नामों के क्रम में

नियम 42 के तहत तैयार किया गयाः

बशर्ते कि नियम 15 के तहत पदोन्नत व्यक्ति ऐसा नहीं करेंगे

प्रत्यक्ष भर्तीकर्ता पर वरिष्ठता दी जाए।

12.8 नियम 57 ने 1969 के नियमों को निरस्त कर दिया और निम्नलिखित कार्यों में बचत के लिए प्रावधान किएः

" 57. निरसन और बचतः राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा नियम, 1969 और राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 1955 समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं, जिन्हें निरस्त किया जाता हैः

बशर्ते कि ऐसा निरसन किए गए किसी भी आदेश को प्रभावित नहीं करेगा,

की गई कार्रवाई, किए गए किसी भी कार्य के प्रभाव और परिणाम या कुमार गुप्ता और अन्य कार्य।

राजस्थान के अन्य न्यायाधीशों का उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे।]

किसी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व के तहत या उसके तहत पहले से अर्जित, उपार्जित या उपगत, या जांच, सत्यापन, या उसके संबंध में की गई कार्यवाही।

12.9 अनुसूची I जो नियमों के नियम 3 (सी) और नियम 6 (1) के लिए संदर्भित है, "सेवा की संवर्ग शक्ति" विषय और भाग ए से संबंधित है।

"जिला न्यायाधीश संवर्ग" से संबंधित है जो विभिन्न पदनामों की गणना करता है

उक्त संवर्ग में कुल 223 और छुट्टी, प्रशिक्षण, प्रतिनियुक्ति आदि के लिए 10 प्रतिशत आरक्षित रखा गया है। ; इस प्रकार कुल संख्या 245 हो गई। भाग बी और

इस अनुसूची का सी "वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संवर्ग" और "सिविल न्यायाधीश संवर्ग" से संबंधित है और क्रमशः 222 और 329 संख्या निर्धारित करता है। 12.10 अनुसूची II जो 2010 के नियमों के नियम 6 (2) के लिए संदर्भित है, "सेवा की शक्ति" विषय से संबंधित है। भाग-ए उसकी गणना करता है

"जिला न्यायाधीश संवर्ग" में संबंधित पदों के लिए विभिन्न पदनाम और उपयुक्त संख्या, जिसमें 83 "अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक)" सहित 102 पदों का उल्लेख किया गया है। एक ही अनुसूची में, भाग बी और सी क्रमशः "वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संवर्ग" और "सिविल न्यायाधीश संवर्ग" से संबंधित हैं और उक्त दो भागों के खिलाफ उल्लिखित संख्या क्रमशः 7 और 4 है।

12.11 अनुसूची VII, जो नियम 31 (4) के लिए संदर्भित है, जिला न्यायाधीश संवर्ग में रिक्तियों को सीधे भरने के लिए सूची निर्धारित करती है।

भर्ती और पदोन्नति द्वारा "। सूची में पहले चार अंक इस प्रकार हैं:

1. पदोन्नति-योग्यता-सह-वरिष्ठता द्वारा

2. पदोन्नति-योग्यता-सह-वरिष्ठता द्वारा

3. पदोन्नति द्वारा-सीमित प्रतियोगी परीक्षा

4. सीधी भर्ती द्वारा।

उक्त पैटर्न का बाद में 1313 के क्रम में पालन किया जाता है।

13. 31.03.2010 पर उच्च न्यायालय द्वारा जिला न्यायाधीश के संवर्ग में 58 रिक्तियों को भरने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी। इस प्रकार अधिसूचित 58 रिक्तियों में से 36 रिक्तियों को बार से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना था, जबकि शेष 22 रिक्तियों को भरा जाना था।

एल. सी. ई. के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है जैसा कि नियम 7,8,32 (1) और 40 (1) में अनुसूची-II से 2010 के नियमों के साथ प्रदान किया गया है। इस भर्ती में, नहीं

13 इसके बाद प्रारूप को अधिसूचना दिनांक 31.08.2012 के माध्यम से संशोधित किया गया था, हालांकि तीन स्रोतों के बीच अनुपात को बरकरार रखा गया था।

पदोन्नतियों के लिए 50 प्रतिशत पदोन्नति कोटा का प्रावधान किया गया था। इसके बाद, एल. सी. ई. द्वारा भरे जाने वाले जिला न्यायाधीश संवर्ग के 22 पदों के लिए और प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से 36 रिक्तियों को भरने के लिए विचार किए जाने के लिए पांच साल की वास्तविक सेवा पूरी करने वाले वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई। 14. मलिक मजहर सुल्तान और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2009 के आई. ए. संख्या 73 में उच्च न्यायालय की ओर से एक हलफनामा दायर किया था। उक्त हलफनामे में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया रुख इस प्रकार था:

माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय-सारणी हो सकती है - मसौदा नियम, 2003 में संशोधन और इसकी उचित घोषणा के बाद ही इसे लागू किया गया। 2003 के मसौदा नियमों में संशोधन के लिए उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायालय की मंजूरी और राजस्थान लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श की आवश्यकता होती, जिसके परिणामस्वरूप 2003 के मसौदा नियमों की घोषणा में और देरी होती। इसलिए, राजस्थान द्वारा निर्देश और संशोधन के लिए 11.07.2008 दिनांकित एक आवेदन को प्राथमिकता दी गई।

माननीय न्यायालय के समक्ष उच्च न्यायालय और यह प्रार्थना की गई थी कि

माननीय न्यायालय प्रसन्न हो सकता है:

(क) आवेदन की अनुमति देना और आवेदक/राजस्थान उच्च न्यायालय को नियम, 2003 के मसौदे की अनुसूची-III में संलग्न कैलेंडर का पालन करने की अनुमति देना; और दीनेश कुमार गुप्ता और अन्य v.

(ख) आवेदक को माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय अनुसूची को लागू करने से छूट देना, जब तक कि मसौदा नियम 2003 को अंतिम रूप नहीं दिया जाता और विधिवत घोषित नहीं किया जाता है।

निर्देश और संशोधन के लिए यह आवेदन आई. ए. No.39 के रूप में पंजीकृत किया गया था। उसी की प्रति इसके साथ संलग्न की गई है और अनुलग्नक-आर 1 के रूप में चिह्नित की गई है।

4. यह प्रस्तुत किया जाता है कि जबकि आई. ए. No.39 राजस्थान द्वारा पसंद किया जाता है उच्च न्यायालय में रिक्तियों को भरने के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से एक तथ्यात्मक रिपोर्ट, इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 24.07.2008 के आदेश के अनुसरण में, विचाराधीन थी।

माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में अधीनस्थ न्यायपालिका को उत्तरदाता द्वारा दिनांक 27.08.2008 के एक हलफनामे के माध्यम से दायर किया गया था। उसी की सही प्रति इसके साथ संलग्न की गई है और अनुलग्नक-आर-2 के रूप में चिह्नित है।

5. यह प्रस्तुत किया जाता है कि के साथ तथ्यात्मक रिपोर्ट पर विचार करते हुए

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 27.08.2008 (अनुलग्नक-R-2) के माध्यम से दायर अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरने के संबंध में, माननीय न्यायालय ने अपने दिनांकित 23.09.2008 (अनुलग्नक-A-1) के आदेश को खारिज कर दिया।

राजस्थान उच्च न्यायालय।

6. यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस बीच माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित समय अनुसूची और अन्य आवश्यक संशोधनों को शामिल करते हुए मसौदा नियम 2003 का नाम बदलकर "राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010" (इसके बाद इसे नियम, 2010 के रूप में संदर्भित किया जाएगा) कर दिया गया है और इन्हें विधिवत रूप से राजस्थान राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू कर दिया गया है।

7. यह प्रस्तुत किया जाता है किः आई. ए. जमा करने की तारीख यानी 10.10.2009 पर, राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के कैडर में 75 रिक्तियां और सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के कैडर में 33 रिक्तियां थीं। 8. यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिले के संवर्ग में पदोन्नति के संबंध में मामले पर विचार करने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित माननीय न्यायाधीशों की समिति की दिनांक 23.08.2008 की एक रिपोर्ट।

अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (नियमित), अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) के पद पर न्यायाधीश और [2020] 10 एस. सी. आर.

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर पदोन्नति की सिफारिश करने वाले सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद को 29.11.2008,13.02.2009 और 31.10.2009 पर आयोजित अपनी बैठक में माननीय पूर्ण न्यायालय के समक्ष रखा गया था, लेकिन मतभेद के कारण, माननीय समिति की रिपोर्ट को पूर्ण न्यायालय द्वारा अनुमोदित नहीं किया जा सका। तथापि, माननीय पूर्ण न्यायालय ने 31.10.2009 पर आयोजित अपनी बैठक में सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) के पद से सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) के पद पर 33 अधिकारियों की पदोन्नति करने की सीमा तक माननीय समिति की दिनांकित 23.08.2008 की रिपोर्ट को मंजूरी दी। नतीजतन, 33 अधिकारियों को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद से सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर पदोन्नत किया गया है। दिनांकित आदेश की प्रति

30.11.2009 इसके साथ संलग्न किया गया है और अनुबंध-आर/3 के रूप में चिह्नित किया गया है।

9. यह प्रस्तुत किया जाता है कि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (नियमित) और अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) के पद पर पदोन्नति देने के संबंध में माननीय समिति की दिनांकित रिपोर्ट को फिर से माननीय पूर्ण न्यायालय के समक्ष विचार के लिए रखा गया था। जिसके बाद यह तय किया गया कि रिपोर्ट की आवश्यकता है

बाद की अवधि के लिए भी सेवा रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद पदोन्नति समिति द्वारा पुनर्विचार और पदोन्नति समिति को परिसंचरण द्वारा माननीय पूर्ण न्यायालय के समक्ष रखा जाए। पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव के अनुसार, माननीय समिति ने आई. डी. 1 पर अपनी बैठक बुलाई और राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के नियम 15 में संशोधन का सुझाव देते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। माननीय समिति की इस रिपोर्ट को 10.04.2010 पर आयोजित अपनी बैठक में माननीय पूर्ण न्यायालय के समक्ष रखा गया था, जिसके बाद राजस्थान न्यायिक सेवा के नियम 15 में संशोधन के संबंध में मामले को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था।

नियम, 2010 और पूर्ण न्यायालय के अनुसार पदोन्नति के संबंध में मामले पर पुनर्विचार करने के लिए समिति से फिर से अनुरोध करने का भी निर्णय लिया गया संकल्प दिनांक 20.03.2010। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार माननीय समिति की बैठक 12.04.2010 और 13.04.2010 पर तय की गई है।

10. यह प्रस्तुत किया जाता है कि राजस्थान बनाम वीणा वर्मा और अन्य के लिए सिविल अपील No.5699/2000 उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिनांक 07.07.2009 के फैसले के बाद। और माननीय दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य द्वारा दी गई उसी तारीख का निर्णय v.

राजस्थान के अन्य न्यायाधीशों का उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे।]

लिखित याचिका सिविल No.576/2003 आर. जे. एस. ऑफिसर्स एसोसिएशन में न्यायालय। बनाम राजस्थान राज्य और अन्य। राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा में सीधी भर्ती के लिए रिक्तियों के निर्धारण का मामला था

माननीय पूर्ण न्यायालय के समक्ष संचरण मामला संख्या 10/2009 के माध्यम से 18.07.2009 पर रखा गया और माननीय न्यायाधीशों की अलग राय के कारण, 16.09.2009 पर माननीय मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि फाइल को बाद में ऊपर उठाएँ। इस बीच, राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 डब्ल्यू. ई. एफ. 19.01.2010 लागू हुआ। इसलिए यह मामला

2010 के नियमों के तहत प्रत्येक संवर्ग में रिक्तियों पर विचार करने के संबंध में माननीय पूर्ण न्यायालय द्वारा 24.01.2010 पर आयोजित अपनी बैठक में विचार किया गया था और इसे स्थगित करने का संकल्प लिया गया था। आई. डी. 1 पर आयोजित अपनी बैठक में इस मामले को फिर से माननीय पूर्ण न्यायालय के समक्ष रखा गया और राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के अनुसार, आई. डी. 2 तक जिला न्यायाधीश संवर्ग में श्रेणीवार रिक्ति को निम्नानुसार निर्धारित करने का समाधान किया गया है - ((a) प्रचार करके

49

(ख) सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा

22

(ग) प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा

36

1

15. अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों की पदोन्नति के संबंध में समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के संबंध में मामला, जिसमें फास्ट ट्रैक अदालतों का संचालन करने वाले न्यायाधीश भी शामिल थे, पूर्ण न्यायालय द्वारा 20.03.2010 * * पर लिया गया था। मार्च-अप्रैल 2010 में, समिति की रिपोर्ट और सभी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के रिकॉर्ड

संबंधित उम्मीदवारों पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया और जिन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में पदोन्नत किया गया था और

पूर्ण न्यायालय द्वारा मूल आधार पर जिला न्यायाधीश के संवर्ग में कुछ उम्मीदवारों की पदोन्नति को मंजूरी दी गई थी।

16. आई. डी. 2 पर राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12/आई. डी. 1 के अपने प्रस्ताव में की गई सिफारिश को ध्यान में रखते हुए एक औपचारिक आदेश जारी किया गया था, जिसमें फास्ट ट्रैक अदालतों का संचालन करने वाले 47 न्यायिक अधिकारियों को समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के स्तर पर पदोन्नत किया गया था।

रिपोर्ट दिनांक 23.08.2008 ("47 न्यायिक अधिकारी", संक्षेप में)। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 47 न्यायिक अधिकारियों को उच्च न्यायालय द्वारा सूचित नहीं किया गया था कि वे एल. सी. ई. में उपस्थित हो सकते हैं।

अधिसूचना दिनांक 15.04.2010। आदेश का पाठ इस प्रकार किया गयाः

0] 10 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" राजस्थान उच्च न्यायालय की सिफारिश पर, महामहिम राजस्थान राज्य सरकार को नियुक्ति/पदोन्नति करने में खुशी हो रही है

अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में निम्नलिखित 47 अधिकारी

जिला न्यायाधीश संवर्ग में "। उसी दिन यानी 21.04.2010 पर एक और आदेश जारी किया गया था।

2019 की रिट याचिका (सिविल) No.1008 में याचिकाकर्ता सहित 49 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों को फास्ट ट्रैक न्यायालयों का संचालन करने के लिए तदर्थ आधार पर अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किया गया।

17. जिन उम्मीदवारों ने इसके लिए आवेदन किया था

30.06.2010 पर आयोजित लिखित परीक्षा में दिनांकित 15.04.2010 अधिसूचना दिखाई दी और फिर सफल उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। हालाँकि, दिनांकित 04.09.2010 साक्षात्कारों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। बाद में, पूर्ण न्यायालय के प्रस्ताव के अनुसरण में जारी की गई अधिसूचना दिनांक 22.09.2010 द्वारा, संपूर्ण

प्रत्यक्ष भर्ती और एल. सी. ई. के माध्यम से भर्ती के लिए परीक्षा प्रक्रिया को नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश दिया गया था।

18. नंबर को फिर से अधिसूचित करते हुए 31.03.2011 पर एक अधिसूचना जारी की गई थी

प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति के लिए उपलब्ध रिक्तियों की संख्या एल. सी. ई. उक्त अधिसूचना इस प्रकार थीः

" राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर

सूचना

चालू वर्ष के लिए रिक्तियों के निर्धारण के अनुसार और

जिला न्यायाधीश संवर्ग की संख्या 245 है, जिसमें रिक्तियां

जिला न्यायाधीश संवर्ग जैसा कि इसके द्वारा निम्नानुसार अधिसूचित किया गया हैः सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां

लिमिटेड द्वारा पदोन्नति के लिए रिक्तियां
प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा

22

पदोन्नति के लिए रिक्तियां

24

यदि संवर्ग की संख्या को संशोधित कर 255 कर दिया जाता है, तो रिक्तियां होंगी।

जैसा कि नीचे दिया गया है:
सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां

39

सीमित दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य द्वारा पदोन्नति के लिए रिक्तियां v.

राजस्थान के अन्य न्यायाधीशों का उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे।]

प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा

22

पदोन्नति के लिए रिक्तियां

33 "

18.1 . उसी दिन यानी 31.03.2011 पर दो आदेश पारित किए गए थे

उच्च न्यायालय द्वारा; एक ने 40 त्वरित अदालतों को समाप्त कर दिया जबकि दूसरे ने अन्य को "उपलब्ध खाली पदों के बजाय तदर्थ आधार पर" तब तक जारी रखने का निर्देश दिया जब तक कि मामले पर नियमित पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाता। आदेश में कहा गया है:

" 40 ए. डी. जे. (ए. एफ. टी.) न्यायालयों के उन्मूलन पर परिणाम

सरकारी अधिसूचना संख्या एफ. 10 (4) न्याय/98/भाग दिनांक। 31.3.2011 ,

निम्नलिखित अधिकारियों को एस. आई. में दिखाया गया है। No.01 से 39 एडीजे के रूप में काम कर रहे हैं

(एफ. टी.) को उपलब्ध रिक्तियों के बदले तदर्थ आधार पर जारी रखा जाता है।

जब तक मामले पर नियमित पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाता है तब तक पद

नियमों के अनुसार और उल्लिखित रूप में स्थानांतरित/तैनात किए जाते हैं

नीचे। S.No.40 से 53 पर दिखाए गए अधिकारी भी हैं नीचे उल्लिखित रूप में स्थानांतरित/पोस्ट किया गया: -..... "

19. इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने अपने पहले के निर्णय पर ध्यान देने के बाद

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ और अन्य 1 में निर्णय ने अपने दिनांकित 20.04.2010 ° आदेश द्वारा उसमें निहित कुछ निर्देशों को संशोधित किया। संबंधित पैराग्राफ पहले ही पैराग्राफ 2.6 में दिए जा चुके हैं।

20. 10.06.2011 पर, 2010 में उचित संशोधन किए गए थे।

इस न्यायालय द्वारा जारी किए गए उपरोक्त आदेश के अनुसार पदोन्नतियों के लिए 65 प्रतिशत कोटा निर्धारित करने और जिला न्यायाधीशों की संवर्ग संख्या को 245 से बढ़ाकर 255 करने के लिए नियम।

21. बृज मोहन लाल बनाम। भारत संघ और अन्य 1 4, यह

अदालत ने अन्य बातों के साथ-साथ दो स्थानांतरित मामलों पर विचार किया, जिनमें से एक पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका से उत्पन्न हुआ।

सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीशों की फास्ट ट्रैक न्यायालयों के तदर्थ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की योजना और नीति को रोकने के निर्देश और आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में दायर अन्य याचिकाओं में यह घोषणा करने की मांग की गई है कि फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन असंवैधानिक था और इसके परिणामस्वरूप इसे रद्द कर दिया जाए। इस न्यायालय ने पूरी योजना के साथ-साथ विभिन्न राज्यों में प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार किया और विभिन्न प्रस्तुतियों पर विचार किया।

इस न्यायालय द्वारा उठाए गए प्रश्नों में से एक थाः

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" क्या तदर्थ पद पर नियुक्त होने वालों में से कोई

एफ. टी. सी. योजना के तहत न्यायाधीशों को इस पद का अधिकार है -

वर्तमान मामले के तथ्यों का संदर्भ?

21.1 इसके बाद, विभिन्न लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किए गए

राजस्थान राज्य के लोगों सहित निकायों को उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा के नियमितीकरण के मुद्दे से निपटने के लिए उपयुक्त माना जाता था।

फास्ट ट्रैक अदालतों का प्रबंधन करने वाले न्यायिक अधिकारियों ने यह देखाः

" 172. सेवा के नियमितकरण और अवशोषण के लिए प्रार्थना

में दिखाई देने वाली रिक्तियों के खिलाफ याचिकाकर्ता की नियुक्ति

नियमित संवर्ग न केवल उड़ीसा राज्य के मामले से जुड़े मामलों में, बल्कि अन्य राज्यों में भी बनाया गया है। सेवा में अवशोषण एक अधिकार नहीं है। नियमितीकरण भी अलग-अलग पदों पर अलग-अलग नियमों के तहत नियुक्त व्यक्तियों द्वारा लागू किया जाने वाला वैधानिक या कानूनी अधिकार नहीं है। नियमितीकरण किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ संबंधित नियमों पर निर्भर करेगा।

ऐसे वर्ग के व्यक्तियों पर लागू होता है। 21.2 जहाँ तक राजस्थान राज्य का संबंध है, यह था

वेदः

" 177. राजस्थान राज्य के मामले में, यह सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रभाग के संवर्ग के न्यायिक अधिकारी हैं, जो थे

एफ. टी. सी. न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत। वे काफी समय तक उन पदों पर बने रहे हैं। इन याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वे नियमों के अनुसार उच्च न्यायिक सेवाओं में पदोन्नत किया गया था

और, इसलिए, इस न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए

मधुमिता दास 1 5 के साथ-साथ एफटीसी योजना का सार,

उन्हें राजस्थान राज्य की उच्च न्यायिक सेवाओं के नियमित संवर्ग के सदस्यों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। राज्य सरकार

एक निर्देश जारी किया था कि उन्हें सीमित कार्य करना चाहिए

में उनकी नियमित पदोन्नति/अवशोषण के लिए प्रतियोगी परीक्षा

यह निर्देश इस आधार पर दिया गया कि उन्हें नियमों के तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों (एफ. टी. सी.) के रूप में पदोन्नत किया गया था और इसलिए, उनके लिए लंबे वर्षों की सेवा के बाद कोई लिखित परीक्षा देने की आवश्यकता का कोई सवाल ही नहीं था। उच्च न्यायिक सेवाओं में नियुक्त।

8) 6 एस. सी. सी. 731 दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम। राजस्थान आन लोकक उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे.]

178. राज्य की उच्च न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 लागू हैं। द.

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ में इस न्यायालय का निर्णय। (3) मामला 1 के साथ-साथ प्रासंगिक नियमों में यह विचार किया गया है कि एक व्यक्ति जिसे होना है

उच्च न्यायिक सेवाओं में सीधे नियुक्त होने से पहले उन्हें लिखित परीक्षा से गुजरना पड़ता है और उक्त संवर्ग में नियुक्त होने से पहले एक साक्षात्कार में उपस्थित होना पड़ता है। जहां तक पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का संबंध है, पदोन्नति दो अलग-अलग तरीकों से की जा सकती है, यानी वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर या बारी के बाहर पदोन्नति के माध्यम से, जिसमें किसी भी सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ प्रभाग, जिसने पांच साल की सेवा दी है, को एक प्रतिस्पर्धी पद लेने की आवश्यकता होती है। परीक्षा और फिर उपलब्ध रिक्तियों के 25 प्रतिशत तक, ऐसे न्यायाधीशों को उच्च न्यायिक सेवाओं में पदोन्नत किया जाएगा।

179. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान वकील ने हमारे सामने यह स्वीकार किया कि जिन अधिकारियों को तदर्थ एफटीसी न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किया गया था, उन्होंने कोई लिखित प्रतिस्पर्धा नहीं ली थी

उच्च न्यायिक सेवाओं के तहत इस पद पर उनकी पदोन्नति से पहले परीक्षा। दूसरे शब्दों में, उन्हें एफटीसी में रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया था। एक बार जब नियमों में उच्च न्यायिक सेवाओं के नियमित पदों पर पदोन्नति के लिए एक विशेष प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता होती है, तो

सक्षम प्राधिकारी केवल उस प्रक्रिया द्वारा पदोन्नति को प्रभावित कर सकते हैं और कोई अन्य नहीं। इस स्वीकार किए गए तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इन अधिकारियों ने कोई लिखित परीक्षा नहीं दी है, हम इस बात का कोई कारण नहीं देखते हैं कि इन न्यायिक अधिकारियों द्वारा लिखित कार्य करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश को कैसे चुनौती दी गई।

21.3 अंत में, पैराग्राफ 207 में निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए: " 207. सरकारों द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करने के किसी भी इरादे के बिना, लेकिन स्पष्ट रूप से, सुरक्षा के लिए

संविधान के अनुच्छेद 21 की गारंटी, न्याय वितरण प्रणाली में सुधार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए, संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ हमारे सामने मौजूद लोगों के साथ पूर्ण न्याय करने के लिए, संविधान के अनुच्छेद 142 के संदर्भ में, हम निम्नलिखित आदेश और निर्देश पारित करते हैं:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

207.1 . एक नीतिगत निर्णय होने के नाते जो पहले ही प्रभावी हो चुका है, हम भारत संघ के नीतिगत निर्णय को रद्द करने से इनकार करते हैं जो 31-3-2011 से परे FTC योजना को वित्तपोषित नहीं करने के लिए दिनांकित पत्र 14-9-2010 के माध्यम से है।

207.2 . जिन सभी राज्यों ने एफ. टी. सी. योजना को 31-3-2011 से आगे जारी रखने का नीतिगत निर्णय लिया है, वे इसका पालन करेंगे।

यथा घोषित तिथियाँ, उदाहरण के लिए उड़ीसा (मार्च 2013), हरियाणा (मार्च 2016), आंध्र प्रदेश (मार्च 2012) और राजस्थान (फरवरी 2013) राज्यों के मामलों में।

207.3 . राज्य जो एक लेने की प्रक्रिया में हैं

एफ. टी. सी. योजना को संबंधित राज्यों में न्याय प्रशासन की स्थायी विशेषता के रूप में जारी रखना है या नहीं, इस पर नीतिगत निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। 207.4 . यह निर्देश दिया जाता है कि अब से सभी राज्य एफ. टी. सी. योजना को तदर्थ रूप से जारी रखने का निर्णय नहीं लेंगे और

अस्थायी आधार। राज्यों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता है लेकिन केवल

या तो एफ. टी. सी. योजना को समाप्त करने के लिए या राज्य में एक स्थायी सुविधा के रूप में इसे जारी रखने के लिए।

207.5 . भारत संघ और राज्य सरकारें 13 वें वित्त आयोग द्वारा आवंटित निधियों का पुनः आवंटन और उपयोग करेंगी।

एफ. टी. सी. न्यायाधीशों को इंगित तरीके से नियमित करने और/या इस निर्णय में निर्देशित अतिरिक्त अदालतों के निर्माण के लिए ऐसी अतिरिक्त निधियों के लिए आयोग और/या प्रावधान करें। 207.6 . मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए सभी निर्णय और सिफारिशें -

केंद्र या राज्य के मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया, जैसा भी मामला हो, जिसके पास अकेले ऐसे निर्णयों के कार्यान्वयन को अंततः स्वीकार करने, संशोधित करने या अस्वीकार करने का अधिकार होगा और वह भी वस्तुनिष्ठ विचार पर और वैध कारणों से। होने दीजिए। 2009 के सम्मेलन के कार्यवृत्त, कम से कम अब, इसकी जानकारी और उचित कार्रवाई के लिए इस निर्णय की घोषणा की तारीख से तीन महीने के भीतर मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाने चाहिए।

207.7 . कोई निर्णय, सिफारिश या प्रस्ताव नहीं

मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को किसी भी नौकरशाही स्तर पर, सरकारों के पदानुक्रम में, चाहे वह राज्य में हो या केंद्र में, अस्वीकार या परिवर्तित किया जाएगा।

दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम। राजस्थान आन लोकक उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे.]

207.8 . हम एतद्वारा निर्देश देते हैं कि निर्देशों को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध कराना केंद्र सरकार का दायित्व होगा।

इस निर्णय में निहित है और यदि आवश्यक हो, तो न्यायपालिका के लिए 13 वें वित्त आयोग के तहत पहले से आवंटित धन का पुनः आवंटन करके। हम आगे निर्देश देते हैं कि मौजूदा संवर्ग के अतिरिक्त 10 प्रतिशत पदों के सृजन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भार समान रूप से साझा किया जाएगा और बिना किसी अनुचित देरी के धन प्रदान किया जाएगा ताकि इस निर्णय में निर्देशित अनुसूची के अनुसार अदालतों की स्थापना की जा सके।

207.9 . एफ. टी. सी. की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीशों के रूप में बार से सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए गए सभी व्यक्ति

एफ. टी. सी. योजना के तहत नियुक्त होने का अधिकार होगा संबंधित राज्यों की उच्च न्यायिक सेवाओं का नियमित संवर्ग केवल निम्नलिखित तरीके से:

(क) एफ. टी. सी. में सीधी भर्ती जो नियमित करने का विकल्प चुनते हैं।

अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के नियमित संवर्ग में समावेशन के लिए उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा होगी। (ख) इसके बाद, उन्हें मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की एक चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के अधीन किया जाएगा।

उस उच्च न्यायालय के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश। (
ग) लिखित परीक्षा के लिए 150 अंक और साक्षात्कार के लिए 100 अंक होंगे। योग्यता अंक होंगे

40 % सामान्य उम्मीदवारों के लिए कुल और एससी/एसटी/के लिए 35 प्रतिशत

ओ. बी. सी उम्मीदवार। परीक्षा और साक्षात्कार उच्च न्यायिक सेवाओं में सीधी नियुक्ति के लिए राज्यों द्वारा अधिनियमित प्रासंगिक नियमों के अनुसार आयोजित किया जाएगा।

(घ) प्रत्येक नियुक्त व्यक्ति एफ. टी. सी. में सेवा के प्रति वर्ष एक अंक का हकदार होगा, जो इसका हिस्सा होगा -

साक्षात्कार चिह्न।

(ई) यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह परीक्षा और साक्षात्कार संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा आयोजित किया जाना चाहिए।

यह ध्यान में रखते हुए कि इन सभी आवेदकों ने एक संख्या डाल दी है

एफ. टी. सी. न्यायाधीशों के रूप में वर्षों तक और देश की सेवा की है

इस प्रकार, परीक्षा और साक्षात्कार मॉड्यूल को विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए। मामले।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(च) लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार

और पूर्वनिर्धारित समेकित प्रतिशत प्राप्त करना होगा

नियमित रूप से अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त

राज्य का कैडर।

(छ) यदि किसी कारण से रिक्तियां उपलब्ध नहीं हैं

ऐसी अतिरिक्त रिक्तियां बनाएँ जो रखने के लिए आवश्यक हो चयनित उम्मीदवारों की संख्या को ध्यान में रखते हुए।

(ज) सभी वर्तमान और/या पूर्व एफ. टी. सी. न्यायाधीश जिन्हें सीधे बार से नियुक्त किया गया था और जो नियमित नियुक्ति के लिए परीक्षा और साक्षात्कार देने के इच्छुक हैं, उन्हें आयु में छूट दी जाएगी। आवेदक की आयु निर्धारित आयु से अधिक होने के आधार पर कोई भी आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

207.10 . बार के सदस्य जिन्हें सीधे नियुक्त किया गया है लेकिन जिनकी सेवाओं को या तो समाप्त कर दिया गया था या

संदिग्ध सत्यनिष्ठा, असंतोषजनक कार्य के आधार पर समाप्त किया गया या जिनके खिलाफ किसी अन्य आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी, वे निर्णय के पैरा 207.9 में बताए गए लाभों के पात्र नहीं होंगे।

207.11 . समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और

देश के सभी वादियों और नागरिकों को निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई प्रदान करने के लिए संवैधानिक जनादेश, हम संबंधित राज्यों और केंद्र सरकार को आज से तीन महीने के भीतर अतिरिक्त पदों के रूप में राज्य के कुल नियमित संवर्ग का 10 प्रतिशत बनाने का निर्देश देते हैं और उच्च न्यायिक सेवा और न्यायिक सेवाओं के अनुसार ऐसी अतिरिक्त रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू करते हैं

उसके तुरंत बाद उस राज्य के नियम।

207.12 . ये निर्देश, निश्चित रूप से, उन सिफारिशों के अतिरिक्त हैं और उनके अपमान में नहीं हैं जो उनके द्वारा की जा सकती हैं।

भारत के विधि आयोग और कोई अन्य आदेश जो सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालयों द्वारा पारित किया जा सकता है, ऐसे अन्य मामलों में

विषय हैं।

207.13 . किसी भी राज्य के उम्मीदवार, जिन्हें पदोन्नत किया गया था

सिविल जज के पद से एफ. टी. सी. न्यायाधीशों के रूप में, सेवा में अपेक्षित अनुभव रखने वाले वरिष्ठ प्रभाग, शामिल होने के हकदार होंगे।

और उस राज्य की उच्च न्यायिक सेवाओं में पदोन्नत रहते हुए:

दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम। राजस्थान आन लोकक उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे.]

(क) ऐसी पदोन्नति, जब अखिल भारतीय न्यायाधीशों के संघ में इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार योग्यता के आधार पर बारी के बाहर पदोन्नति के लिए 25 प्रतिशत कोटा के खिलाफ प्रभावी होती है। (3) 1, अपेक्षित परीक्षा लेने और उसके माध्यम से चुने जाने पर,

बारी के बाहर पदोन्नति के लिए विचार किया गया।

(ख) यदि नियुक्त व्यक्ति के पास अपेक्षित वरिष्ठता है और

द्वारा पदोन्नति के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण के विरुद्ध पदोन्नति का हकदार

वरिष्ठता-सह-योग्यता, उसे अपनी बारी पर पदोन्नत किया जाएगा

उच्च न्यायिक सेवाएँ बिना किसी लिखित परीक्षा के।

(ग) उपरोक्त श्रेणी (क) या (ख) के तहत उम्मीदवारों पर विचार करते समय, इस तथ्य को उचित महत्व दिया जाएगा कि -

वे पहले से ही उच्च न्यायिक सेवाओं में कई वर्षों की सेवा में हैं और, निश्चित रूप से, उनके संदर्भ में प्रदर्शन।

(घ) इस श्रेणी में अन्य सभी नियुक्तियां,

एफ. टी. सी. योजना को बंद करना, उनके काम पर वापस आ जाएगा

उपयुक्त संवर्ग में संबंधित पद "।

22. अधिसूचना के अनुसार की गई चयन प्रक्रिया में

31.03.2011 प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से रिक्तियों को भरने के लिए,

और पदोन्नति, 22 के खिलाफ केवल 9 उम्मीदवार एल. सी. ई. पास कर सके

सीज़ उस श्रेणी के लिए है। यह संख्या घटकर 8 रह गई।

सफल उम्मीदवारों में से एक का पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया गया था। वस्तुतः, एल. सी. ई. के लिए रिक्त रिक्तियों को प्रोमोटियों के लिए और सरकारी आदेश दिनांक 15.07.2013 द्वारा जोड़ा गया था।

अप्रत्यक्ष नियुक्ति आदेश जारी किए गए। आदेश का पाठ निम्नानुसारः

" अनुच्छेद 233 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान न्यायिक के नियम 43 के साथ पठित भारत का संविधान

सेवा नियम, 2010, राजस्थान राज्य के राज्यपाल ने

राजस्थान उच्च न्यायालय की सिफारिश से प्रसन्न है कि

पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्ति, सीमित प्रतियोगी परीक्षा और राजस्थान में सीधी भर्ती

वेतनमान में जिला न्यायाधीश संवर्ग में न्यायिक सेवा

Rs.51550-1230-58930-1380-63070 [जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)]

ऐसे भत्तों के साथ जो नियमों और उनके वेतन के अनुसार स्वीकार्य हों।

नियमों के अनुसार तय किया जाएगा। प्रत्यक्ष द्वारा नियुक्त व्यक्ति भर्ती को दो साल [2020] 10 एस. सी. आर. की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

के नियम 44 के अनुसार अपने पद का कार्यभार संभालने की तारीख से

राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010: ..... "

इसके बाद, 87 उम्मीदवारों के नामों का उल्लेख किया गया और एल. सी. ई. में 8 सफल उम्मीदवारों के नाम क्रम संख्या में थे। 10 , 19 , 30 , 39 , 50 59 , 65 और 68.

23. इस बीच, उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.03.2013 द्वारा, वर्षों 2012-13 के लिए 58 रिक्तियों का निर्धारण किया गया था

और 2013-14 जिला न्यायाधीश के संवर्ग में। इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि यदि संवर्ग की संख्या को संशोधित कर 362 कर दिया जाता है, तो जिला न्यायाधीश के संवर्ग में रिक्तियां 165 होंगी। 14.09.2013 पर, जिला न्यायाधीश संवर्ग की संख्या को संशोधित कर 372 कर दिया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 01.04.2014 द्वारा, 2012-13,2013-14 और 2014-15 वर्षों के लिए जिला न्यायाधीश के संवर्ग में 204 रिक्तियों का निर्धारण किया गया था। अधिसूचना दिनांक 01.04.2014 का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार थाः

" पहले की अधिसूचना No.Estt के दमन में। (आर. जे. एस.)/06/2014 दिनांक 15.01.2014, आर. जे. एस. नियम 2010 की अनुसूची I के अनुसार, वर्ष 2012-2013,2013 के लिए जिला न्यायाधीश संवर्ग में रिक्तियों का निर्धारण

14 और 2014-15 को निम्नानुसार अधिसूचित किया गया हैः

संवर्ग की संख्या के अनुसार-372

कुल रिक्तियां-186 + 18 * = 204

जिला भर्ती के लिए रिक्तियां-41
सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा पदोन्नति के लिए रिक्तियां-29

पदोन्नति के लिए रिक्तियां-116

* ध्यान दें: - 18 भविष्य की रिक्तियां (रिक्तियों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत के मुकाबले) वर्तमान में किसी भी श्रेणी को आवंटित नहीं की जाती हैं।

ऐसी श्रेणी जिसमें मृत्यु पदोन्नति के कारण कोई रिक्ति हो, बर्खास्तगी आदि उत्पन्न होंगी। "

24. 21.04.2014 पर, 56 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों को पदोन्नत किया गया था

तदर्थ आधार पर अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश। आदेश का पाठ निम्नानुसार किया गया।

" राजस्थान उच्च न्यायालय की सिफारिश पर, राजस्थान राज्य के राज्यपाल ने निम्नलिखित 56 अधिकारियों को विशुद्ध रूप से तदर्थ आधार पर अतिरिक्त जिला और दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य के रूप में नियुक्त किया है।

राजस्थान के अन्य न्यायाधीशों का उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे।]

के नियम 15 के तहत जिला न्यायाधीश संवर्ग में सत्र न्यायाधीश

राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010: - "

इसके बाद संबंधित 56 न्यायिक अधिकारियों के नाम लिए गए।

आदेश में उल्लिखित।

25. उन सभी न्यायिक अधिकारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची जो उस समय सेवा में थे और 1969 के प्रावधानों के तहत नियुक्त किए गए थे

2008 से पहले के नियम (सीरियल Nos.1 से 205 तक) प्रकाशित किए गए थे। यह वरिष्ठता सूची चुनौती के दायरे में नहीं है और सभी संबंधित लोगों द्वारा इसे सही माना जाता है। 26. उच्च न्यायालय द्वारा 31.03.2015 पर एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें निम्नलिखित वर्षों के लिए जिला न्यायाधीश के संवर्ग में संचयी रिक्तियों का निर्धारण किया गया था 2012-13,2013-14,2014-15 और 2015-16:

" पहले की अधिसूचना No.Estt के स्थान पर। (आर. जे. एस.)/33/2014 दिनांक 01.04.2014, आर. जे. एस. नियम, 2010 की अनुसूची-1 के अनुसार, वर्ष 2012-13,2-13-14,2014-15 और 2015-16 के लिए जिला न्यायाधीश संवर्ग में संचयी रिक्तियां एतद्वारा निर्धारित की जाती हैं और

निम्नानुसार अधिसूचित किया गयाः

372

कैडर की ताकत के अनुसार

कुल रिक्तियां = 207 + 21

228

प्रत्यक्ष भर्ती के लिए रिक्तियां 44

लिमिटेड द्वारा पदोन्नति के लिए रिक्तियां

प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा

29

पदोन्नति के लिए रिक्तियां

134

* ध्यान दें: -21 भविष्य की रिक्तियां (रिक्तियों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत के मुकाबले) वर्तमान में किसी भी श्रेणी को आवंटित नहीं की जाती हैं। हालांकि, ये उस विशेष श्रेणी के लिए रोस्टर के अनुसार दिए जाएंगे जिसमें मृत्यु पदोन्नति, बर्खास्तगी के कारण कोई भी रिक्ति (यानी) हो।

आदि उत्पन्न होंगे। "

26.1 इसके बाद दिनांक 1 के आदेश द्वारा किए गए चयन के अनुसार, जिला न्यायाधीश के संवर्ग में 175 उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई, जिसमें पदोन्नति, एल. सी. ई. और प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से भर्ती शामिल थी। आदेश में कहा गया है:

" आई. एक [2020] 10 एस. सी. आर. छोड़ते हुए नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की यह चयन सूची चक्रीय क्रम में तैयार की गई है।

एक उम्मीदवार श्री के लिए खाली पद। अखिलेश कुमार का चयन प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से किया गया। हालांकि, यह अधिसूचित किया जाता है कि यह सूची पूर्ण सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भी संशोधन के अधीन रहेगी।

श्री अखिलेश कुमार के संबंध में राज्य सरकार से और नियुक्ति के लिए न्यायालय द्वारा उनकी सिफारिश किए जाने पर, वह चक्रीय क्रम में रोस्टर बिंदु पर कब्जा कर लेंगे जैसा कि उन्होंने किया होगा।

यदि क्रम में उसकी स्थिति के अनुसार मूल सूची में शामिल किया जाता है तो कब्जा कर लिया जाता है

या योग्यता।

ii. यह चयन सूची चक्रीय क्रम में तैयार की गई है कि जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की जा रही है, जबकि आठ वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों के लिए आठ पद खाली रह गए हैं, जो योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति के लिए विचार के क्षेत्र में विफल रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ विभागीय पूछताछ लंबित होने के कारण उनका विचार स्थगित कर दिया गया है। हालांकि, यह अधिसूचित किया जाता है कि यह सूची

उक्त आठ वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों के संबंध में विभागीय पूछताछ के परिणाम के बाद और अदालत द्वारा पदोन्नति के लिए उनकी सिफारिश किए जाने पर वे पुनरीक्षण के अधीन रहेंगे; वे चक्र क्रम में रोस्टर बिंदु पर कब्जा कर लेंगे जैसा कि उन्होंने अपने फीडर कैडर में अंतर वरिष्ठता के क्रम में अपनी स्थिति के अनुसार मूल सूची में शामिल किया होता।

26.2 . 2019 की रिट याचिका (सिविल) No.895,2019 की रिट याचिका (सिविल) No.897 और 2019 की रिट याचिका (सिविल) No.899 में याचिकाकर्ताओं को दिनांकित उपरोक्त आदेश द्वारा जिला न्यायाधीश के संवर्ग में पदोन्नत किया गया है।

. 2016 .

27. इसके बाद, सीरियल 206 के बाद से न्यायिक अधिकारियों के संबंध में एक अनंतिम वरिष्ठता सूची जारी की गई। पत्र का पाठ इस प्रकार किया गयाः

" वरिष्ठता का तनावपूर्ण निर्धारण

जिला न्यायाधीश कैडर के अधिकारी।

****

जिला न्यायाधीश संवर्ग के अधिकारियों की अंतिम वरिष्ठता सूची

श्री नागेंद्र पाल भंडारी का प्रकाशन 15.12.2014 पर हुआ था।

विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों से प्राप्त अभ्यावेदन और सभी प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखने के बाद, श्री नागेंद्र पाल भंडारी के बगल में जिला न्यायाधीश संवर्ग के अधिकारियों की अस्थायी/अस्थायी वरिष्ठता सूची की गणना/प्रस्ताव किया जाता हैः "दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम।

राजस्थान के अन्य न्यायाधीशों का उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे।]

29. इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त रिट याचिका (सिविल) संख्या में नोटिस जारी किया गया था। 936 2018 का और 2018 का 967 20.09.2018 पर। 14.12.2018 पर उच्च न्यायालय के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अनंतिम सूचियों पर आपत्तियां उच्च न्यायालय में विचाराधीन थीं। इसलिए उनके अनुरोध पर याचिकाओं को स्थगित कर दिया गया। इसके बाद, पूरे मामले पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया और संबंधित उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों को उसकी रिपोर्ट दिनांक 15.03.2019 द्वारा निपटाया गया। इसके बाद रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखा गया। 18.07.2019 पर जब कहा गया कि रिट याचिकाओं और अन्य सभी संबंधित मामलों को लिया गया था, तो यह रेखांकित किया गया कि 47 न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत नहीं किया गया था। 2010 के नियमों के नियम 32 (1) के अनुरूप, और किसी भी मामले में, नियम 42 के संदर्भ में चक्रीय आदेश के सिद्धांत का भी पालन नहीं किया गया था और फिर भी उन्हें क्रमिक Nos.206 से 250 पर रखा गया था। चूंकि 47 न्यायिक अधिकारी वर्तमान कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे, इसलिए उन्हें नोटिस जारी किया गया था

दिनांकित 18.07.2019 आदेश द्वारा।

30. इस बीच, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों की समिति की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय, जिसने सभी अभ्यावेदनों पर विचार किया था, को रिकॉर्ड में रखा गया था। समिति ने इसके लिए निम्नलिखित चार प्रश्न तैयार किए थे।

उक्त रिपोर्ट दिनांक 15.03.2019 में विचारः

(1) क्या वे अधिकारी, जिन्हें [2020] 10 एस. सी. आर. के तहत तदर्थ आधार पर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) के पद पर पदोन्नत किया गया था।

1969 के नियमों के नियम 22 में बचत खंड के आधार पर 1969 के नियमों के नियम 24 के पहले परंतुक को देखते हुए इस तरह की तदर्थ पदोन्नति की तारीख से वरिष्ठता का दावा किया जा सकता है।

2010 के नियमों का नियम 57, जिसे लागू किया गया था

19.01.2010 ?

(2) क्या सीधी भर्ती के लिए चयन की प्रक्रिया

वर्ष 2010-11 में निर्धारित 36 पदों के विरुद्ध होना चाहिए

15.04.2010 से शुरू होने के लिए लिया जाता है जब प्रारंभिक

भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था या 19.07.2011 से जब पहले की प्रक्रिया के बाद नया विज्ञापन जारी किया गया था

भर्ती की प्रक्रिया को नए सिरे से आयोजित करने के उच्च न्यायालय के फैसले के साथ रद्द कर दिया गया था?

(3) क्या एक ही बैच के अधिकारियों की वरिष्ठता को बढ़ावा दिया गया है

सीमित प्रतिस्पर्धात्मक में जिला न्यायाधीश संवर्ग

परीक्षा कोटा, इस तरह की परीक्षा की योग्यता सूची में उनके अंतर-स्थान के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए नियम 32 (2) या 2010 के नियमों के नियम 47 (4) को देखते हुए वही होना चाहिए जो वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश संवर्ग में था?

(4) क्या अधिकारियों की वरिष्ठता को जिले में पदोन्नत किया गया है

नियम 31 (4) को ध्यान में रखते हुए न्यायाधीश संवर्ग को निर्धारित करने की आवश्यकता है

अनुसूची V के नियमों में दिए गए रोस्टर के अनुसार चक्रीय क्रम

2010 कोटा-रोटा नियम के पालन के साथ और मामले के तथ्यों में क्या असर पड़ता है, शुरुआती शब्द "जहां तक संभव हो"

नियमों के नियम 42 में, के निर्धारण पर होगा वरिष्ठता?

30.1 उपरोक्त चार प्रश्नों से निपटने से पहले, गुंजाइश

इस मामले को निम्नानुसार निपटाया गया थाः

श्री नागेंद्र के बगल में जिला न्यायाधीश संवर्ग के अधिकारी पाल सिंह भंडारी ने 16.08.2017 पर आपत्तियां आमंत्रित की हैं। यह

वरिष्ठता सूची श्री एन. एस. धड्डा से क्रम संख्या में शुरू हुई। 206 और श्री मोहम्मद आरिफ तक सीरियल नं. 519 . भर्ती

जिला न्यायाधीश संवर्ग को तीन तरीकों से बनाया जाता है-65 प्रतिशत द्वारा

पदोन्नति, सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा 10 प्रतिशत (संक्षेप में,

' एल. सी. ई.), दोनों वरिष्ठ सिविल न्यायाधीशों से और 25 प्रतिशत द्वारा

बार के सदस्यों से सीधी भर्ती। अधिकारियों ने तीनों धाराओं से दीनेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम को अपनी लिखित आपत्तियाँ प्रस्तुत कीं।

राजस्थान आन लोकक उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे.]

अनंतिम वरिष्ठता सूची। जोधपुर में उच्च न्यायालय परिसर के समिति कक्ष में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति की बैठक बुलाई गई थी।

06.01.2019 . उनके समर्थन में मौखिक प्रस्तुतियाँ भी सुनी गईं

लिखित आपत्तियाँ पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी हैं।

हम शुरू में यह स्पष्ट कर सकते हैं कि हम उस वरिष्ठता पद को अस्थिर नहीं करना चाहते हैं जिसने अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 1 का संबंध है, क्योंकि भर्ती की तीन धाराओं में से किसी ने भी कानून द्वारा ज्ञात किसी भी मंच के समक्ष इसे चुनौती नहीं दी है। हालांकि, साथ ही हम इस स्तर पर यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अनंतिम वरिष्ठता सूची की शुद्धता के बारे में आपत्तियों पर निर्णय लेते समय

दिनांकित 16.08.2017, हम सहमत नहीं हो सकते हैं और इससे विचलित हो सकते हैं

जिन सिद्धांतों पर पूर्व वरिष्ठता के निष्कर्ष निकलते हैं

अपनी रिपोर्ट में समिति की स्थापना की जाती है। ”

30.2 पहले प्रश्न के संबंध में समिति द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया वह इस प्रकार थाः

नियम 24 के परंतुक के संदर्भ में वरिष्ठता प्रदान करने के उद्देश्य से फास्ट ट्रैक अदालतों या किसी अन्य अदालत में उनकी तदर्थ पदोन्नति की तारीख से, भले ही उनकी नियमित पदोन्नति वास्तव में 1969 के नियमों के निरस्त होने और 2010 के नियमों को 19.01.2010 पर घोषित किए जाने के बाद हुई हो। हम इस तर्क को भी बरकरार नहीं रख सकते हैं कि किसी भी अधिकार को इस तरह के प्रचार के पक्ष में प्रिस्क्रिप्शन के कारण स्पष्ट किया गया था। नियम 24 का परंतुक और ऐसा अधिकार, 2010 के नियमों के नियम 57 के तहत बचत खंड के आधार पर, संरक्षित रहेगा ताकि -

उन्हें तदर्थ आधार पर प्रारंभिक पदोन्नति की तारीख से वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार देना, भले ही उनकी नियमित पदोन्नति 2010 के नियमों की घोषणा के बाद हुई हो। हम पाँच वर्ष की अपेक्षित अवधि के लिए तदर्थ सेवा की गणना करके कुछ अधिकारियों को चयन पैमाना प्रदान करने के आदेश की शुद्धता की जांच नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका लाभ देना उचित नहीं हो सकता है।

तदर्थ पदोन्नति के आधार पर वरिष्ठता मौजूदा नियमों की व्याख्या जो हमने [2020] 10 एस. सी. आर. के आलोक में ली है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानून का तय प्रस्ताव। हमारे सुविचारित विचार में, वे सभी जिन्हें 1969 के नियमों के तहत पहले तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया था, 2010 के नियमों की घोषणा से पहले, नियमित रूप से उनकी मूल नियुक्ति की तारीख से ही वरिष्ठता दी जा सकती है।

पदोन्नति, जो 2010 के नियमों के 19.01.2010 से लागू होने के बाद हुई थी। इसलिए कैडर की संख्या में संशोधन के आधार पर अस्थायी वरिष्ठता सूची में ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति के लिए कोई कानूनी औचित्य नहीं है, जब

संवर्ग में वृद्धि के साथ शामिल अस्थायी/स्थायी पद

इसकी संख्या 150 से 245 तक और हर बार बाद में जब संवर्ग की संख्या को क्रमशः 246 से 255,256 से 265 और 266 से 372 तक संशोधित किया गया था। 30.3 दूसरे प्रश्न के संबंध में निष्कर्ष इस प्रकार थाः

" हाथ में मामले में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि की प्रक्रिया

भर्ती को शुरू में दिनांक 15.04.2010 के विज्ञापन के माध्यम से अधिसूचित किया गया था, लेकिन पूर्ण न्यायालय के निर्णय के अनुसार प्रत्यक्ष भर्ती के साथ-साथ एल. सी. ई. के माध्यम से पदोन्नति द्वारा पूरी चयन प्रक्रिया को छोड़ दिया गया था, जो राजस्थान उच्च न्यायालय के महापंजीयक के दिनांक 22.09.2010 के आदेश से स्पष्ट है, जिसके तहत यह निर्णय लिया गया था कि भर्ती प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू किया जाएगा। इन दोनों श्रेणियों में चयन/भर्ती की नई प्रक्रिया दिनांक 19.07.2011 की अधिसूचना द्वारा शुरू की गई थी। वर्ष 2013 में चुने गए 41 उम्मीदवारों में से

उक्त अधिसूचना के अनुसार प्रत्यक्ष भर्ती के मामले में कम से कम 15 ऐसे उम्मीदवार हैं, जिनके नाम उच्च न्यायालय के परीक्षा प्रकोष्ठ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पात्रता सूची या अस्वीकृति सूची में नहीं पाए गए हैं। ये नाम हैं -

(1) श्री मलखान सिंह, (2) श्री राम सुरेश प्रसाद, (3) श्री मंचा राम सुतार, (4) श्री केशव कौशिक, (5) श्री दिनेश त्यागी, (6) श्री हरिओम शर्मा अत्री, (7) श्री अरुण कुमार बेरीवाल, (8) श्री हुकुम सिंह राजपुरोहित, (9) सुश्री शिवानी सिंह, (10) श्री मसरूर आलम खान, (11) रमेश प्रसाद चौधरी, (12)

सुश्री मीनाक्षी शर्मा, (13) सुश्री अनु अग्रवाल, (14) श्री किशन चंद और (15) श्री सतीश कुमार। यह साबित करता है कि या तो वे पात्र नहीं थे, या पात्र होने पर भी, उन्होंने भर्ती के लिए पहले की अधिसूचना दिनांक 15.04.2010 के जवाब में आवेदन नहीं किया था। इसलिए हम प्रत्यक्ष भर्तियों के इस दावे को बरकरार रखने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि उन्हें दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम से वरिष्ठता का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए।

राजस्थान आन लोकक उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे.]

वर्ष 2010। किसी भी स्थिति में, प्रत्यक्ष भर्तियां वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकती हैं।

वर्ष 2011-12 के दौरान दिनांकित 19.07.2011 अधिसूचना। इसका परिणाम इसका यह होगा कि ये प्रत्यक्ष भर्तियां हकदार नहीं होंगी

कम से कम उन 47 अधिकारियों पर वरिष्ठता का दावा करें, जिन्हें पदोन्नत किया गया था वर्ष 2010-11 में दिनांकित 21.04.2010 आदेश के अनुसार नियमित आधार पर

2010 के नियम लागू होने के बाद। प्रत्यक्ष भर्ती नहीं कर सकते हैं इसलिए वरिष्ठता का दावा उन अधिकारियों से अधिक करते हैं, जिन्हें पदोन्नत किया गया था

2010 के नियमों की घोषणा के तुरंत बाद नियमित आधार पर,

जब वे कैडर पर भी नहीं थे "।

(जोर दिया गया)

30.4 तीसरे प्रश्न पर विचार करते हुए समिति ने निष्कर्ष निकालाः

" ..... इसलिए हमारा मानना है कि पदोन्नत किए गए लोगों की योग्यता

एलसीई के माध्यम से नियम 32 (2) के आधार पर माना जाना चाहिए

पदोन्नति के लिए मानक, उनमें अंतर-वरिष्ठता

फीडर संवर्ग का रखरखाव नियम 47 (4), विषय के निर्देश द्वारा किया जा रहा है

इस अपवाद के लिए कि यदि कोई अधिकारी पदोन्नति के नियमित तरीके से

अन्यथा उसी वर्ष में पदोन्नति प्राप्त करने में सक्षम है उसकी बारी पर नियमित पंक्ति और उस आधार पर उसे एक उच्च स्थान मिलता है

वरिष्ठता में, एल. सी. ई. में उनके चयन की परवाह किए बिना, उन्हें करना चाहिए

एक नुकसानदेह स्थिति में नहीं रखा जाता है और उसे बनाए रखने की अनुमति दी जाती है

उनकी नियमित पदोन्नति के आधार पर वरिष्ठता में पद। अन्य में

शब्दों में, ऐसे अधिकारी वरिष्ठता बनाए रखने के हकदार होंगे, या तो

एलसीई के आधार पर या नियमित पदोन्नति के आधार पर, जो भी हो

यह उसके लिए अधिक फायदेमंद है।

30.5 अंत में, चौथे प्रश्न पर विचार करते हुए समिति ने

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2012 013-14 और 2014-15 में कोई वास्तविक भर्ती नहीं हुई थी और भर्ती प्रक्रिया द्वारा शुरू की गई थीअधिसूचना दिनांक 26.04.2015 सभी रिक्तियों के संबंध में थी

वर्ष अर्थात 2012-13,2013-14,2014-15 और 2015-16। में

उदाहरण के लिए, यह निष्कर्ष निकाला गयाः

" जहां तक दिनांकित रोस्टर आदेश के बाद की अवधि का संबंध है

15.07.2013 संबंधित है, रिक्तियों का निर्धारण किया गया था

हर साल काफी नियमित रूप से, जैसा कि ऊपर देखा गया है, लेकिन वास्तविक भर्ती

तीन तरीकों में से कोई भी किसी एक में नहीं हो सकता है

वर्ष 2012-13,2013-14 और 2014-15। अंत में फिर से भर्ती वर्ष [2020] 10 एस. सी. आर. में अधिसूचना दिनांक 26.04.2015 द्वारा प्रक्रिया शुरू की गई।

2015-16 . चूंकि सभी चार वर्षों की रिक्तियां, अर्थात। , 2012-13 , 2013 14 , 2014-15 और 2015-16 को संयुक्त किया गया था, भले ही बीच में कुछ अधिकारियों को तदर्थ आधार पर अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के पद पर बने रहने की अनुमति दी गई हो, वे नियमों के पूर्व-चर्चा किए गए प्रावधानों को देखते हुए वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते हैं। इन सभी चार वर्षों की रिक्तियों को वर्ष 2015-16 के रूप में निर्धारित किया गया है, सभी नियुक्तियां,

प्रत्यक्ष भर्ती, एल. सी. ई. या नियमित पदोन्नति द्वारा, वर्ष 2015-16 से संबंधित माना जाना चाहिए।

अनंतिम वरिष्ठता सूची के अवलोकन से पता चलता है कि श्री सतीश कुमार व्यास (S.No.369) से लेकर श्री जय प्रकाश नारायण पुरोहित (S.No.423) तक के सभी 56 अधिकारियों को 2010 के नियमों के नियम 15 के तहत डीजे कैडर में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया है, जिन्हें गलत तरीके से उच्च वरिष्ठता दी गई है। इसके बाद, श्री पारस कुमार जैन (S.No.424 *) से लेकर श्री जगेंद्र कुमार तक 26 अधिकारी। अग्रवाल (S.No.450), जिन्हें दिनांकित 21.04.2015 के आदेश द्वारा तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया है, उन्हें भी गलत तरीके से उच्च वरिष्ठता दी गई है।

अनंतिम वरिष्ठता सूची। श्री अशोक कुमार अग्रवाल (S.No.451) से शुरू होने वाले अधिकारियों के अगले स्लॉट को हालांकि दिनांक 05.02.2016 के आदेश द्वारा नियमित आधार पर पदोन्नत किया गया है, लेकिन वे

सभी को सीधे भर्ती कोटे के खिलाफ चुने गए लोगों से वरिष्ठ रखा गया है। आश्चर्य की बात यह है कि कैडर की संख्या शुरू में 2010 के नियमों को लागू करने के साथ बढ़ाई गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय प्रशासन ने तीन पर भी कैडर की संख्या में संशोधन का समान सादृश्य लागू किया है।

तदर्थ आधार पर नियुक्त सभी अधिकारियों को सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों से वरिष्ठता में रखने के लिए बाद के अवसर। कुछ अधिकारी, जिन्हें हालांकि दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से नियमित पदोन्नति मिली थी, जो दिनांक 1 के पदोन्नति के क्रम में इंगित रोस्टर बिंदु से विचलित थे, उन्हें गलत तरीके से प्रत्यक्ष भर्ती और एल. सी. ई. कोटे के अधिकारियों से ऊपर रखा गया है।

नियम 24 के प्रावधान को इस तरह लागू करना जैसे कि यह निरस्त नियम प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष के लिए केवल तदर्थ पदोन्नति के कारण स्थायी रूप से जीवित रहेगा। इस प्रकार तदर्थ आधार पर पदोन्नत अधिकारियों को वरिष्ठता का लाभ देना नियम 15 और 47 (4) में निहित प्रावधानों के विपरीत था।

दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम। राजस्थान के अन्य न्यायाधीशों का उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे।]

उपरोक्त सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम यह मानने के लिए इच्छुक हैं कि रोस्टर प्रणाली के संचालन के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 2012-13,2013-14,2014-15 को शून्य भर्ती वर्ष माना जाना चाहिए और इन वर्षों और वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारित संयुक्त 207 रिक्तियों के खिलाफ भर्ती को वर्ष 2015-16 की रिक्तियों के रूप में लिया जाना चाहिए ताकि 2010 के नियमों के नियम 42 को व्यवहार्य बनाया जा सके, जो वाक्यांश "जहां तक संभव हो" से शुरू होता है, उच्च न्यायालय द्वारा अनुसूची-V में प्रदान की गई एक चयन सूची तैयार की जाएगी। रोस्टर बिंदु के अनुसार चक्रीय क्रम में ऐसी चयन सूची पहले 15.07.2013 के आदेश द्वारा तैयार की गई थी और यह भी कि जब अगला नियमित चयन दिनांक 05.02.2016 के आदेश के अनुसार हुआ था, लेकिन यह वास्तव में नहीं था।

वरिष्ठता सूची में परिलक्षित होता है। सभी अधिकारियों को नियमित रूप से पदोन्नत किया गया

05.02.2016 दिनांकित आदेश द्वारा आधार को केवल उस तारीख से ही मूल रूप से नियुक्त किया जाना चाहिए। यदि यह दृष्टिकोण लिया जाता है,

अधिकारियों के किसी भी वर्ग के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया जाएगा क्योंकि उनमें से कोई भी पिछले तीन वर्षों में अपनी-अपनी श्रेणी में पदोन्नति/नियुक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करेगा। इन तीनों वर्षों की रिक्तियों को उस वर्ष की रिक्तियों के रूप में निर्धारित किए जाने वाले वर्ष 2015-16 की रिक्तियों के साथ जोड़ा गया है।

उनमें से एक को पदोन्नति/एल. सी. ई./के माध्यम से महत्वपूर्ण नियुक्ति के लिए अपने साथी अधिकारियों/उम्मीदवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिला है।

प्रत्यक्ष-भर्ती, डीजे कैडर में एक साथ "।

31. श्री रंजीत कुमार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री ए. डी. एन. राव, 2018 की रिट याचिका (सिविल) No.936 में याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता, और श्री पी. एस. पटवालिया और श्री नीतेश गुप्ता, 2018 की रिट याचिका (सिविल) No.967 में याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रस्तुत किया कि 2010 के नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में, कोई भी नियुक्ति

उक्त नियम लागू होने के बाद बनाए गए, उनमें सिद्धांतों के अनुरूप और तीन के लिए प्रतिशत के अनुसार होना था विभिन्न स्रोतों को उसमें निर्धारित किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया कि 2010 के नियम लागू होने से पहले, राज्य में जिला न्यायाधीशों के संवर्ग की संख्या 150 थी और 2010 के नियम लागू होने के बाद ही यह बढ़कर 245 हो गई। देबब्रत दास और अन्य बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करना। जतिंद्र प्रसाद दास और अन्य ", V.Venkata प्रसाद और अन्य बनाम। ए. पी. और अन्य का उच्च न्यायालय और कुम सी. यामिनी में

2019 की रिट याचिका (सिविल) डायरी No.13252 में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री निखिल सिंघवी ने इसमें एक और आयाम जोड़ा। एल. सी. ई. उम्मीदवारों का सम्मान। यह प्रस्तुत किया गया था कि अखिल भारतीय न्यायाधीशों में पैरा 28 में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए '

32. दूसरी ओर, श्री आर. बालासुब्रमण्यम, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और सुश्री प्रेरणा सिंह, विद्वान अधिवक्ता 47 की ओर से पेश हुए। उम्मीदवारों ने प्रस्तुत किया कि उक्त उम्मीदवारों को अधिसूचना दिनांक 31.03.2011 के अनुसार शुरू की गई चयन प्रक्रिया की शुरुआत से बहुत पहले पदोन्नत किया गया था; जिसमें कहा गया था कि अधिसूचना 2010 में शुरू की गई प्रक्रिया की निरंतरता में नहीं थी; उन उम्मीदवारों की संख्या जिन्हें अधिसूचना दिनांक 31.03.2011 के अनुसार चयन प्रक्रिया में चुना गया था।

18 (2019) 10 स्केल 834 = 2019 (8) जे. टी. 365 19 (2012) 13 एस. सी. सी. 340 दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम।

राजस्थान के अन्य न्यायाधीशों का उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे।]

2010 में शुरू की गई प्रक्रिया में भी भाग नहीं लिया था और उच्च न्यायालय की समिति ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 15.03.2019 में सही कहा था

प्रश्न संख्या 2 का उत्तर नकारात्मक में दिया गया। उनके प्रस्तुतिकरण में, जो लोग तदर्थ आधार पर फास्ट ट्रैक न्यायालय का संचालन कर रहे थे, उनकी नियमित पदोन्नति का मुद्दा हमेशा 23.08.2008 से ही विचाराधीन था जब उच्च न्यायालय की एक समिति ने अपनी सिफारिशें की थीं। इस प्रक्रिया में, 47 उम्मीदवारों का मामला पूरी तरह से अलग आधार पर खड़ा था और उच्च न्यायालय की समिति ने अपनी रिपोर्ट में दिनांकित किया

15.03.2019 उचित रूप से उनके अधिकार को स्वीकार किया।

33. 2019 की रिट याचिका (सिविल) No.464 में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विजय हंसारिया ने कहा कि इन सभी याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2008 में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था और वास्तव में, 4 न्यायिक अधिकारी जिन्होंने

आदेश दिनांक 31.03.2011 के माध्यम से। हालाँकि, जिला न्यायाधीश के संवर्ग में उनकी महत्वपूर्ण पदोन्नति 15.07.2013 पर की गई थी। एल. सी. ई. के माध्यम से सीधी भर्ती और उम्मीदवार। यह प्रस्तुत किया गया था कि उनकी प्रारंभिक नियुक्तियां 1969 के नियमों के तहत थीं और यह तथ्य कि वे अनुसूची II के भाग ए में बताए गए पदों पर आसीन थे, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उनका मामला 2010 के नियमों के नियम 57 के अंतर्गत आएगा। हालाँकि यह स्वीकार किया गया कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने उस समय के आसपास एल. सी. ई. में भाग लिया था।

34. श्री नीरज जैन, 2018 की रिट याचिका (सिविल) No.1471 में एसोसिएशन के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जैसा कि राजस्थान न्यायिक सेवा अधिकारियों में इस न्यायालय के फैसले में स्वीकार किया गया है।

एसोसिएशन 1 1 वर्ष 2009 में जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में 41 सीधी भर्तियां थीं और इसलिए दिनांक 1 और 10 एस. सी. आर. की अधिसूचनाओं में सीधी भर्तियों के लिए रिक्तियों का आकलन करना गलत था।

31.03.20111 क्रमशः 36 और 37 के स्तर पर। उनके प्रस्तुतिकरण में प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए रिक्तियों का आवंटन उनसे अधिक था हकदारी।

35. श्री वी. के. शुक्ला, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, 2019 की रिट याचिका (सिविल) No.899 में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए, जिन्हें 2010 के नियम लागू होने के बाद अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत किया गया था और जिन्हें दिनांक 05.02.2016 के आदेश द्वारा जिला न्यायाधीश के संवर्ग में पर्याप्त रूप से पदोन्नत किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के स्तर पर उनकी सेवाओं को फास्ट ट्रैक अदालतों के उन्मूलन के बाद भी जारी रखा गया था और इस प्रकार कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं को

पिछली सेवा का लाभ दिया जाए और उचित वरिष्ठता प्रदान की जाए।

36. डॉ. सुमंत भारद्वाज, विद्वान अधिवक्ता, 2019 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1008 में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए, जहां याचिकाकर्ता 2019 की रिट याचिका (सिविल) No.899 के समान है, जिसमें जिला न्यायाधीश के संवर्ग में तदर्थ पदोन्नति वर्ष 2012 में दी गई थी।

37. डॉ. मनीष सिंघवी और श्री संजय हेगड़े, क्रमशः राज्य और उच्च न्यायालय की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हैं।

प्रशासनिक पक्ष से उच्च न्यायालय द्वारा की गई कार्रवाइयों का समर्थन किया।

38. अभिलेख पर तथ्यों और परिस्थितियों और सभी विद्वान वकीलों की प्रस्तुतियों की पृष्ठभूमि में, निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होते हैं -

हमारा विचारः

(क) क्या न्यायिक अधिकारियों को फास्ट ट्रैक अदालतों में काम करने के लिए अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया था।

राज्य और जिन्हें जिला न्यायाधीश के संवर्ग में पर्याप्त रूप से नियुक्त किया गया था, वे अपनी प्रारंभिक तदर्थ पदोन्नति की तारीख से वरिष्ठता के हकदार हैं?

(ख) क्या दिनांकित 31.03.2011 अधिसूचना के संदर्भ में शुरू की गई चयन प्रक्रिया को दिनांकित 15.04.2010 अधिसूचना के तहत शुरू की गई प्रक्रिया की निरंतरता में कहा जा सकता है?

((ग) क्या 47 न्यायिक अधिकारियों को दी गई मूल पदोन्नति को उसी चयन प्रक्रिया का हिस्सा माना जाना चाहिए।

दिनांक 1 की अधिसूचना और क्या 47 न्यायिक अधिकारियों को उक्त चयन में चुने गए उम्मीदवारों से वरिष्ठ पद पर रखा जा सकता है, दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम।

राजस्थान के अन्य न्यायाधीशों का उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे।]

2010 के नियमों के संदर्भ में चक्रीय आदेश को लागू किए बिना, अधिसूचना दिनांक 31.03.2011 के अनुसार शुरू की गई प्रक्रिया?

((घ) क्या सीमित प्रतिस्पर्धा के माध्यम से राज्य में जिला न्यायाधीश के संवर्ग में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति

वरिष्ठता सूची में परीक्षा उक्त परीक्षा में उनकी योग्यता के आधार पर होनी चाहिए या यह पूर्ववर्ती संवर्ग में उनकी प्रारंभिक वरिष्ठता के आधार पर होनी चाहिए?

(ई) क्या रिपोर्ट दिनांकित 15.03.2019 और परिणामी अंतिम वरिष्ठता सूची, अन्यथा किसी संशोधन या सुधार की मांग करती है? 39. जहां तक प्रश्न संख्या का सवाल है। (ए), इस मुद्दे पर कानून अच्छी तरह से स्थापित है और हालांकि विद्वान वकील के आधार पर अग्रिम प्रस्तुतियाँ

इस न्यायालय के विभिन्न निर्णय और उनसे उत्पन्न होने वाले सिद्धांत, देश में फास्ट ट्रैक न्यायालयों के संचालन के लिए अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीशों के रूप में तदर्थ नियुक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित निर्णय, इस मुद्दे को हल करने के लिए पर्याप्त हैं।

(ए) देबब्रत दास में और एक अन्य वी। जतिंद्र प्रसाद दास और अन्य, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने विचार किया

जिस मामले में प्रतिवादी संख्या 1 को शुरू में तदर्थ आधार पर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उनकी सेवा को ओरिसा सुपीरियर न्यायिक सेवा में वरिष्ठ शाखा संवर्ग में नियमित किया गया था। उनके इस दावे को उड़ीसा उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया कि फास्ट ट्रैक न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में दी गई सेवा को वरिष्ठता के लिए माना जाना चाहिए। हालाँकि, इस अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया। विचाराधीन प्रश्न पैरा 28 में निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया थाः

" 28. विचार के लिए उत्पन्न होने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न

यह अपील हैः

क्या रिट याचिकाकर्ता को ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों में से स्थापित फास्ट ट्रैक कोर्ट में तैनात करने के लिए उच्च न्यायिक सेवा की वरिष्ठ शाखा में एक तदर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति को नियुक्ति कहा जा सकता है।

उच्च न्यायिक सेवा की वरिष्ठ शाखा संवर्ग में? अपील का भाग्य इस प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करता है। यदि इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक में पाया जाता है, तो अपील विफल होनी चाहिए। दूसरी ओर, यदि उत्तर नकारात्मक है तो अपील सफल होनी चाहिए। "[2020] 10 एस. सी. आर.

इसके बाद इस न्यायालय ने 2001 के नियमों के प्रभाव पर विचार किया जो

राज्य में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती को विनियमित करने के लिए बनाया गया

एन तदर्थ आधार पर फास्ट ट्रैक अदालतें। पैरा 35 में नियमों के प्रभाव को निम्नानुसार माना गया हैः

" 35. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 2001 के नियमों के तहत तदर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के 72 पद बनाए गए थे। ये पद वरिष्ठ शाखा सेवा के संवर्ग संख्या का हिस्सा नहीं थे

नियम, सेवा की वरिष्ठ शाखा की संवर्ग संख्या मिली बढ़ा दिया। रिट याचिकाकर्ता की तदर्थ अतिरिक्त के रूप में पदोन्नति

जिला न्यायाधीश ने अधिसूचना दिनांक 5-1-2002 के माध्यम से जिसके अनुसार

1963 के नियमों की कसौटी, हमें डर है, यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें तदर्थ अतिरिक्त जिले के पद पर नियुक्ति दी गई थी 1963 के नियमों के तहत न्यायाधीश। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कोई रिक्ति नहीं थी

की वरिष्ठ शाखा की संवर्ग संख्या में पदोन्नति द्वारा भरा जाना

उस तारीख को 1963 के नियमों के तहत सेवा। डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II इंजीनियरिंग में इस न्यायालय के निर्णय।

ers 'assn। 20 और रुद्र कुमार सैन 2 1 के साथ-साथ बृज मोहन में भी निम्नानुसार माना गया थाः

41. प्रत्यक्ष भर्ती में इस न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों की पीठ

महाराष्ट्र राज्य में उप अभियंताओं के बीच। यह न्यायालय एस. बी. सहित इस न्यायालय के पिछले निर्णयों पर विचार किया गया।

पटवर्धन बनाम. महाराष्ट्र राज्य 22 और बालेश्वर दास बनाम। U.P.23 की स्थिति और रिपोर्ट के पैरा 47 में कानूनी का सारांश दिया गया है

स्थिति. पैरा 47 के खंड (ए), (बी) और (सी) के लिए प्रासंगिक हैं

वर्तमान उद्देश्य जो इस प्रकार हैः (डायरेक्ट रिक्रूट क्लास II

इंग. ऑफिसर्स एसोसिएशन। 2 ओ, एस. सी. सी पी. 745 , पैरा 47)

" (ए) एक बार जब किसी पदधारी को नियम के अनुसार किसी पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उसकी वरिष्ठता को उसके कार्यकाल की तारीख से गिना जाता है। नियुक्ति और उसकी पुष्टि की तारीख के अनुसार नहीं।

0) 2 एस. सी. सी. 715

* 7) 3 एस. सी. सी. 399 :

0) 4 एस. सी. सी. 226 दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम। राजस्थान आन लोकक उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे.]

उपरोक्त नियम का परिणाम यह है कि जहां प्रारंभिक नियुक्ति केवल तदर्थ है और नियमों के अनुसार नहीं है और एक विराम अंतराल व्यवस्था के रूप में की गई है, ऐसे पद पर कार्यपालन नहीं किया जा सकता है।

वरिष्ठता पर विचार करने के लिए खाता।

(ख) यदि प्रारंभिक नियुक्ति नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके नहीं की जाती है, लेकिन नियुक्त व्यक्ति नियमों के अनुसार अपनी सेवा के नियमित होने तक निर्बाध रूप से पद पर बना रहता है, तो कार्यवाहक सेवा की अवधि को गिना जाएगा।

(ग) जब नियुक्तियाँ एक से अधिक स्रोतों से की जाती हैं, तो इन स्रोतों से भर्ती के लिए अनुपात तय करने की अनुमति होती है। विभिन्न स्रोत , और यदि इस संबंध में नियम बनाए जाते हैं तो वे

आम तौर पर इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

वरिष्ठता पर विचार करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। द. रिट याचिकाकर्ता की तदर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति 1963 के नियमों के अनुसार नहीं है। सरल कारण जिसके कारण

इसका परिणाम यह है कि कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं थी जो

उस तारीख को सुपीरियर ज्यूडिशियल में पदोन्नति द्वारा भरा जाना था

सेवा (वरिष्ठ शाखा)।

42. रुद्र कुमार सैन 2 1 21 में इस न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ

पदोन्नति पाने वालों के बीच अंतर वरिष्ठता से संबंधित लाभ

दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में प्रत्यक्ष भर्ती। विवाद

क्या इस न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश और निर्देश

सिंगला 2 4 का अनुसरण किया गया है या नहीं। न्यायालय ने 3 पर विचार किया

" सेवा विवेक के संदर्भ में और रिपोर्ट के पैरा 20 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित "," ठहराव "और" आकस्मिक ": (रुद्र कुमार मामला 2 1, एस. सी. सी. पी. 45)

" 20. सेवा न्यायशास्त्र में, एक व्यक्ति जिसके पास किसी विशेष पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता हो

और फिर उसे उपयुक्त प्राधिकारी के अनुमोदन और परामर्श से नियुक्त किया जाता है और काफी लंबी अवधि तक पद पर बना रहता है, तो ऐसी नियुक्ति को 'विराम या आकस्मिक या विशुद्ध रूप से तदर्थ' नहीं माना जा सकता है। इस दृष्टि से इस मामले में, जिस तर्क और आधार पर दिल्ली उच्च न्यायिक सेवा में पदोन्नति की नियुक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा 'आकस्मिक/तदर्थ/विराम' माना गया था, वह पूरी तरह से गलत है और इसलिए, उन्हें बाहर रखा गया है।

नियुक्तियों के लिए उनकी सेवा की निरंतर अवधि वरिष्ठता गलत है।

डिवीजन बेंच ने विवादित आदेश 25 में उपरोक्त का हवाला दिया है

रुद्र कुमार सैन का अनुच्छेद 2 1 21 लेकिन इसे गलत तरीके से लागू किया।

43. बृज मोहन लाल (1) या इस मामले की तीन न्यायाधीशों की पीठ

न्यायालय, अन्य बातों के साथ-साथ, फास्ट ट्रैक न्यायालय योजना पर विचार करता है। में।

निर्णय के पैरा 10 में, इस न्यायालय ने विभिन्न निर्देश दिए।

उस अनुच्छेद में निर्देश 14 प्रासंगिक है जो हो सकता है -

निम्नलिखित रूप में व्याख्या की गईः (एस. सी. सी पी. 10)

(i) सेवा में न्यायिक अधिकारियों को कोई अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा।

उसके आधार पर किसी भी नियमित पदोन्नति का दावा करने के लिए

योजना के तहत तदर्थ आधार पर नियुक्ति।

((ii) फास्ट ट्रैक न्यायालयों में प्रदान की जाने वाली सेवाएँ

मूल संवर्ग में प्रदान की गई सेवा मानी जाएगी। (iii) यदि किसी न्यायिक अधिकारी को फास्ट ट्रैक अदालतों में उनके कार्यकाल के दौरान मूल संवर्ग में उच्च श्रेणी में पदोन्नत किया जाता है, तो फास्ट ट्रैक अदालतों में दी गई सेवा को निम्न मान लिया जाएगाः

इतने उच्च श्रेणी में सेवा करें।

44. रिट याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील

निर्देशन 14 के तीसरे भाग पर बहुत अधिक भरोसा किया गया। एक बात के रूप में वास्तव में, इस भाग पर आक्षेपित निर्णय में इस रूप में भरोसा किया गया है

ठीक है। यह रिट याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किया जाता है कि पदोन्नति पर उच्च न्यायिक सेवा के वरिष्ठ शाखा संवर्ग के दौरान

फास्ट ट्रैक अदालतों में उनका कार्यकाल, रिट याचिकाकर्ता हकदार है

फास्ट ट्रैक में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा की गिनती के लिए

उच्च न्यायिक सेवा (वरिष्ठ शाखा) में एक सेवा के रूप में न्यायालय।

नरेंद्र प्रसाद दास बनाम। उड़ीसा राज्य, 2011 का डब्ल्यू. पी. (सी) No.21449 ने निर्णय लिया

-2011 (ओरी)

दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम। राजस्थान के अन्य न्यायाधीशों का उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे।]

प्रस्तुतिकरण निर्देश 14 के पहले दो भागों को नजरअंदाज करता है, एक, योजना के तहत तदर्थ आधार पर उसकी नियुक्ति के आधार पर किसी भी नियमित पदोन्नति का दावा करने के लिए न्यायिक सेवा में कोई अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा; और दूसरा, फास्ट ट्रैक न्यायालयों में प्रदान की गई सेवा को मूल संवर्ग में प्रदान की गई सेवा माना जाएगा। हमारी राय में, जब तक उच्च न्यायिक सेवा (वरिष्ठ शाखा) के संवर्ग में रिक्ति नहीं हो जाती, जिसे पदोन्नति द्वारा भरा जाना था, तब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में रिट याचिकाकर्ता द्वारा दी गई सेवा को उच्च न्यायिक सेवा (वरिष्ठ शाखा) में दी गई सेवा नहीं माना जा सकता है। बल्कि तब तक, वह मूल संवर्ग यानी उच्च न्यायिक सेवा (कनिष्ठ शाखा) के सदस्य बने रहे। हमारे विचार में, निर्देश 14 का तीसरा भाग इस तरह से पढ़ने योग्य नहीं है कि

1963 नियम "।

(बी) वी. वेंकट प्रसाद और अन्य बनाम। ए. पी. और अन्य के उच्च न्यायालय, इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने उस मामले पर विचार किया जो लगभग समान तथ्य स्थिति में उत्पन्न हुआ था। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) के रूप में दी गई सेवा की गणना के लिए संबंधित न्यायिक अधिकारी के दावे को खारिज कर दिया गया था। देवव्रत दास में इस अदालत के फैसले पर भरोसा रखा गया था और उस फैसले में अनुपात का पालन किया गया था।

(ग) कुम सी. यामिनी बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य ने इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मुद्दे पर विचार किया जहां

बार के उम्मीदवारों को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था और उनके विचार के बाद, प्रारंभिक तदर्थ नियुक्ति की तारीख से उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखने के लिए दावा किया गया था। प्रासंगिक अवलोकन इस प्रकार हैं:

" 12. उनके अवशोषण के दावे को अस्वीकार करते हुए और नियमित संवर्ग में भर्ती के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती देते हुए त्वरित अदालतों में नियमित संवर्ग के पदों पर नियुक्त तदर्थ न्यायाधीशों के दावों पर विचार करने के लिए बृज मोहन लाल (2) (उपरोक्त) में कुछ निर्देश जारी किए गए थे। केवल निर्देशों का पालन करते हुए, दूसरे प्रतिवादी ने जिला न्यायाधीशों और अपीलार्थियों के नियमित संवर्ग में नियुक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए अधिसूचना जारी की है और अन्य ने इस तरह की अधिसूचना का जवाब दिया और उनमें से कुल 12 को नियमित रिक्तियों के लिए चुना गया। विधि (एल. ए. एंड जे. एस. सी. एफ.) विभाग द्वारा जारी G.O.MS. <आई. डी. 3 में दिनांकित 02.07.2013 नियुक्ति आदेश में, उन्हें दो साल की अवधि के लिए और सफल परिवीक्षा की घोषणा के बाद और [2020] 10 एस. सी. आर. के लिए परिवीक्षा पर रखा गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए. पी. उच्च न्यायिक सेवा के अंतर्गत आने वाले जिला न्यायाधीशों के नियमित रिक्त पदों के लिए नियुक्तियां की जानी हैं। यदि किसी व्यक्ति को संवर्ग में किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति संवर्ग में रिक्त पदों पर नियुक्त व्यक्तियों पर किसी भी वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकता है। 11 वें वित्त आयोग के अनुदान से शुरू में पांच साल के लिए स्वीकृत फास्ट ट्रैक अदालतों को कुछ राज्यों में इस अवधि के बाद भी जारी रखा गया था। कुछ अन्य राज्यों में राज्यों और ऐसे फास्ट ट्रैक न्यायालयों से सहायता बंद कर दी गई थी। केवल इस आधार पर कि उनका चयन उसी प्रक्रिया का पालन करके किया गया था

नियमित चयन, प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता प्रदान करने के उनके दावे पर विचार करने का कोई आधार नहीं है। जब जिला न्यायाधीशों के रिक्त नियमित पदों पर चयन करने के लिए वर्ष 2004 में जारी अधिसूचना को नियमित करने/अवशोषण और चुनौती देने के उनके दावे को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है और इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाती है, तो हमारा विचार है कि अपीलार्थियों के पास प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से वरिष्ठता का दावा करने का कोई आधार नहीं है। किसी भी स्थिति में, नियुक्ति का लाभ लेने के बाद वर्ष 2013 में उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना के जवाब में आवेदन करने के बाद, अपीलकर्ताओं के लिए आदेश में लगाई गई शर्तों पर सवाल उठाने के लिए खुला नहीं है जो नियमों के अनुरूप है। निर्विवाद रूप से, अपीलार्थी को केवल फास्ट ट्रैक न्यायालयों की अध्यक्षता करने के लिए तदर्थ जिला न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रारंभ में जब उन्हें किसी पद या पदों की श्रेणी में नियुक्त नहीं किया गया था, जो ऐसी श्रेणी में संवर्ग संख्या का हिस्सा है, तो अपीलार्थी संवर्ग संख्या का हिस्सा बनने वाले पदों की श्रेणी में नियमित रूप से नियुक्त व्यक्तियों पर किसी भी वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकता है। दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम के दावे को अस्वीकार करने का एक और आधार है।

राजस्थान आन लोकक उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे.]

अपीलार्थी। यद्यपि अपीलार्थी उन व्यक्तियों पर वरिष्ठता का दावा करता है जिन्हें नियमित रूप से रिक्त पदों पर नियुक्त किया जाता है जो संवर्ग संख्या का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें पक्षकार भी नहीं बनाया जाता है। इस आधार पर भी, अपीलार्थियों का दावा अस्वीकृत होने योग्य है।

14. हमने रुद्र कुमार सैन और अन्य के मामले में अपीलार्थी पक्ष द्वारा व्यक्तिगत रूप से दिए गए फैसले का अध्ययन किया है। वी. संघ का

भारत और ओआरएस। (ऊपर)। उपरोक्त मामले में, मुद्दा प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नतियों के बीच वरिष्ठता के दावे से संबंधित है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वेंकटरमानी ने भी बृज मोहन लाल (1) बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है। भारत संघ और अन्य। (ऊपर); देबब्रत दास और अन्न के मामले में। वी. जतिंद्र प्रसाद दास और अन्य। (उपर्युक्त); वी. वेंकट प्रसाद और अन्य के मामले में। वी. आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय और अन्य। (उपर्युक्त) और बृज मोहन लाल के मामले में (2) v. भारत संघ और अन्य। (ऊपर)। हमने विद्वानों द्वारा ऊपर उल्लिखित निर्णयों पर गौर किया है।

वरिष्ठ वकील श्री वेंकटरमानी और पार्टी व्यक्तिगत रूप से। होने के नाते

वर्तमान अपीलों में शामिल मुद्दों के संबंध में, हमारा विचार है कि उपरोक्त मामलों में तय किया गया अनुपात इन मामलों में उनके दावे के समर्थन में कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा। वरिष्ठता का दावा कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिनकी प्रकृति

नियुक्ति, नियम जिनके अनुसार नियुक्तियाँ की जाती हैं और जब नियुक्तियाँ की जाती हैं, क्या ऐसी नियुक्तियाँ थीं

संवर्ग पद हों या न हों आदि। जब अपीलार्थियों को ए. पी. न्यायिक सेवा में किसी भी नियमित पद पर नियुक्त नहीं किया गया था, तो अपीलार्थी त्वरित अदालतों की अध्यक्षता करने के लिए अपनी तदर्थ नियुक्तियों के आधार पर वरिष्ठता का दावा नहीं कर सकते हैं। हमारा विचार है कि अपीलार्थियों द्वारा दिए गए उक्त निर्णयों में तय किया गया अनुपात उनके मामले के समर्थन में कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा।

15. दूसरी ओर, वी. वेंकट प्रसाद और अन्य के मामले में निर्णय। वी. आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय और अन्य। (उपर्युक्त), इस न्यायालय ने, स्पष्ट शब्दों में, ए. पी. राज्य उच्च न्यायिक सेवा तदर्थ नियुक्तियों के लिए विशेष नियम, 2001 पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि फास्ट ट्रैक न्यायालयों के संबंध में ऐसी नियुक्तियां तदर्थ प्रकृति की हैं और ऐसी नियुक्तियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस न्यायालय का उपरोक्त दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से प्रतिवादियों के मामले का समर्थन करता है। उक्त मामले का अनुच्छेद 25 जो इसके लिए प्रासंगिक है

इन मामलों का उद्देश्य इस प्रकार हैः 25. उपरोक्त से

दो प्राधिकरण, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि [2020] 10 एस. सी. आर. के संबंध में नियुक्तियाँ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

फास्ट ट्रैक अदालतें तदर्थ प्रकृति की होती हैं और इस तरह की नियुक्ति के आधार पर नियमित पदोन्नति के लिए निचली न्यायपालिका से तदर्थ आधार पर पदोन्नत/तैनात ऐसी भर्तियों को प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एफ. टी. सी. न्यायाधीशों की नियुक्ति नियमित नियमों को नियंत्रित करने वाले नियमों की तुलना में नियमों के एक अलग समूह के तहत की गई थी।

राज्य उच्च न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति "।

देबब्रत दास और वी. वेंकट प्रसाद 1 में निर्णय उस संदर्भ में थे जहां सेवारत न्यायिक अधिकारियों को विज्ञापन दिया गया था।

फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में अस्थायी पदोन्नति, जबकि सी. यामिनी 1 8 में बार के सदस्यों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया गया था और ये निर्णय इस प्रकार मुद्दे को पूरी तरह से समाप्त करते हैं। जैसा कि उक्त निर्णयों में कहा गया है, गणना योग्य तिथि वह तिथि होनी चाहिए जब मूल नियुक्ति की जाती है न कि प्रारंभिक तदर्थ तिथि से।

नियुक्ति या पदोन्नति। अतः प्रश्न (क) का उत्तर इस प्रकार है -

नकारात्मक।

40. जहाँ तक प्रश्न सं। (बी), यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि अधिसूचना दिनांक 15.04.2010 ने 36 को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया था।

प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा रिक्तियां और पदोन्नति द्वारा 22 रिक्तियां

एल. सी. ई. के माध्यम से। इससे पहले अधिसूचना दिनांक 31.03.2010 के माध्यम से रिक्तियों का निर्धारण किया गया था। उक्त अधिसूचना दिनांक आई. डी. 2 के संदर्भ में शुरू की गई प्रक्रिया को रद्द करने के बाद, रिक्तियों का एक नया निर्धारण किया गया और आई. डी. 1 की अधिसूचना में अब एल. सी. ई. के माध्यम से पदोन्नति और नियमित पदोन्नति के लिए क्रमशः 37,32 और 24 पर सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां पाई गईं। इस प्रकार, अधिसूचना दिनांक 15.04.2010 के बाद उपलब्ध होने वाली रिक्तियों को भी ध्यान में रखा गया। दिनांकित 15.03.2019 की रिपोर्ट से पता चलता है कि दिनांकित 31.03.2011 अधिसूचना के अनुसार प्रक्रिया में कुछ चयनित उम्मीदवारों ने 2010 की पिछली प्रक्रिया में भी भाग नहीं लिया था। परिसर में, यदि यह निवेदन स्वीकार किया जाता है कि अधिसूचना दिनांक 1 के तहत शुरू की गई प्रक्रिया को 2010 के पहले के चयन की निरंतरता में माना जाना चाहिए, तो यह उन व्यक्तियों को अनुचित लाभ प्रदान करने के बराबर होगा जिन्होंने या तो 2010 की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया था या जो 2010 में पात्र भी नहीं थे। इसलिए, 15.03.2019 की रिपोर्ट ने रिकॉर्ड पर तथ्य स्थिति की सही ढंग से सराहना की और निष्कर्ष निकाला कि यह पिछली प्रक्रिया की निरंतरता में नहीं होगा।

41. जहाँ तक प्रश्न सं। (ग), यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 2010 के नियम लागू होने की तारीख को, अतिरिक्त जिला और

फास्ट ट्रैक अदालतों का प्रबंधन करने वाले सत्र न्यायाधीशों ने दीनेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम में सेवा प्रदान की थी।

राजस्थान के अन्य न्यायाधीशों का उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे।]

लगभग 07 वर्षों के लिए तदर्थ क्षमता। यह सवाल कि क्या उन्हें नियमित आधार पर पदोन्नति दी जाएगी, विचार का विषय था।

उच्च न्यायालय से। 2008 में न्यायाधीशों की समिति की रिपोर्ट में सलाह दी गई थी कि उन्हें नियमित पदोन्नति दी जाए और मामले को पूर्ण न्यायालय के स्तर पर स्थगित किया जा रहा है। यह इस स्तर पर था कि 2010 के नियम 18.01.2010 से प्रभावी हुए। इसके बाद भी, अधिसूचना दिनांक 31.03.2010 ने केवल रिक्ति की स्थिति को प्रकाशित किया था

एलसीई के माध्यम से प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति के संबंध में। यह स्पष्ट रूप से ऐसा था, क्योंकि उन फास्ट ट्रैक अदालत के न्यायाधीशों को पर्याप्त आधार पर नियमित पदोन्नति देने के मुद्दे पर एक साथ विचार किया जा रहा था और एक औपचारिक आदेश पारित किया गया था

47 न्यायिक अधिकारियों को मूल आधार पर जिला न्यायाधीश के संवर्ग में पदोन्नत करना। 47 न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नति का अनुदान और दिनांक 1 की अधिसूचना के अनुसार चयन प्रक्रिया

दिनांक 2 की अधिसूचना के अनुसार शुरू की गई नियुक्तियों को प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दिया गया था और दिनांक 1 की अधिसूचना के अनुसार प्रक्रिया के संबंध में नियुक्तियां केवल वर्ष 2013 में प्रभावी हो सकती थीं, यानी 47 न्यायिक अधिकारियों के 3 साल से अधिक समय बाद। जिला न्यायाधीश के संवर्ग को महत्वपूर्ण नियुक्ति प्रदान की गई। इसके अलावा, यदि 47 न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नति का अनुदान माना जाता है

इसी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, कुछ प्रत्यक्ष भर्तियों के पास वर्ष 2010 में पात्रता भी नहीं हो सकती है और फिर भी उन्हें 47 न्यायिक अधिकारियों में से कुछ से ऊपर रखा जा सकता है। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक आई. डी. 2 में किया गया मूल्यांकन बिना किसी कमजोरी के है और हमें यह निष्कर्ष निकालने में कोई संकोच नहीं है कि 47 न्यायिक अधिकारियों को दी गई पर्याप्त पदोन्नति को उसी चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं माना जा सकता है जहां एल. सी. ई. के माध्यम से प्रत्यक्ष भर्ती और उम्मीदवारों को आई. डी. 1 पर जिला न्यायाधीश के संवर्ग में नियुक्त किया गया था।

यदि जिला न्यायाधीश के संवर्ग में 47 न्यायिक अधिकारियों की मूल नियुक्ति उस चयन प्रक्रिया से अलग और अलग है जिसके माध्यम से तीन साल बाद 15.07.2017 पर नियुक्ति की गई थी, तो चक्रीय आदेश को लागू करने के लिए कोई प्रश्न या अवसर नहीं होगा। 47 न्यायिक अधिकारियों [2020] 10 एस. सी. आर. की नियुक्ति किसी का तर्क नहीं है।

प्रासंगिक तिथि पर या तो नियमित पदोन्नति के लिए निर्धारित कोटा से परे था या प्रक्रिया में कोई गंभीर दुर्बलता थी या कि कोई भी उम्मीदवार पूरी तरह से अयोग्य था। क्योंकि वहाँ एक था

चयन के इन दो तरीकों के बीच 3 साल से अधिक का अंतर, 15.03.2019 की रिपोर्ट ने सही निष्कर्ष निकाला कि चक्रीय क्रम को आकर्षित नहीं होना चाहिए।

यह सच है कि चक्रीय क्रम और विभिन्न धाराओं के लिए कोटा तीन स्रोतों के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करता है। हालांकि, आवेदन

चक्रीय क्रम को तथ्य स्थितियों पर निर्भर होना चाहिए। ठीक इसी कारण से नियम में "जहाँ तक संभव हो" अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। अन्य चीजें समान होने के कारण, निश्चित रूप से विभिन्न धाराओं और चक्रीय क्रम के लिए कोटा का पालन किया जाना चाहिए। हालाँकि, यदि इस तरह का पालन स्वयं ही असंगत स्थिति पैदा करने वाला है और अतुलनीय नुकसान पहुँचाने वाला है, तो ऐसे मामलों में चक्रीय आदेश की प्रयोज्यता पर जोर देना उचित नहीं हो सकता है। इसलिए, इस न्यायालय ने वीणा वर्मा 1 2 में अपने निर्णय के पैरा 34 में "जहां तक संभव हो" अभिव्यक्ति पर भरोसा किया था। एम. पी. बनाम राज्य में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना भी शिक्षाप्रद होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन और एक और 26, जहाँ "जहाँ तक संभव हो" अभिव्यक्ति की व्याख्या की गई थीः

" " जहाँ तक संभव हो "

38. उपरोक्त वाक्यांश लचीलेपन, कपड़ों का प्रावधान करता है।

प्राधिकरण विशेष स्थितियों से निपटने की शक्तियों से संबंधित है जहां समाधान की सामान्य प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। उपरोक्त वाक्यांश की व्याख्या निषेधात्मक नहीं होने के रूप में की जा सकती है।

प्रकृति में। उक्त शब्द बल्कि निर्धारित प्राधिकारी में निहित विवेक को दर्शाते हैं। इस प्रकार यह विवेक है न कि मजबूरी। इस संबंध में कोई कठोर और त्वरित नियम नहीं है क्योंकि ये शब्द संबंधित प्राधिकारी को विवेक प्रदान करते हैं। एक बार प्राधिकरण

अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए, अदालत को उक्त विवेकाधिकार/निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं पाया जाता है।

(वीडिय इरिडियम इंडिया टेलीकॉम लिमिटेड बनाम। मोटोरोला Inc.27 और राजस्थान के लिए उच्च न्यायालय बनाम। वीणा वर्मा 1 2.) इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि इस वाक्यांश का सरल अर्थ है कि सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए जब तक कि इसका पालन करना संभव नहीं है

किसी मामले की विशेष परिस्थितियाँ।

26 (2011) 7 एस. सी. सी. 639 27 (2005) 2 एस. सी. सी. 145 दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम।

राजस्थान आन लोकक उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे.]41.1 . हमें इस स्तर पर एन. आर. परमार में इस न्यायालय के निर्णय के आधार पर प्रस्तुतियों से निपटना चाहिए। उस मामले में इस न्यायालय की दो पीठ ने ओ. एन. दिनांक 20.12.1999 पर विचार करते हुए और

. 2000 निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला गया थाः

" 31.2 . यह आवश्यक नहीं है कि किसी विशेष भर्ती वर्ष की रिक्तियों के लिए सीधी भर्ती, भर्ती वर्ष (जिसके दौरान रिक्तियां उत्पन्न हुई थीं) के भीतर ही शामिल होनी चाहिए। इस प्रकार, प्रत्यक्ष भर्तियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए शामिल होने की तारीख एक प्रासंगिक कारक नहीं होगी। अगर कार्रवाई की जाए तो यह पर्याप्त होगा। प्रत्यक्ष भर्ती रिक्तियों के लिए उस भर्ती वर्ष के भीतर शुरू किया गया है जिसमें रिक्तियां उपलब्ध हो गई थीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रशासनिक कार्रवाई में देरी, यह महसूस किया गया था कि किसी व्यक्ति को उसकी उचित वरिष्ठता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, भर्ती वर्ष के भीतर भर्ती के लिए कार्रवाई की शुरुआत संबंधित नियुक्तियों को वरिष्ठता प्रदान करने के लिए पर्याप्त होगी।

भर्ती वर्ष। 34.1 . यदि भर्ती की प्रक्रिया भर्ती वर्ष (जिसमें रिक्तियां उत्पन्न हुई हैं) के दौरान ही शुरू की गई है,

भले ही उक्त भर्ती के लिए परीक्षा एक में आयोजित की जाती है

बाद के वर्ष, और परिणाम एक वर्ष बाद घोषित किया जाता है (उस वर्ष की तुलना में जिसमें परीक्षा आयोजित की गई थी), और चयनित उम्मीदवार एक और बाद के वर्ष में शामिल हुए (उस वर्ष की तुलना में जिसमें परिणाम घोषित किया गया था), चयनित उम्मीदवार भर्ती वर्ष (जिसमें रिक्तियों की मांग की गई थी) के संदर्भ में वरिष्ठता सौंपे जाने के हकदार होंगे। उपरोक्त निष्कर्ष (दिनांक 2-2-2000 में व्यक्त) के लिए तर्क और तर्क यह है कि यदि सीधी भर्ती की प्रक्रिया भर्ती वर्ष में ही शुरू की जाती है, तो चयनित उम्मीदवार (ओं) को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

चयन की प्रक्रिया को पूरा करने में प्रशासनिक देरी। उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया था कि

प्रत्यक्ष भर्ती और एल. सी. ई. के माध्यम से चयनित तिथियां

. 2013 यदि उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक मामलों में 47 न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति के मुद्दे को और प्रत्यक्ष भर्ती और एल. सी. ई. के माध्यम से चयन को [2020] 10 एस. सी. आर. पर अलग कर दिया था, तो इस पर पूर्वाग्रह नहीं किया जा सकता था।

एस और नियुक्तियों के बीच तीन साल के समय अंतराल का, पहले, कोई परिणाम नहीं होगा।

इसके बाद एन. आर. परमार के फैसले पर भरोसा किया गया।

माननीय पंजाब में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ और

उच्च न्यायालय बनाम। पंजाब राज्य और अन्य 28. उस मामले में, जिला ई के संवर्ग में तीन अलग-अलग स्रोतों से भर्ती तीन अलग-अलग तिथियों पर की गई थी, लेकिन एक ही वर्ष में। पैराग्राफ

53 उक्त निर्णय का निष्कर्ष निम्नानुसार निकाला जा सकता हैः

50. इस मोड़ पर, पदोन्नत लोगों के लिए विद्वान वकील द्वारा जोर देकर कही गई दलीलों में से एक यह है कि वरिष्ठता के निर्धारण के लिए, सेवा की निरंतर अवधि निर्धारक है। प्रत्यक्ष भर्ती और आउट ऑफ टर्न पदोन्नति करता है, जो जब पदोन्नतियों को पदोन्नत किया गया तो वे कैडर में पैदा भी नहीं हुए थे, उन्हें पदोन्नतियों के बाद वरिष्ठता लेनी होती है। इस संदर्भ में, भारत संघ और अन्य मामलों में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना उपयोगी है। वी. एन. आर. परमार और अन्य। (2012) 13 एस. सी. सी. 340, उक्त मामले में मुद्दा भी वरिष्ठता के निर्धारण का मुद्दा था।

प्रत्यक्ष भर्तियों बनाम पदोन्नति और कोटा और रोटा के बीच

सिद्धांत। इस न्यायालय के पास कार्यालय पर विचार करने का अवसर था

सरकार द्वारा दिनांक 22.12.1959 पर जारी ज्ञापन। उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 6 को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कहा गया था

निर्णय के पैरा 23 में कहा गया हैः

23. केंद्रीय सेवाओं में वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए सामान्य सिद्धांतों को एक अनुबंध में निर्धारित किया गया है

भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22-12-1959 (इसके बाद "दिनांकित OM 22-12-1959" के रूप में संदर्भित)। ऊपर निर्दिष्ट अनुलग्नक के पैरा 6 में अंतर वरिष्ठता निर्धारित करने का तरीका निर्धारित किया गया है। प्रत्यक्ष भर्तियों और पदोन्नति के बीच। पैरा 6 निकाला जा रहा है।

इसके नीचेः

सीधी भर्ती और पदोन्नति जो सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए आरक्षित रिक्तियों के कोटा पर आधारित होगी क्रमशः विभाग के नियमों में।

9) 12 एस. सी. सी. 496 दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम। राजस्थान आन लोकक उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे.]

यह 22 तारीख के ओ. एम. के उपरोक्त उद्धरण से स्पष्ट है।

और सीधे भर्ती। प्रदान किया गया आवर्तन प्रोमो-टीज़ और प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच कोटा के आवर्तन की अवधारणा पर आधारित था। इसलिए यह स्पष्ट है कि ओ. एम. दिनांक 22-12 1959 के तहत पदोन्नत और प्रत्यक्ष भर्तियों के बीच अंतर वरिष्ठता "कोटा" और "रोटा" सिद्धांत पर आधारित थी। इनमें से कुछ उपकरणों में इसे सार्थक रूप से "कोटा के आवर्तन" के रूप में वर्णित किया गया है। 51. ऐसी स्थिति का ध्यान रखने के लिए 07.02.1986 पर एक और कार्यालय ज्ञापन था जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि भविष्य में, जबकि सीधी भर्तियों और पदोन्नतियों की अंतर-वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए कोटा के आवर्तन के सिद्धांत का पालन किया जाएगा, बाद के वर्षों की सीधी भर्तियों द्वारा भरे जाने के लिए रिक्त स्थानों को रखने की वर्तमान प्रथा, जिससे उन्हें पहले से ही पद पर तैनात पदोन्नतियों पर अनपेक्षित वरिष्ठता दी जाएगी। इस न्यायालय ने 07.02.1986 दिनांकित कार्यालय ज्ञापन पर ध्यान दिया और

यह देखा गया कि "जब सीधी भर्तियां या पदोन्नति बाद की परीक्षाओं या चयनों के माध्यम से उपलब्ध होती हैं", तो इसका स्पष्ट रूप से मतलब है कि जिस स्थिति पर विचार किया गया है, वह वह है जहां पहले परीक्षा या चयन हुआ है, और उसके बाद "बाद में" परीक्षा या चयन किया जाता है।

52. उपरोक्त संदर्भ में, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 31.2 में निम्नलिखित निर्धारित किया कि "यह आवश्यक नहीं है कि किसी विशेष भर्ती वर्ष की सीधी भर्तियों को भर्ती वर्ष के भीतर ही शामिल होना चाहिए"। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रत्यक्ष भर्तियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए शामिल होने की तारीख एक प्रासंगिक कारक नहीं होगी। पैराग्राफ में

31.2 और 34.1 निम्नलिखित निर्धारित किया गया है:

31.2 . यह आवश्यक नहीं है कि रिक्तियों के लिए सीधी भर्ती की जाए

एक विशेष भर्ती वर्ष के भीतर शामिल होना चाहिए

प्रत्यक्ष भर्ती रिक्तियों के लिए शुरू किया गया है, के भीतर भर्ती वर्ष जिसमें रिक्तियां उपलब्ध हो गई थीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रशासनिक कार्रवाई में देरी महसूस की गई, [2020] 10 एस. सी. आर.

किसी व्यक्ति को उसकी उचित वरिष्ठता से वंचित नहीं कर सकता था। इस प्रकार, भर्ती वर्ष के भीतर भर्ती के लिए कार्रवाई शुरू करना नियुक्त व्यक्तियों को वरिष्ठता प्रदान करने के लिए पर्याप्त होगा।

"कोटा के आवर्तन" सिद्धांत के संदर्भ में संबंधित, ताकि उन्हें अन्य नियुक्तियों (वैकल्पिक से) के साथ व्यवस्थित किया जा सके।

स्रोत), उसी भर्ती वर्ष की रिक्तियों के लिए।

34.1 . यदि भर्ती की प्रक्रिया भर्ती वर्ष के दौरान ही शुरू की गई है (जिसमें रिक्तियां उत्पन्न हुई हैं), भले ही उक्त भर्ती के लिए परीक्षा एक में आयोजित की जाती है अगले वर्ष, और परिणाम एक वर्ष बाद घोषित किया जाता है (उस वर्ष की तुलना में जिसमें परीक्षा आयोजित की गई थी), और चयनित उम्मीदवार एक और बाद के वर्ष में शामिल हो जाते हैं (उस वर्ष की तुलना में जिसमें परिणाम घोषित किया गया था), चयनित उम्मीदवार भर्ती वर्ष (जिसमें रिक्तियों की मांग की गई थी) के संदर्भ में वरिष्ठता सौंपे जाने के हकदार होंगे। उपरोक्त निष्कर्ष (ओ. एन. दिनांक 2-2-2000 में व्यक्त) के लिए तर्क और तर्क है, यदि सीधी भर्ती की प्रक्रिया है

भर्ती वर्ष में ही शुरू किए गए, चयनित उम्मीदवारों को पूरा करने में प्रशासनिक देरी के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

चयन की प्रक्रिया।

53. वर्तमान मामले में, तीनों धाराओं की प्रक्रिया वर्ष 2008 में पूरी की गई थी और तीनों धाराओं के सभी अधिकारी एक ही वर्ष में शामिल हुए थे। यह निवेदन कि कोटा रोटा नियम तोड़ा गया था या वरिष्ठता पहले एक श्रेणी के अधिकारियों के शामिल होने के कारण प्रभावित होगी, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह ध्यान में रखना भी प्रासंगिक है कि वैधानिक नियमों का उद्देश्य और एक

भर्ती की प्रक्रिया निश्चितता प्राप्त करने के लिए थी। विभिन्न धाराओं से संबंधित अधिकारियों को विश्वास होना चाहिए कि उन्हें उनके कोटे के तहत भर्ती किया जाएगा और उन्हें उनके कोटे के अनुसार वरिष्ठता मिलेगी।

और सूची। यदि किसी विशेष धारा में शामिल होने की तारीख के साथ वरिष्ठता तय की जानी है, तो इससे अनिश्चितता पैदा होगी और प्रशासनिक अधिकारियों के आधार पर वरिष्ठता होगी, जो न तो सेवा के हित में है और न ही न्याय के उद्देश्य की पूर्ति करती है। इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वरिष्ठता के निर्धारण के लिए सूची पूरी तरह से लागू होती है। यद्यपि एक विशेष वर्ष में विभिन्न धाराओं के अधिकारियों का चयन किया जाता है

उन्हें अलग-अलग तारीखों पर पद में शामिल होने की अनुमति दी गई थी, जिससे उनकी अंतर वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी, जो रोस्टर के आधार पर तय की जानी है। दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम।

राजस्थान आन लोकक उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे.]41.2 हालाँकि, यह कहा जाना चाहिए कि एन. आर. * में निर्णय। के. मेघचंद्र सिंह और अन्य मामलों में न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने तब से आर को खारिज कर दिया है। बनाम निंगम सिरो और आरएस 2 9 29। उक्त निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद इस प्रकार हैं:

5. रिट कोर्ट के समक्ष, पदोन्नतियों ने तर्क दिया कि उन्होंने एम. पी. एस. ग्रेड II संवर्ग में 01.03.2007 पर प्रवेश किया, जबकि निजी प्रतिवादी संख्या। 3 33 को बाद में नियुक्त किया गया (क्रमशः 14.08.2007 और 24.11.2007 पर) और इसलिए, वे

प्रत्यक्ष भर्तियों से वरिष्ठ माना जाना चाहिए।

नियुक्ति को अंतिम रूप देने के कारण नियुक्ति में देरी से व्यक्ति को उसकी उचित वरिष्ठता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। संदर्भ देकर कोटा सिद्धांत के आवर्तन के लिए, वकील का तर्क है कि रिक्ति के वर्ष में भर्ती के लिए कार्रवाई की शुरुआत होगी

पर्याप्त, उस वर्ष से वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए।

20. प्रत्यर्थियों/पदोन्नतों का प्रतिनिधित्व करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील, श्री जयदीप गुप्ता ने एम. पी. एस. नियम, 1965 का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि नियमों के प्रावधान यह स्पष्ट करते हैं कि एम. पी. एस. ग्रेड-III के संवर्ग में अंतर-वरिष्ठता उस क्रम से निर्धारित की जानी है जिसमें सेवा में नियुक्तियां की जाती हैं। वकील स्पष्ट रूप से नियम 28 (i) का उल्लेख करता है जहाँ यह है

9) एससीसी ऑनलाइन एससी 1494 [2020] 10 एस. सी. आर.

निर्दिष्ट किया गया है कि सेवा में वरिष्ठता निर्धारित की जाएगी

उस क्रम से जिसमें सेवा में नियुक्तियाँ की जाती हैं। . ... उन्होंने नियम 28 (iii) के बाद के भाग का भी उल्लेख किया, जहां फिर से यह निर्दिष्ट किया गया है कि "अधिकारी की वरिष्ठता को उस तारीख से गिना जाएगा, जब उसे सेवा में नियुक्त किया जाता है। नियम 16 (iii) के प्रावधानों पर श्री गुप्ता द्वारा यह तर्क देने के लिए दबाव डाला गया है कि केवल जब व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, तो उसे पदग्रहण की तारीख से सेवा में नियुक्त किया गया माना जाएगा।

21. एन. आर. परमार (सुप्रा) के फैसले को बराबर पढ़ा जाता है।

श्री गुप्ता ने सबसे पहले यह इंगित करने पर जोर दिया कि यह मामला वरिष्ठता के निर्धारण में सही कानून निर्धारित नहीं करता है। वकील ऐसी स्थिति में असंगति पर प्रकाश डालता है जहां एक व्यक्ति जो बाद में सेवा में प्रवेश करता है, वह उन लोगों से अधिक वरिष्ठता का दावा करेगा जो पहले सेवा में शामिल हुए थे। श्री गुप्ता वर्तमान मामले में वादियों के लिए एन. आर. परमार (सुप्रा) में अनुपात की प्रयोज्यता पर भी सवाल उठाते हुए कहते हैं कि एम. पी. एस. नियमों के प्रावधान,

1965 मणिपुर पुलिस अधिकारियों में अधिकारियों के लिए लागू, एन. आर. परमार (सुप्रा) में विचार का विषय नहीं था, और इसलिए, विभिन्न सेवा नियमों के साथ आयकर निरीक्षकों से संबंधित उक्त अनुपात वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा।

29. एन. आर. परमार (सुप्रा) में निर्णय के संबंध में अपीलार्थियों के वकील के विवाद पर विचार करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, यह अवलोकन करना आवश्यक है कि कानून एक श्रृंखला में काफी अच्छी तरह से तय किया गया है।

मामलों में, कि कोई व्यक्ति उस तारीख से वरिष्ठता का दावा करने का हकदार नहीं है जब वह सेवा में पैदा नहीं हुआ था। उदाहरण के लिए, जे. सी. पटनायक (सुप्रा) 30 में न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार किया कि क्या वह वर्ष जिसमें

रिक्तियों का इस उद्देश्य के लिए कोई असर हो सकता है - व्यक्ति को वास्तव में कब भर्ती किया जाता है, इस तथ्य की परवाह किए बिना वरिष्ठता का निर्धारण करना। न्यायालय ने कहा कि रिक्ति अर्जित होने वाले वर्ष और वर्ष के बीच समय अंतराल हो सकता है

जब अंतिम भर्ती की जाती है। शब्द का उल्लेख करते हुए " उड़ीसा सर्विस ऑफ इंजीनियर्स रूल्स, 1941 में होने वाली भर्ती, सर्वोच्च न्यायालय ने जे. सी. पटनायक (सुप्रा) में अभिनिर्धारित किया कि वह व्यक्ति

यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत के आधार पर सेवा में भर्ती की गई थी, लेकिन औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी होने पर ही वह इस पद पर नियुक्त होता है।

1 8) 4 एस. सी. सी. 456 दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम। राजस्थान आन लोकक उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे.]

अरुणाचल प्रदेश नियमों के संदर्भ में वरिष्ठता विवाद पर विचार करते हुए विशिष्ट संदर्भ देना उपयुक्त है जो एम. पी. एस. नियम, 1965 (वीड (2007) 15 एस. सी. सी. 406 नानी शा और अन्य के समान हैं। वी. अरुणाचल प्रदेश राज्य और अन्य) . समान प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने इस विचार को मंजूरी दी कि वरिष्ठता की गणना उस तारीख से नहीं की जानी चाहिए जब रिक्ति उत्पन्न हुई थी, बल्कि उस तारीख से की जानी चाहिए जिस दिन नियुक्ति की गई थी। पद पर पहुंचा दिया। न्यायालय ने विशेष रूप से कहा कि पूर्वव्यापी वरिष्ठता उस दिन से नहीं दी जानी चाहिए जब कोई कर्मचारी कैडर में पैदा भी नहीं होता है ताकि उन लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े जिन्हें इस बीच वैध रूप से नियुक्त किया गया था।

31. उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में निर्णय का उल्लेख करने से भी हमें लाभ हो सकता है। वी. अशोक कुमार श्रीवास्तव और अन्न। (2014) 14 एससीसी 720। यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह है

एन. आर. परमार (सुप्रा) निर्णय के बाद प्रस्तुत किया गया। यहां अदालत ने पवन प्रताप सिंह और अन्य में अनुपात को मंजूरी दी। वी. रीवन सिंह और ओआरएस। (2011) 3 एस. सी. सी. 267, और इस विचार के साथ सहमति व्यक्त की कि वरिष्ठता को पूर्वव्यापी रूप से नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि यह प्रासंगिक सेवा नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी ऐसे कर्मचारी के लिए वरिष्ठता नहीं दी जा सकती है जो अभी तक संवर्ग में पैदा नहीं हुआ है और ऐसा करने से यह प्रतिकूल हो सकता है यह उन कर्मचारियों को प्रभावित करता है जिन्हें इस बीच वैध रूप से नियुक्त किया गया है। अशोक कुमार श्रीवास्तव (ऊपर) में इस प्रकार घोषित कानून जो हमारे लिए अपील करता है, लाभप्रद रूप से निम्नानुसार निकाला गया हैः

24. अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने पवन प्रताप सिंह बनाम में हाल के प्राधिकरण से प्रेरणा ली है। रीवन सिंह जहाँ न्यायालय ने पहले उल्लेख करने के बाद इस क्षेत्र के अधिकारियों ने कुछ सिद्धांतों को तैयार किया है जिनमें से निम्नलिखित प्रासंगिक हैं जो नीचे दिए गए हैंः

45. ((ii) किसी विशेष सेवा में वरिष्ठता सेवा नियमों के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए। किसी विशेष सेवा में प्रवेश की तारीख या मूल नियुक्ति की तारीख एक अधिकारी या दूसरे के बीच या अधिकारियों के एक समूह और विभिन्न स्रोतों से भर्ती किए गए दूसरे समूह के बीच वरिष्ठता तय करने के लिए सबसे सुरक्षित मानदंड है। वैधानिक नियमों, कार्यकारी निर्देशों या अन्यथा से कोई भी विचलन [2020] 10 एस. सी. आर. होना चाहिए।

45. ((iv) वरिष्ठता की गणना की तारीख से नहीं की जा सकती है। रिक्ति की घटना और इसे पूर्वव्यापी रूप से नहीं दिया जा सकता है जब तक कि यह प्रासंगिक सेवा नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वरिष्ठता पूर्वव्यापी आधार पर नहीं दी जा सकती है जब कोई कर्मचारी कैडर में पैदा भी नहीं हुआ है और ऐसा करने से उन कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है जिन्हें इस बीच वैध रूप से नियुक्त किया गया है।

38. जब हम एन. आर. परमार (सुप्रा) के फैसले को ध्यान से पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि संदर्भित ओ. एम. (दिनांक 07.02.1986 और 03.07.1986) फैसले में ठीक से व्याख्या नहीं की गई थी। अंतिम निष्कर्ष के विपरीत, उक्त दो ओ. एम. ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सीधी भर्तियों की वरिष्ठता केवल नियुक्ति की तारीख से घोषित की जानी चाहिए, न कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ओ. एम. में दिए गए चित्रण का उल्लेख करते हुए निर्णय वास्तव में उक्त चित्रण के प्रभाव को नजरअंदाज करता है। हमारे अनुसार, एन. आर. परमार (सुप्रा) में निकाले गए चित्रण से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि जो रिक्तियां किसी विशेष वर्ष (1986) में सीधी भर्ती के लिए थीं

जो अगले वर्ष (1987) में भरे गए थे, उन्हें केवल बाद के वर्ष की वरिष्ठता सूची में ध्यान में रखा जा सकता था, लेकिन दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य बनाम में नहीं।

राजस्थान आन लोकक उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे.]

1986 की वरिष्ठता सूची। वास्तव में, यह दो ओ. एम. दिनांकित 07.02.1986 और 03.07.1986 में इंगित किया गया था और यही कारण है कि

सरकार ने पहले के दो ओ. एम. के स्पष्टीकरण के माध्यम से 03.03.2008 पर बाद का ओ. एम. जारी किया। 39. इस स्तर पर, हमें इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि एन. आर. परमार (सुप्रा) मामले में न्यायालय को यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि चयनित उम्मीदवार को प्रशासनिक देरी और प्रक्रिया की शुरुआत और नियुक्ति के बीच के अंतर के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इस तरह का अवलोकन उतना ही गलत है जितना कि भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने की तारीख को किसी को भी चयनित उम्मीदवार के रूप में पहचाना नहीं जा सकता है। उस दिन, प्रत्यक्ष भर्तियों के लिए निर्धारित रिक्ति पर नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्तियों का एक निकाय अस्तित्व में नहीं था। जो व्यक्ति किसी विज्ञापन का जवाब दे सकते हैं, उनके पास कोई नहीं हो सकता है।

सेवा संबंधी अधिकार, विज्ञापन की तारीख से उनकी वरिष्ठता को गिने जाने के अधिकार की बात नहीं करना। दूसरे शब्दों में, केवल प्रक्रिया के पूरा होने पर, आवेदक एक चयनित में परिवर्तित हो जाता है

40. केंद्र सरकार के कर्मचारियों से संबंधित एन. आर. परमार (सुप्रा) में निर्णय हमारी राय में, एम. पी. एस. नियम, 1965 द्वारा शासित मणिपुर राज्य पुलिस अधिकारियों पर स्वतः लागू नहीं हो सकता है। हम यह भी महसूस करते हैं कि एन. आर. परमार (सुप्रा) ने लंबे समय से चले आ रहे वरिष्ठता निर्धारण सिद्धांतों को गलत तरीके से अलग किया था अन्य बातों के साथ-साथ जे. सी. पटनायक (सुप्रा), सूरज प्रकाश गुप्ता और अन्य। वी. जम्मू और कश्मीर राज्य और अन्य। (2000) 7 एस. सी. सी. 561 और पवन प्रताप सिंह और अन्य। वी. रीवन सिंह और ओआरएस। (सुप्रा)। ये तीन निर्णय और कई अन्य वरिष्ठता के निर्धारण के लिए कानून पर समान उच्चारण के साथ यह स्पष्ट करते हैं कि सेवा न्यायशास्त्र के तहत, वरिष्ठता का दावा उस तारीख से नहीं किया जा सकता है जब पदधारी का कैडर में जन्म होना बाकी है। हमारी सुविचारित राय में, इस मुद्दे पर कानून जे. सी. पटनायक (सुप्रा) में सही घोषित किया गया है और परिणामस्वरूप हम एन. आर. परमार (सुप्रा) में सुझाए गए अंतर-वरिष्ठता के मूल्यांकन के मानदंडों को अस्वीकार करते हैं। तदनुसार, एन. आर. परमार में निर्णय को खारिज कर दिया जाता है।

हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह निर्णय पहले से ही एन. आर. परमार पर आधारित अंतर-वरिष्ठता को प्रभावित नहीं करेगा और यह संरक्षित है। यह निर्णय संभावित रूप से लागू होगा, सिवाय इसके कि जहां संबंधित नियमों के तहत वरिष्ठता तय की जानी है। रिक्ति/विज्ञापन की तारीख।

41. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपना निर्णय दो प्रस्तावों पर आधारित किया, लेकिन खंड पीठ का विचार था कि परिणाम केवल दो प्रस्तावों में से एक के आधार पर समान होगा और इसलिए, दूसरे प्रस्ताव पर निर्णय देना अनावश्यक था। इसलिए इस तरह के दृष्टिकोण को दोनों निर्णयों के बीच संघर्ष (जैसा कि सुझाव दिया गया है) के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। दोनों पीठ अपने-अपने मामलों में पूरी तरह से सुसंगत थे।

जटिल तर्क से, इस निष्कर्ष पर पहुंचना संभव है कि दोनों न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के परिणामस्वरूप पूरी तरह से विपरीत स्थिति होगी, अर्थात् प्रत्यक्ष भर्तियों को होना होगा पदोन्नति पर वरिष्ठता दी गई "।

41.3 निर्णय के अनुच्छेद 5 में उल्लिखित तथ्य

मेघचंद्र सिंह "से पता चलता है कि पदोन्नत लोगों ने मार्च 2007 में प्रासंगिक ग्रेड में प्रवेश किया था, जबकि सीधी भर्ती अगस्त और नवंबर 2007 में की गई थी। परमार 1 9 में निर्णय को निरस्त करते हुए पैराग्राफ 40 में यह भी देखा गया कि सेवा न्यायशास्त्र में, वरिष्ठता का दावा नहीं किया जा सकता है जहां पदधारी को अभी तक संवर्ग में वहन किया जाना है।

41.4 परिसर में, यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि आदेश के माध्यम से एल. सी. ई. और प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन किया गया है।

दिनांकित 15.07.2013,21.04.2010 पर मूल क्षमता में पदोन्नत 47 न्यायिक अधिकारियों के साथ जुड़ने का दावा नहीं कर सकता है और दावा नहीं कर सकता है।

चक्रीय क्रम के अनुसार उचित स्थान निर्धारण। हम तदनुसार प्रश्न (ग) का उत्तर देते हैं और पाते हैं कि 47 न्यायिक अधिकारी

दिनांकित 31.03.2011 अधिसूचना के अनुसार शुरू की गई प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए सभी उम्मीदवारों को सही ढंग से एन-ब्लॉक सीनियर रखा गया था। लिखें।

इसलिए, 2018 की याचिका (सिविल) Nos.936 और 967 को खारिज कर दिया जाता है।

42. प्रश्न (डी) पर विचार करते समय, इस न्यायालय द्वारा अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ 1 में दिए गए जोर पर ध्यान देना प्रासंगिक है।

निर्देश दिया कि जिला न्यायाधीश के कैडर में 25 प्रतिशत पदों को एल. सी. ई. के माध्यम से भरा जाए। पैराग्राफ 27 में कहा गया था कि दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य v होना चाहिए।

राजस्थान के अन्य न्यायाधीशों का उच्च न्यायालय [उदय उमेश ललित, जे।]

अपेक्षाकृत कनिष्ठ और अन्य अधिकारियों के बीच सुधार करने और एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक प्रोत्साहन होना ताकि वे उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें और त्वरित पदोन्नति प्राप्त कर सकें। पैराग्राफ 28 में प्रासंगिक निर्देश में फिर से जोर दिया गया कि एल. सी. ई. के माध्यम से पदोन्नति के लिए 25 प्रतिशत कोटा "सख्ती से योग्यता के आधार पर" होना चाहिए।

2010 के नियमों के नियम 31 (2) में एल. सी. ई. के माध्यम से भरे जाने वाले पदों से निपटने के लिए "सख्ती से योग्यता के आधार पर" अभिव्यक्ति का भी उपयोग किया गया है। द.

संबंधित अनुसूची में निर्धारित योजना के संदर्भ में योग्यता का मूल्यांकन किया जाना है। उक्त अनुसूची में बताए गए विभिन्न मापदंडों पर विचार करने के बाद, सफल उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है। सफल उम्मीदवारों की सूची योग्यता मापदंडों जैसे उपयुक्तता, चिकित्सा योग्यता आदि के अधीन अंतिम चयन के लिए आधार बन जाती है।

हालांकि, नियम 47 (4) पर निर्भरता रखते हुए, समिति ने अपने

दिनांक 1 की रिपोर्ट में कहा गया है कि उसी वर्ष जिला न्यायाधीश संवर्ग में पदोन्नत व्यक्तियों की अंतर वरिष्ठता उतनी ही होनी चाहिए जितनी पदोन्नति के समय उनके द्वारा धारण किए गए पदों में थी।

यदि सूची योग्यता के अनुसार तैयार की जानी है, तो यह संभव है कि चयनकर्ताओं की सूची में अंतिम व्यक्ति सबसे वरिष्ठ और जा रहा हो।

अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ में जारी निर्देश 'मेधावी उम्मीदवारों को उनकी वरिष्ठता की परवाह किए बिना प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार लागू नहीं किया जाएगा। नियम 47 (4) में दिखाई देने वाले सामान्य सिद्धांत को, इसलिए, 2010 के नियमों के नियम 31 (2) में विशेष व्यवस्था को रास्ता देना चाहिए। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय अपनी रिपोर्ट दिनांक 1 में एल. सी. ई. के वास्तविक स्वरूप और उस श्रेणी के लिए कुछ आरक्षण की सराहना करने में पूरी तरह से विफल रहा।

इसलिए, हम विद्वानों द्वारा की गई प्रस्तुतियों को स्वीकार करते हैं।

2019 * और [2020] 10 एस. सी. आर. की रिट याचिका (सिविल) No.498 में याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता।

2019 की डायरी No.13252 और प्रश्न (डी) का उत्तर देते हुए घोषणा करती है कि एल. सी. ई. के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होनी चाहिए न कि पूर्ववर्ती संवर्ग में वरिष्ठता के आधार पर। उक्त रिट याचिकाओं को उस हद तक अनुमति दी जाती है।

43. अब हम 2019 की रिट याचिका (सिविल) Nos.464 और 2019 की 899 और इसी तरह के अन्य मामलों में अग्रिम प्रस्तुतियों पर विचार करते हैं।

यह सच है कि 2010 के नियम लागू होने की तारीख तक राज्य में 83 फास्ट ट्रैक अदालतें काम कर रही थीं और यह उचित था। उस प्रभाव का उल्लेख 2010 के नियमों की अनुसूची II के भाग ए में किया गया था। यह कहना भी सही है कि संबंधित न्यायिक अधिकारियों को दी गई तदर्थ पदोन्नति 1969 के नियमों के तहत थी। लेकिन इस तरह की पदोन्नति फास्ट ट्रैक अदालतों को चलाने के लिए तदर्थ आधार पर थी और इस मुद्दे पर कानून अब अच्छी तरह से तय हो गया है कि ऐसे न्यायिक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा

तदर्थ आधार पर त्वरित अदालत के न्यायाधीशों के रूप में अधिकारियों को वरिष्ठता की गणना करते समय ध्यान में नहीं रखा जा सकता है क्योंकि ऐसे न्यायिक अधिकारियों को मूल आधार पर पदोन्नति दी गई थी और उनकी वरिष्ठता की गणना केवल जिला न्यायाधीश के संवर्ग में उनकी मूल नियुक्ति की तारीख से की जानी चाहिए। उक्त 1969 नियम किसी भी तरह से ऐसा कोई अधिकार प्रदान नहीं करते हैं जो इस न्यायालय द्वारा इस प्रकार निर्धारित कानून के साथ असंगत हो।

याचिकाकर्ताओं को अपने आप में किसी भी समान व्यवहार का अधिकार नहीं है। मूल आधार पर पदोन्नति का मुद्दा संबंधित उम्मीदवार की उपयुक्तता और पदों की उपलब्धता सहित विभिन्न मुद्दों पर निर्भर हो सकता है। अभिलेख से यह भी पता चलता है कि 47 न्यायिक अधिकारियों को पर्याप्त आधार पर पदोन्नति देने के बाद, नियमित पदोन्नति के लिए कोई रिक्तियां नहीं थीं, यही कारण है कि वर्ष में चयन प्रक्रिया शुरू की गई। 2010 नियमित पदोन्नति के लिए कोई रिक्तियां निर्धारित नहीं की गईं और यह केवल वर्ष 2011 में था, जब उक्त श्रेणी के लिए पर्याप्त रिक्तियां उपलब्ध हुईं, तो अधिसूचना दिनांक 31.03.2011 ने विनियमन पदोन्नति द्वारा कुछ रिक्तियों को भरने पर विचार किया।

2019 की रिट याचिका (सिविल) No.464 में याचिकाकर्ताओं ने उक्त अधिसूचना दिनांक 31.03.2011 के अनुसार शुरू की गई प्रक्रिया में भाग लिया।

उनमें से कुछ एल. सी. ई. में भी उपस्थित हुए और अपना दावा पेश करने के अवसर का लाभ उठाया। जिला न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य के संवर्ग में उनकी नियमित पदोन्नति v.

इसलिए, इसे केवल दिनांकित 31.03.2011 अधिसूचना के संदर्भ में शुरू की गई चयन प्रक्रिया के परिणाम के रूप में लिया जाना चाहिए, जो दिनांकित 15.07.2013 आदेश में समाप्त हुई। इन परिस्थितियों में, उनकी मूल नियुक्ति उक्त कैडर की गणना 15.07.2013 से की जानी चाहिए न कि किसी पूर्व प्रभाव के साथ।

एक बार नियमित पदोन्नति उसी प्रक्रिया का हिस्सा थी

अन्य धाराओं के साथ, अर्थात्, प्रत्यक्ष भर्ती और एल. सी. ई. के माध्यम से, चक्रीय आदेश लागू किया जाना था और कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं को चयन की उसी प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भर्ती और एल. सी. ई. के माध्यम से चुने गए उम्मीदवारों के ऊपर एन ब्लॉक प्लेसमेंट नहीं दिया जा सकता है।

इसलिए, हम 2019 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 464 में कोई योग्यता नहीं देखते हैं और कहा कि रिट याचिका खारिज कर दी गई है। 2019 की रिट याचिका (सिविल) No.899 और अन्य संबंधित मामलों में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति तदर्थ आधार पर की गई।

2010 के नियमों के बाद त्वरित अदालतें लागू हुईं। भले ही फास्ट ट्रैक न्यायालयों के उन्मूलन के बाद भी उनकी सेवाएं जारी रहीं, कि

स्वयं उन्हें कोई अधिकार नहीं देगा। उन्हें केवल 05.02.2016 दिनांकित आदेश के माध्यम से जिला न्यायाधीश के संवर्ग में पर्याप्त रूप से पदोन्नत किया गया। ऊपर बताए गए कारणों के लिए, मूल आधार पर उनकी पात्रता की गणना केवल 05.02.2016 से की जानी चाहिए, न कि किसी पूर्व तिथि से। इसलिए, 2019 की रिट याचिका (सिविल) No.899 और अन्य संबंधित मामलों को खारिज कर दिया जाता है। इस प्रकार, प्रश्न (ई) का उत्तर देते समय, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि 15.03.2019 की रिपोर्ट में प्रश्न (डी) के उत्तर में दी गई सीमा को छोड़कर किसी भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

44. इस प्रकार निष्कर्ष निकालते हुए, हम निर्देश देते हैं:

(क) 2019 की लिखित याचिका (सिविल) No.498 और 2020 की लिखित याचिका (सिविल) [2019 की डी. No.13252] को अनुमति दी गई है।

(ख) परिणामस्वरूप, दिनांक 1 की रिपोर्ट के संदर्भ में जारी वरिष्ठता सूची में केवल इस हद तक संशोधन किया जाएगा कि एल. सी. ई. के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को परीक्षा में उनकी योग्यता के आधार पर उचित नियुक्ति दी जाए, न कि पूर्ववर्ती संवर्ग में उनकी वरिष्ठता के आधार पर। इसके चार सप्ताह के भीतर उचित परिवर्तन किए जाएं। निर्णय।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए.

(ग) उपरोक्त दिशा (ख) में इंगित सीमा को छोड़कर,

दिनांकित 15.03.2019 रिपोर्ट में किसी संशोधन या स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

(घ) अन्य सभी रिट याचिकाएँ खारिज कर दी जाती हैं।

दिव्या पांडे